शुक्रवार,
१८ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, १८ सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पदरौना राज शुगर मिल्स

*१३७८. **श्री राम जी वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देवरिया के जिला मजिस्ट्रेट ने मई १९५३ में पदरौना राज शुगर मिल्स का चीनी का सारा स्टाक कुर्क कर लिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि जिला मजिस्ट्रेट ने चीनी के लगभग २२०० बोरों के २६ रुपये १४ आने प्रति मन के हिसाब से बेचे जाने का आदेश दिया था, यद्यपि चीनी का चालू भाव बहुत अधिक था ; तथा

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). देवरिया के जिला मजिस्ट्रेट ने पदरौना शुगर मिल्स के एक निदेशक को २६ रुपये १४ आने प्रति मन की

दर से, जो कि उस चीनी का चालू भाव था, चीनी के २,००० बोरे बेचने की इजाज़त दे दी थी । उक्त विक्रय की इजाज़त इसलिये ही दी गई थी जिससे कि फैक्टरी कुछ तात्कालिक भुगतान करने के लिये धन प्राप्त कर सकती ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या उस समय बाज़ार भाव अधिक था और एस० डी० ओ० ने यह सूचाना दी थी कि चीनी अधिक दर पर बिक रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वास्तविक अन्तर बहुत कम था और फैक्टरी को भुगतान तुरन्त ही करना था । चीनी की मात्रा भी अधिक थी । अतः थोड़ा सा अन्तर मामूली बात थी ।

श्री सिंहासन सिंह : उस समय अन्तर कितना था ?

डा० पी० एस० देशमुख : कोई ६ आने से ज्यादा नहीं ।

श्री राम जी वर्मा : क्या मंत्री महोदय उन पार्टीज़ के नाम बतलायेंगे जिन्हें शुगर बेचा गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : चीनी नीलाम से बेची गई थी । मेरे पास नाम तो नहीं हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या चीनी इस लिये कुर्क की गई थी क्योंकि फैक्टरी को उत्पादकों को गन्ने की कीमत चुकानी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यह वह चीनी नहीं थी जो कुर्क की गई थी ।

श्री नानादास : क्या ऐसी कोई कार्यवाही किसी ऐसे कारखाने में की गई है जिसने उत्पादकों को गन्ने की कीमत नहीं चुकाई ?

श्री किदवई : उत्पादकों को भुगतान करने के लिये उत्तर प्रदेश में कई जगह कारखाने वालों की चीनी कुर्क की गई थी ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या कोई ऐसी प्रस्थापना है कि चीनी के कुछ विशेष कारखाने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत ले लिये जायें ?

श्री किदवई : जी हां, है ।

महिला चिकित्सकीय सेवा

*१३७९. **कुमारी एनी मस्करीन** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि महिला चिकित्सकीय सेवा भंग क्यों कर दी गई ?

(ख) इसके भंग होने के समय उसमें भारतीयों की संख्या कितनी थी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) स्वास्थ्य सेवाओं का प्रान्तीयकरण होने तथा राज्य सरकारों द्वारा एक अखिल भारतीय पदाली का विरोध किये जाने के कारण यह समझा गया कि महिला चिकित्सकीय सेवा को एक अखिल-भारतीय चिकित्सकीय सेवा के रूप में चालू रखने से कोई लाभ नहीं है ।

(ख) २३.

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि यह महिला चिकित्सकीय सेवा देश में क्या काम कर रही थी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : १९१४ में यह समझा जाता था कि अधिकांश स्त्रियां सामाजिक तथा धार्मिक विचारों के कारण साधारण हस्पतालों में इलाज नहीं करायेंगी । उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये कोई न कोई प्रबन्ध किया ही जाना था । इसलिये उस समय यह चिकित्सकीय सेवा संगठित की गई ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या यह देश में विशेष रूप से स्त्रियों तथा बच्चों के सम्बन्ध में—कोई सामाजिक सेवा कर रही थी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां ।

कुमारी एनी मस्करीन : महिला चिकित्सकीय सेवा को भंग करने का कार्य १९४९ में ही क्यों उठाया गया जब कि वह सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही थी, १९३४ के अधिनियम के प्रवर्तन के बाद ही क्यों नहीं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं इसक उत्तर (क) में दे चुकी हूं कि इन सेवाओं को प्रान्त ले लेना चाहते थे और वे महिला चिकित्सकीय सेवा चालू रखने के पक्ष में नहीं थे ।

कुमारी एनी मस्करीन : यह सही उत्तर नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि लेडी हार्डिंग मैडीकल कालिज में पहले महिला चिकत्सिकीय सेवा की १० स्थायी सदस्यायें थीं और अब केवल २ हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : महिला चिकित्सकीय सेवा की ३२ सदस्याओं में से ९ लेडी हार्डिंग मैडीकल कालिज में लगा ली गई थीं । मैं उनके नाम भी दे सकती हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय ; कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या वे प्रस्थायी नहीं है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : जी नहीं । वे सब स्थायी है । ९ में से ३ ने तो

नौकरी छोड़ दी है परन्तु शेष सब मौजूद हैं ।

श्री वी० पी० नायर : जब हमारे पास इतनी योग्य महिला डाक्टर मौजूद हैं तो फिर लेडी हार्डिंग मैडीकल कालिज की प्रिंसिपल एक अमेरिकी महिला क्यों हैं ? उनमें ऐसी कौन सी विशेष योग्यता है जो यहां अन्य महिला डाक्टरों के पास नहीं है ?

राजकुमारी अमृतकौर : वह एक उच्च योग्यता वाली डाक्टर हैं--न केवल औषधि विद्या की अध्यापिका के रूप में अपितु एक कुशल प्रशासक के रूप में भी । हमें उनकी सेवायें टक्निकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुई हैं । हमें उतनी ही अच्छी कोई अन्य डाक्टर नहीं मिल सकी । हमें एक दो भारतीय महिला प्रिंसिपल मिली तो थीं, परन्तु उनके साथ कुछ कठिनाइयां थीं और वे बहुत सन्तोषजनक नहीं थीं । परन्तु इस अमुक महिला ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि यह प्रिंसिपल एम० डी० ही है जबकि दूसरी महिला डाक्टरों के पास एम० आर० सी० पी० तथा अन्य उच्च डिग्रियां हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : वर्तमान प्रिंसिपल जैसी योग्यता किसी के पास नहीं थी ।

सरदार हुकम सिंह : क्या इसका वित्तीय भार केन्द्रीय सरकार के ऊपर पड़ता था या यह असरकारी न्यास द्वारा चलाया जा रहा था ?

राजकुमारी अमृतकौर : असरकारी न्यास की पूंजी तो बहुत कम हो गई है और लेडी हार्डिंग मैडीकल कालिज का सारा खर्चा व्यावहारिक रूप से केन्द्रीय सरकार ही उठाती है ।

श्री मुनिस्वामी : यह सेवा कब प्रारम्भ की गई थी और क्या इसे पुनः चालू करने की कोई आवश्यकता या सम्भावना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

राजकुमारी अमृतकौर : सेवा भंग कर दी गई है । वस्तुतः हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या एक अखिल-भारतीय पदाली पुनः चालू करना सम्भव नहीं जिसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों हों ।

कुमारी एनी मस्करीन : एक और प्रश्न श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं । मैं पहले ही बहुत से प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दे चुका हूं ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं । अगला प्रश्न ।

रेल दुर्घटनायें

*१३८१. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार यह बात जानती है कि इधर कुछ दिनों से रेल दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं ?

(ख) रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा की जाने वाली है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेल दुर्घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) सदन पटल पर सूचना रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५५**]

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि मथुरा में जो अभी रेलवे ऐक्सी-

डेंट हुआ, उसमें लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कितनी जानें गयीं और कितना नुकसान पहुंचा ?

श्री शाहनवाज खां : उसकी तफसील अखबार में दी गयी है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इनफ़ारमेशन आपने हाउस के टेबल पर रक्खी है जिसमें मिकैनिकल डिवाइसेज़ के करने की बात कही गयी है, मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में रेलवे ऐक्सीडेंट्स को रोकने के सिलसिले में इस साल सरकार कितना धन खर्च कर रही है और क्या इसके लिए कुछ और अधिक खर्च मंजूर किया जा रहा है और यदि हां, तो कितना ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): मथुरा में जो रेलवे ऐक्सीडेंट हुआ था उसमें कितने आदमी मरे या ज़ख्मी हुए, उसकी ठीक फ़ीगर तो इस वक्त सामने नहीं हैं, लेकिन यह ख्याल किया जाता है कि ६ आदमी मारे गये और ४९ आदमी ज़ख्मी हुए । इंटरलोकिंग सिस्टम को चालू करने के लिए सरकार बमुक़ाबले पहले के काफ़ी रुपया खर्च कर रही है और इसके लिए हमने एक पंचसाला प्रोग्राम भी बनाया है जिसकी बुनियाद पर इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि जहां तक मुमकिन हो, ज्यादा से ज्यादा स्टेशनों को हम इसमें शामिल करें ।

श्री जांगड़े : इन रेलवे दुर्घटनाओं के प्रधानतः क्या कारण है और क्या मैं उन्हें जान सकता हूं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अब कारण तो अलग अलग होते हैं । जहां तक हेड आन कोलीज़न की बात है यह अक्सर स्टाफ़ की ग़लती और गफ़लत के कारण होते हैं जैसे सिगनल डाऊन नहीं है तब भी रेल चली आ रही है और गाड़ी का ड्राइवर सिगनल नहीं देखता, हेड आन कोलीज़न जो इधर तीन चार हुए यह स्टाफ़ की ग़लती से हुए ।

श्री सिंहासन सिंह : अभी सरकार ने जवाब दिया कि अख़बारों से मालूम हुआ कि मथुरा में कितनी जानें गयीं, क्या सरकार अपने जवाब को अख़बारों की बिना पर क़ायम रखती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं, पार्लियमेंटरी सेक्रेटरी ने तो यह कहा था कि उनके पास इसकी फ़ीगर्स नहीं हैं, इसलिए उन्हों ने कहा कि अख़बारों में शाया हुई होंगी, मगर अखबार के आधार पर तो हम चल नहीं सकते जब तक हमारे सामने आफ़िशियल रिपोर्ट न आये ।

श्री सिंहासन सिंह: क्या आप बता सकते हैं कि कितनी जानें गयीं ।

डा० राम सुभग सिंह : अभी द्विवेदी जी के इस प्रश्न के उत्तर में कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या ज्यादा खर्च का इन्तजाम किया जायेगा, मंत्री जी ने कहा, कि हां समुचित खर्च का प्रबन्ध किया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि ज्यादा रुपया खर्च करने से दुर्घटनायें रुकेंगी या ज्यादा साबधानी बर्तने का उपाय किया जायेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : दोनों बातें की जायेंगी । सावधानी भी बर्तनी होगी और जो हमारा इन्टलांकिंग है उसके इक्विपमेंट और सामान पर काफी रुपया भी खर्च करना होगा ।

मध्य प्रदेश में रेलवे लाईन का निर्माण

*१३८२. **श्री जांगड़े :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य प्रदेश में चांपा से कोरबा तक और चिरमिरी से बरुवाडीत तक रेलवे लाइन के निर्माण में कहां तक प्रगति हुई है ;

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ;

(ग) चांपा में १९४९, १९५० और १९५१ में पड़ी हुई सामग्री का चांपा-कोरवा लाइन के निर्माण में वहां तक प्रयोग किया गया है ; और

(घ) चांपा में कितने की निर्माण-सामग्री बेकार पड़ी हुई है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) चांपा-कोरवा लाइन के निर्माण का कार्य इस बरसात के बाद शुरू होगा । बरूवाडीत-चिरमिरी लाइन का निर्माण कार्य मार्च १९५० में उठा रखा गया था ।

(ख) चांपा-कोरवा लाइन पर अब तक कोई वास्तविक व्यय नहीं हुआ है, यद्यपि ज़मीन खरीदने की कार्यवाही जारी है । बरुवाडीत-चिरमिरी परियोजना के निर्माण पर कुल व्यय १·५३ करोड़ रुपये हुआ था ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) चांपा-कोरबा लाइन के निर्माण के लिये चांपा में कोई निर्माण सामग्री नहीं पड़ी हुई है ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि बरुवाडीत-चिरमिरी की लाइन पर सन् १९४९-५० के बजट सत्र में जो आप ने बताया कि १·५३ करोड़ रुपया खर्च हुआ, तो उतना खर्च करने के बाद भी सरकार ने इस लाइन के निर्माण करने पर आपत्ति क्यों उठाई ?

श्री शाहनवाज खां : गवर्नमेन्ट की यह स्कीम थी कि बरुवाडीत-चिरमिरी लाइन जो है उस को कम्प्लीट किया जाय और बरुवाडीत-सरनडीत का ४० मील का पहला सेक्शन था उस पर काम शुरू किया गया था । उस के ऊपर यह सारा खर्च हुआ, बाद में जिस मकसद के लिये यह लाइन बनाई जा रही थी, यानी यह कि उस इलाके में जो कोयल की खानें थीं उन में से कोयला निकालने के लिये बनाई जा रही थी, लेकिन बाद में जब लाइन शुरू हो गई तो मालूम हुआ कि वह एरिया अच्छी तरह से कोयले के लिये डेवेलप नहीं हुई है और जो कोयला वहां से निकला है वह भी बहुत अच्छे किस्म का नहीं है, और सरकार की माली हालत उस वक्त जरा खराब थी । वह जो बहुत ज़रूरी लाइनें थीं उन्हीं को पहले लेना चाहती थी, इस लिये इस काम को छोड़ दिया गया ।

श्री जांगड़े : सरकार ने अभी बताया है कि उस समय उस की माली हालत अच्छी नहीं थी, और बाद में पता चला कि कोयला की जो ग्रेड थी वह भी अच्छी नहीं थी । तो क्या सरकार ने उस पर एक करोड़ रुपया खर्च करने से पहले इस का पता नहीं चलाया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह लाइन सन् १९४८ में ली गई थी जब कि इस को बनाने का फैसला हुआ था । सच बात यह है कि मैं भी इस मामले की बहुत सफाई के साथ समझ नहीं सकता लेकिन जहां तक मुझे मालूम है हुआ है, लड़ाई के बाद बहुत जल्दी में यह फैसला किया गया था जब कि सारी बातों को जांच करके फैसला होना चाहिये था, इस लिये शायद ठीक फैसला नहीं हो सका । फिर भी सेन्ट्रल ट्रान्स्पोर्ट बोर्ड ने गौर करने के बाद इस लाइन को फिर नये तरीके से शुरू करने को मंजूर नहीं किया । जितना रुपया खर्च हो चुका है उस के बाद मैं इस बात की जरूरत समझता हूं कि इस मसले को फिर से देखा जाय और इस पर गौर किया जाय ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि चांपा में दो तीन वर्षों से जो कई वैगन रेलवे लाइन में उपयोग होने वाला सामान पड़ा

हुआ है, और बेकार पड़ा हुआ है उस की कीमत क्या होगी ?

श्री शाहनवाज खां : चांपा–कोरवा लाइन जो है उस को, रेलवे मिनिस्ट्री बहुत जरूरी लाइन समझती है और उस के ऊपर काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि कितनों का उपयोग हो रहा है ।

श्री शाहनवाज खां : उनका निकट भविष्य में ही उपयोग किया जायेगा ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चांपा कोरवा लाइन और चिरमिरी-बरुवाडीह लाइनों में से आप कौन पहले लेने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : चांपा-कोरवा लाइन हम पहले लेंगे ।

श्री जांगड़े : गत सत्र में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि चांपा-कोरवा लाइन का निर्माण किया जायगा । क्या अभी तक उस पर एक लाख रुपया खर्च नहीं किया जा सका और यह छोटी सी लाइन निर्मित नहीं की जा सकी ?

श्री शाहनवाज खां : मौजूदा स्कीम के बमूजिब चांपा कोरवा लाइन जो कि साढ़े बाइस मील लम्बी है वह फर्स्ट फाइव इअर प्लैन में शामिल है और १९५५-५६ तक यकीनन मुकम्मल हो जावेगी ।

श्री सी० भट्ट : बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, सरकार भारत भर में नयी रेलवे लाईने बिछाने की क्या योजना तैयार कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : पुरानी लाइनों के स्थान में नयी लाइनें बिछाने की योजना वह जहां कहीं भी सम्भव हो, पुरानी लाइन के स्थान में नई लाइनें बिछाने के बारे में ज्ञात करना चाहते हैं । परन्तु यह प्रश्न यहां किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

श्री सी भट्ट : मैं अपना प्रश्न फिर दुहरा दूं । बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार सारे भारत में जहां कहीं भी आवश्यक हो, फिर से रेलवे लाइनें बिछाने के फैसले में फेरबदल करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अभी संकल्प की प्रतीक्षा करें ।

रायपुर से जगदलपुर तक रेलवे लाइन

*१३८३. **श्री जांगड़े :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार रायपुर से धमतरी तक की वर्तमान छोटी लाइन के स्थान पर रायपुर से जगदलपुर तक बड़ी लाइन बनाने की योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार ने रायपुर से जगदलपुर और उसके आगे बेजवाड़ा आदि तक कोई राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा–सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) रायपुर से जगदलपुर तक तो पहले से ही एक राष्ट्रीय राज-मार्ग मौजूद है । जगदलपुर से बेजवाड़ा तक एक राष्ट्रीय राज-मार्ग विजयानगरम हो कर जाता है ।

श्री जांगड़े : क्या सरकार को मालूम है कि बस्तर हिन्दुस्तान का सब से पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां से रायपुर से जगदलपुर को जो राष्ट्रीय राज-मार्ग है उस पर के बहुत से पुल टूट जाते हैं जिस के कारण आवागमन बन्द हो जाता है ?

श्री शाहनवाज खां : यह सही है कि जो नैशनल हाईवे उसके रास्ते में कई नदियां पड़ती हैं जिन पर पुल नहीं है। ब्रिजेज बनाने की जो पांच साला योजना है उस में यह तमाम ब्रिजेज शामिल किये गये हैं और वह मुकम्मल हो जायेंगे।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसा अभी आप ने कहा कि रायपुर से जगदलपुर तक कोई रेलवे लाइन बनाने की हमारे पास योजना नहीं है, क्या सरकार आइन्दा यह नीति अमल में लायेगी कि कोई भी संकरी रेलवे लाइन कहीं पर निर्मित न की जाय ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : आम तौर पर पालिसी यही है कि नैरो गेज की नई लाइनें न बनाई जायें। मगर आप का सूबा ऐसा है कि बार बार इस बात की मांग करता है कि नैरो गेज लाइनें बने और जो पुरानी नैरो गेज लाइनें थीं उन्हें वापस लाया जाय।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय रायपुर से जगदलपुर जा कर के उन स्थानों को देखेंगे जहां १९८ मील तक कोई लाइन न होने के कारण जो वहां के खनिज पदार्थ हैं उन की दशा बहुत खराब है और यदि लाइन बना दी जाय तो ज्यादा तादाद में खनिज पदार्थ मिल सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं बल्कि जानकारी दे रहे हैं।

श्री एल० बी० शास्त्री : बहरहाल आप का देखना हमारे देखने के बराबर ही है।

मचादा में पानों का बुकिंग

*१३८५. **श्री एस० सी० सामन्त** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के मचादा रेलवे स्टेशन पर, १९४७ से १९५२ तक के वर्षों में प्रतिवर्ष, पानों के भारत के भिन्न भिन्न भागों को बुकिंग से कितना रुपया भाड़े के रूप में प्राप्त हुआ ; तथा

(ख) बाहर भेजी गई पान की डलियों की मासिक औसत संख्या क्या है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) मचादा रेलवे स्टेशन पर पानों के बुकिंग से १९४९, १९५०, १९५१ और १९५२ में क्रमशः ५,३९,०९२ रुपये, ४,६७,८६२ रुपये, ४,३१,९२७ रुपये तथा ४,५५,८७७ रुपये भाड़ के रूप में प्राप्त हुए।

(ख) बुक की गई पान की डलियों की मासिक औसत संख्या १४,७३९ थी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि योजना आयोग ने, इस उद्देश्य से कि कृषि उत्पाद देश के भिन्न भिन्न भागों में जा सकें, यह सिफारिश की थी कि ऐसी सड़कों के निर्माण पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाये जो किन्हीं स्थानों को रेलवे से मिलाती हों ? यदि हां, तो रेल विभाग ने इस स्टेशन को मिलाने वाली सड़क के निर्माण के लिये क्या किया है ?

श्री शाहनवाज खां : रेलवे को मिलाने वाली सड़कों के निर्माण का उत्तरदायित्व रेल मंत्रालय पर नहीं है। यह तो राज्य सरकारों का काम है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि रेलवे मंत्रालय को इस स्टेशन से बहुत आय होती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं ? वह कोई प्रश्न तो पूछ नहीं रहे हैं। उनका प्रश्न तो भाड़े तथा पान की डलियों के सम्बन्ध में है। वर्ष प्रतिवर्ष के

बारे में विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है अब वह रेलवे को मिलानी वाली सड़कों के निर्माण का उत्तरदायित्व भी रेलवे पर ही रख रहे हैं। यह तो एक सुझाव मात्र है और लिख कर भी दिया जा सकता है। अब मैं अगले प्रश्न को लेता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त : दो भाग छोड़ दिये गये हैं।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : वे ठीक ही छोड़ दिये गये हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या रेल मंत्रालय ने ऐसी सड़कों के निर्माण में राज्य सरकारों की सहायता की है या राज्य सरकारों से एसी सड़को का निर्माण करने की प्रार्थना की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह तो एक नीति सम्बन्ध प्रश्न है कि राज्य सरकारें इस पर रेलवे को आर्थिक सहायता क्यों देती हैं। श्री रघुनाथ सिंह।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि खास तरह के डब्बे न होने के कारण पान जो बनारस में खासकर बाहर से आते हैं वह ज्यादातर सूख जाते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री एल० ० शास्त्री) : बनारस में पान इतने अच्छे मिलते हैं कि जरा भी मालूम नहीं होता कि वह सूख जाते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : पान खराब होने वाली चीज है। क्या उन्हें एक्सप्रैस गाड़ियों आदि में बाहर भेजने दिया जाता है ?

श्री शाहनवाज खां : इस परियोजना के लिये एक पार्सल एक्सप्रेस का उपयोग करने दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य मुख्य प्रश्न के क्षेत्र से बहुत दूर जा रहे हैं। वह इस सिलसिले में न जाने कितनी बातें पूछ रहे हैं। मैं इस की इजाजत नहीं दूंगा। अगला प्रश्न।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी

*१३८६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी वर्ग की योग्यता में जो त्रुटियां पैदा हुई थीं, उन का निवारण करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह त्रुटियां युद्धकाल में तथा देश के विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थीं। इन्हें दूर करने के लिये सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की हैं :—

(१) उम्मीदवारों की भर्ती करते समय निश्चित शैक्षिक तथा टैक्नीकल अर्हताओं में जो छट दी जाती थी वह अब बन्द की गई है।

(२) युद्धकाल में भर्ती हुए कर्मचारियों को स्थायी बनने से पूर्व वैभागिक परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं जिस से कि उन्हें नियमों तथा प्रक्रिया की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त हो जाये।

(३) भूतपूर्व राज्य कर्मचारियों को जिन्हें कि उनकी नियुक्ति से पूर्व कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी निश्चित की गई ट्रेनिंग दी जाती है।

(४) सभी नये रंगरूटों को सेवायुक्त करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है।

(५) निगरानी कड़ी कर दी गई है तथा अधिकारियों को अनुदेश दिये गये हैं कि उनके तथा उनके कर्मचारियों के आपसी सम्बन्ध अच्छे रहने चाहियें तथा उन्हें जनता

की ठीक तरह से सेवा करने का उपदेश दिया जाना चाहिये ।

(६) कर्मचारियों को आवास सुविधा तथा सहायकों के रूप में अधिक सुविधाएं देने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमन् क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह नियम आदि अतिरिक्त वैभागिक कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं ?

श्री जगजीवन राम : उन्हें अपना कर्त्तव्य पालन करने के लिये इन नियमों पर चलना पड़ता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमन् क्या मैं जान सकती हूं कि इन अतिरिक्त वैभागिक कर्मचारियों का निम्नतम वेतन क्या है तथा क्या इन्हें मकान आदि के लिये किराया भी मिलता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री जगजीवन राम : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है परन्तु माननीया सदस्या की सूचना के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें कोई मकान किराया आदि नहीं मिलता है। इन्हें थोड़ा सा वेतन मिलता है क्योंकि यह अतिरिक्त वैभागिक कर्मचारी हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर नज़र रखने के लिये कोई फरयाद संस्था स्थापित की गई ?

श्री जगजीवन राम : फरयाद संस्था कार्यक्षमता पर दृष्टि रखने के लिये नियक्त नहीं की गई है। इसका काम प्राप्त शिकायतों की जांच करना है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि क्या डाकखानों के इन्स्पेक्टरों के काम तथा उनकी प्रभावशालिता में सुधार करने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री जगजीवन राम : जहां तक क्वालिटी का सम्बन्ध है मेरे माननीय मित्र को शायद मालूम है कि इन्स्पेक्टर प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर क्लर्कों में से लिए जाते हैं । अब हम इन्स्पेक्टरों की एक अलग श्रेणी खोलने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं जिस में कि हम ग्रेजुएटों को सीधे भर्ती करेंगे ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि डाक तथा तार विभाग की विभिन्न शाखाओं में समन्वय की कमी है तथा क्या हाल ही में इस प्रश्न पर विचार किया गया है तथा कुछ कार्यवाही की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री एस० सी० सामन्त : क्या डाक तथा तार विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की क्वालिटी में भी कोई खराबी पाई गई है ? यदि पाई गई है तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर का सम्बन्ध राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों प्रकार के अधिकारियों के साथ है । क्या मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कुछ और भी कहना है ?

श्री जगजीवन राम : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जहां राजपत्रित अधिकारी सीधे भर्ती किये जाते हैं वहां कोई खराबी है ।

श्री आर० के चौधरी : क्या कार्यक्षमता में खराबी आने का यह कारण है कि सरकार कर्मचारियों की भर्ती के समय महिलाओं को अधिमान दे देती है ?

श्री जगजीवन राम : डाक तथा तार विभाग वैसे तो महिलाओं को कोई अधिमान नहीं दे देता है। इसका सम्बन्ध केवल टेलीफोन एक्सचैजों के साथ है ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या डाक तथा तार विभाग जान बूझकर इस नीति पर नहीं चल रहा है कि भर्ती के समय महिलाओं को अधिमान दिया जाये ?

श्री जगजीवन राम : मेरे माननीय मित्र किसी गम्भीर मिथ्याशंका से प्रभावित हैं।

श्री आर० के० चौधरी : मैं महिला कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बता चुके हैं कि महिलाओं को भर्ती के समय कोई अधिमान नहीं दिया जाता है। आप उस प्रश्न को केवल दुहरा रहे हैं।

श्री केलप्पन : श्रीमान्, क्या सरकार ने भर्ती-परीक्षाओं को त्याग देने के परिणामों पर विचार किया है ?

श्री जगजीवन राम : सदन को कुछ दिन पहले सूचना दी जा चुकी है कि क्लर्कों की भर्ती के लिये जो लिखित परीक्षायें हुआ करती थीं वह अब नहीं हुआ करेंगी। अब क्लर्कों को मैट्रिक्युलेशन परीक्षा के कुछ विषयों के परिणामों के आधार पर भर्ती कर लिया जायेगा।

श्रीमती ए० काले : क्या यह सत्य नहीं कि महिलायें पुरुषों की अपेक्षा अधिक ईमानदारी से काम करती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न।

महालक्ष्मी चीनी मिल

*१३८७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालक्ष्मी चीनी मिल, हमीरा (कपूर्थला-पेप्सु) के मालकों को उनका मुख्य संयंत्र उत्तर प्रदेश में किसी स्थान विशेष पर ले जाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) इस कार्यवाही का जो प्रभाव श्रमिकों की नौकरी तथा उस इलाके के गन्ना उत्पादकों पर पड़ेगा क्या उस पर विचार किया गया है ; तथा

(ग) इस मिल के मालिकों तथा भूतपूर्व कपूर्थला राज्य के बीच जो मूल करार हुआ है, क्या उसका एक खंड यह भी है कि इस मिल के मालिक मशीनरी को कपूर्थला से बाहर नहीं ले जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) जी नहीं।

सरदार हुक्म सिंह : किस आधार पर इस मिल को पेप्सु से हटाकर उत्तर प्रदेश लिया जा रहा है ?

श्री किदवई : इस मिल का गन्ना पेरने का सामर्थ्य बहुत अधिक है, तथा वहां जो गन्ना उपलब्ध होता है वह इतना काफी नहीं कि यह मिल अपने पूरे सामर्थ्य से काम जारी रख सके। अब इसे उस इलाके में लिया जा रहा है जहां इसे काफी गन्ना प्राप्त हो सकेगा।

सरदार हुक्म सिंह : सरकार को कैसे इस बात का निश्चय हुआ कि इस मिल को काफी गन्ना नहीं मिल रहा था ?

श्री किदवई : सरकार को इस सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त होते हैं कि कितना गन्ना पेरा गया है तथा कितनी चीनी तैयार की गई है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह बात सत्य है कि १९५१-५२ में इसे काफी गन्ना इसलिये नहीं मिला कि इस ने पूर्व वर्ष में गन्ना उत्पादकों को पैसे अदा नहीं किये थे। पूर्व वर्ष में यह मिल गन्ने की उस सारी मात्रा को पेर नसकी जो कि इसे प्राप्त हुई थी।

श्री किदवई : इस मिल को अपने सामर्थ्य के अनुसार कभी भी काम नहीं मिला । पहले तो मालिकों ने बताया कि उनकी एक मिल देवबन्द उत्तर प्रदेश में है जिसका सामर्थ्य इस मिल से कम है । परन्तु बाद में उन्हे पता चला कि यह मिल उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह चल सकती है तथा उन्हों ने इसे वहां ले जाने के लिये प्रार्थना की ।

सरदार हुकम सिंह : क्या मालिक की ही बात को सही मान लिया गया अथवा क्या वहां कोई जांच भी हुई थी ?

श्री किदवई : आंकड़े जांच की ओर निर्देश करते हैं ।

सरदार हुकम सिंह : क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी क्योंकि मालिक ने जो बात कही थी वह सत्य नहीं थी ?

श्री किदवई : अभी तक किसी भी व्यक्ति ने मालिकों के इस कथन का खंडन नहीं किया है कि उन्हें पेरने के लिये काफी गन्ना नहीं मिलता है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह सत्य है कि पंजाब सरकार ने इसे वहां से हटाये जाने का विरोध किया है ?

श्री किदवई : जब हम किसी फैक्टरी को कम उत्पादन वाले क्षेत्र से हटाकर अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र में ले जाते हैं तो स्वभावतः ही सम्बन्धित राज्य सरकारें तथा वहां के कृषक इसका विरोध करेंगे । हाल ही में पंजाब के मंत्रियों ने मेरे साथ बातचीत की तथा वह प्रत्येक ऐसी मिल को जो कि चालू नहीं है अथवा जो देश के किसी भाग में बेकार पड़ी है, किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में आकड़े हैं कि कितना गन्ना पेरा गया है ? क्या इस मिल को वहां से हटाने की अनुमति देने से पहले सरकार के पास इस सम्बन्ध में आंकड़े थे कि मिल के आस पास कितने एकड़ भूमि पर गन्ने की काश्त हो रही है ?

श्री किदवई : इस सम्बन्ध में प्रत्येक कार्यवाही की गई । उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका परीक्षण किया । दो वर्ष पहिले यह प्रश्न उठाया गया था । यह बात उद्योग के हित में है कि यह मिल वहां ली जाय । मुझे आशा है कि मेरे मित्र को यह जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ मिलों को पूर्वी जिलों से पश्चिमी जिलों में ले जाने की प्रस्थापना है । पूर्वी ज़िलों में मिलों को पेरन के लिये काफी गन्ना नहीं मिलता है तथा यदि दो एक मिलें एक क्षेत्र से हटा कर दूसरे क्षेत्र में ली जायें तो आशा है कि बाकी मिलों को पेरने के लिये काफी गन्ना मिलेगा । जो मिलें हटाई जायेंगी उन्हे भी काफी गन्ना मिलेगा ।

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान् मेरा यह प्रश्न नहीं था । मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस बात का सुनिश्चयन हुआ था कि गन्ने की खेती के आधीन कितना क्षेत्र था । मुझे बताया गया कि पूर्वी ज़िलों से कुछ मिलों को हटाकर दूसरे स्थानों पर लिया जायगा । इस बात का मेरे प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री किदवई : क्षेत्र कुछ भी हो, उन्हें पेरने के लिये काफी गन्ना नहीं मिल रहा है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मैं जान सकता हूं कि इलाहाबाद से भी कुछ मिलों को शिफ्ट करने का विचार हो रहा है ?

श्री किदवई : कुछ ऐसी तजवीज़ तो है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं .....

सरदार हुकम सिंह उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले के सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछने की अनुमति दी । पहले इस प्रश्न पर चर्चा हुई तथा सरदार हुक्म सिंह ने कई प्रश्न पूछे । अगला प्रश्न ।

रेल विभाग पर दावे

*१३८८. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट पंजाब रेलवे के कुछ रेलवे कर्मचारियों ने, जिन्होंने कि १५ अगस्त १९४७ के बाद अपने स्थानान्तरण पर अपना सामान बुक कराया था, शिकायतें की हैं कि उनका वह सामान निश्चित स्थानों पर नहीं पहुंचा है ;

(ख) यदि की हैं, तो क्या इन कर्मचारियों ने अपने दावे भी दायर किये हैं ; तथा

(ग) इन दावों के सम्बन्ध में क्या कुछ फैसला किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान् ।

(ग) लगभग ९९ दावों में से ४२ दावों का निपटारा भुगतान द्वारा किया गया, २३ दावे रद्द किये गये तथा ३४ मामले अनिर्णीत पड़े हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : इन दावों के निपटारे में जो इतनी देर हुई है, क्या इसका कोई विशेष कारण है ?

श्री अलगेशन : उनका दूसरे दावों के साथ साथ निर्णय किया गया । हाल ही के वर्षों में पहले की अपेक्षा इन दावों का शीघ्र ही निपटारा हुआ है तथा यह सब कुछ देश के बटवारे के तुरन्त बाद हुआ था ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या किसी मामले के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया अथवा क्या कुछ मामले न्यायालयों में लिए गए ?

श्री अलगेशन : मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कोई मामला न्यायालय में लिया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : शेष मामलों के निपटारे के सम्बन्ध में क्या सरकार कोई समय-सीमा दे सकती है ?

श्री अलगेशन : जी हां, अनिर्णीत मामलों में से उत्तर रेलवे के तीन मामलों में तथा मध्य रेलवे के एक मामले में भुगतान की पेशकश की गई है तथा इस पेशकश के स्वीकार किये जाने पर भुगतान किया जायगा । शेष मामलों के सम्बन्ध में भी कार्यवाही जल्दी की जायेगी ।

जलोदर

*१३८९. **श्री गिडवानी :** (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान अहमदाबाद के समाचार पत्रों में ३० अगस्त १९५३ को प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आर्गमोन तेल जो कि संक्रामक जलोदर रोग का एक कारण है, के प्रयोग के कारण तबाही हुई है तथा बहुत से लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि आर्गमोन तेल नहाने का साबुन बनाने में काम में लाया जाता है तथा यह त्वचा में जज़ब किया जा सकता है जिस से कि संक्रामक जलोदार का रोग पैदा होता है ?

(ग) जिस वृक्ष के बीजों से यह तेल निकाला जाता है वह किस किस राज्य में पाया जाता है ?

(घ) इसके उपयोग को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां, सरकार ने इस समाचार को पढ़ा है ।

(ख) जहां तक सरकार को मालूम है, आर्गमोन तेल नहाने का साबुन बनाने के काम नहीं लाया जाता है, परन्तु पता चला

है कि यदि इसे काम में लाया भी जाये तो भी इस से मनुष्यों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता है ।

(ग) आर्गमोन पौधा सारे भारत में पाया जाता है ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता कि 'आर्गमोन' तेल को नहाने का साबुन बनाने में प्रयोग में न लाने दिया जाये । भारत सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रार्थना की है कि वह 'आर्गमोन' पौधे के नाश के लिये आवश्यक कार्यवाही करे । इंडियन स्टैंडर्ड्स इन्स्टीट्यूशन ने हाल में ही सरसों के तेल के लिये अपना प्रमाप तैयार किया है तथा इस में यह निश्चित किया गया है कि इस तेल में 'आर्गमोन' तेल की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिये ।

खाद्य मिलावट निवारक विधेयक, १९५२ जो कि इस समय सदन के समक्ष है, खाने के तेलों में 'आर्गमोन' तेल की मिलावट को रोकने में सहायक सिद्ध होगा ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार का ध्यान वी० एस० अस्पताल, अहमदाबाद के स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान विभाग की इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि संक्रामक जलोदर की विचित्र बीमारी जिस में कि दस्त तथा उल्टी आदि भी होतो है, अनाज में तथा खाने के तेलों में मिलावट के कारण पैदा हुई है ; तथा यदि दिलाया गया है तो क्या सरकार जनता की जानकारी के लिये इसे काफी प्रकाशन देगी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, हमें उसकी जानकारी है तथा हम यथासंभव अनाज में मिलावट खत्म करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं, ज्योंही खाद्य मिलावट निवारक विधेयक सदन में पास होगा, यथासंभव प्रत्येक कार्यवाही की जायेगी ।

कुमारी एनो मस्करीन : श्रीमान् क्या सरकार को मालूम है कि चिकित्सा विभाग ने गत कुछ वर्षों में जनता का हित करने की अपेक्षा अहित ही किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं । अगला प्रश्न ।

श्री दाभी : हमें एक प्रश्न पूछने की भी अनुमति नहीं दी गई । इस प्रश्न का सम्बन्ध मेरे ज़िले से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछ सकते हैं ।

श्री दाभी : क्या यह सत्य है कि 'आर्गमोन' तेल की मिलावट वाले खाने के तेल के प्रयोग के परिणामस्वरूप नादियाद कस्बा, ज़िला कैटा, बम्बई में लगभग एक हज़ार व्यक्ति दस्त, उल्टी, टांगों की सूझन आदि की बीमारी से पीड़ित हैं तथा छै व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वहां टांगों की सूझन के रोग के अलावा जलोदर रोग भी है? श्री गिंडवानी इस सम्बन्ध में पूछ चुके कि सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं कि देश के किसी भाग में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई हैं ।

श्री दाभी : इसका सम्बन्ध मेरे कस्बे से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर माननीय सदस्य को ही कार्यालय में इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिये थी ।

स्टेशनों पर खाने पीने की चीजें बेचने वाले

*१३९०. **श्री गिडवानी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का ध्यान मुसाफिरों के लिये बेची जाने वाली खाने पीने की चीज़ों पर प्रभावहीन नियंत्रण के सम्बन्ध में ३१ अगस्त, १९५३

के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उसके निजी सम्वाद दाता द्वारा दी गई रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि रेलवे अधिकारियों ने स्टेशनों पर बेचे जाने वाली खाद्य वस्तुओं की सफाई तथा गुण-प्रकार के लिये कुछ स्तर तथा उनके दाम निर्धारित किये हैं ?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि खाने पीने की चीज़ों को बेचने वाले इन नियमों का पालन नहीं करते ?

(घ) क्या यह सत्य है कि इन जिन ठेकेदारों को खाने पीने की चीज़ों को बेचने के लाइसेंस दिये जाते हैं वे अपना ठेका दूसरों को दे देते हैं ?

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है कि मुसाफिरों को जो खाने पीने की चीज़ें बेची जाती हैं अच्छी तथा साफ हों और उचित दामों पर बिकें ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जहां तक सरकार को पता है, ये नियम लागू किये जाते हैं और खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले इनका पालन करते हैं। जब कभी भी इन नियमों के उल्लंघन किये जाने का पता लगता है तो उस उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है ।

(घ) जी नहीं । इसके विपरीत अपने ठेकों को दूसरों को देने की सख्त मनाही है और यदि यह बात सिद्ध हो जाये कि ठेका दूसरे आदमी को दिया गया है तो उस ठेके को तुरन्त खत्म कर दिया जाता है ।

(ङ) इस बात को देखने के लिये प्रतिदिन नियंत्रण रखा जाता है कि जो खाने पीने की चीज़ें बेची जाती हैं वे पोषक तथा स्वच्छ हों और उन्हें उन उचित दामों पर बेचा जाय जो अधिकारियों द्वारा निर्धारित हों ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि एक रेलवे के महाप्रबन्धक को मैसर्स बल्लभदास ईश्वरदास, जो कि एक बहुत बड़े ठेकेदार हैं, के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतना विस्तृत प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ? कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में खाने की व्यवस्था बिगड़ गई है ?

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि एक उत्तरदायी अधिकारी ने इस ठेकेदार द्वारा दिये जाने वाले खराब खाने तथा इसकी खराब व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रभारी सदस्य से शिकायत की थी किन्तु उसे ऐसा करने के लिये डांट दिया गया था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): ऐसी कोई बात नहीं हुई और न ही किसी अधिकारी को डांटा गया था ।

श्री गिडवानी : कुछ दिन पूर्व मेरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि मैसर्स बल्लभदास ईश्वरदास के तीन रेलों में डाईनिंग कारों के ठेकों के अतिरिक्त १८० भोजनालय और १३२ उपहारगृह हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री गिडवानी : जब एक आदमी के नियंत्रण में इतनी चीज़ें हों तो वह उनकी देख भाल नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से और इमानदारी से धन कमाता है तो माननीय सदस्य उस पर आपत्ति नहीं कर सकते ।

श्री गिडवानी : वह अपने ठेके को अच्छी प्रकार से नहीं चला सकता ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले चलती गाड़ियों में बिना लाइसेंस, बिना टिकिट तथा बिना रोक थाम के खाद्य वस्तुओं को बेचते हैं, और यदि ऐसा है तो क्या इस बात को रोकने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : हमें इसकी कोई सूचना नहीं ?

श्री मुनिस्वामी उठे —

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा-सचिव यह कहते हैं कि उनके मंत्रालय को इसकी सूचना नहीं है और माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई सूचना है तो वह इसे बाद में सभा सचिव को बता सकते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिये हैं उनसे पता चलता है कि रेल गाड़ियों तथा स्टेशनों पर खाने पीने की व्यवस्था ठीक है । इस सदन में इस विषय पर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं । मैं जान सकता हूं कि क्या अब भी सरकार यही समझती है कि इस मामले में सभी बातें ठीक तरह से चल रही हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ऐसा तो कभी भी नहीं बताया गया कि इस मामले में सभी बातें ठीक तरह से चल रही हैं । इस सदन में कुछ दिन पूर्व मैं ने माननीय सदस्यों को सूचित किया था कि यह पूरा मामला राष्ट्रीय रेल प्रयोक्ता परिषद् की अगली बैठक रखा जायगा । वह परिषद् इस प्रश्न पर विचार करेगी कि ठेके देने तथा लाइसेंस देने की वर्तमान प्रथा को जारी रखा जाय या परिवर्तन किया जाय या नहीं । जैसा कि मैंने इस सदन में तथा दूसरे सदन में भी बताया था कि हम प्रयोक्ता परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों को मानने की कोशिश करेंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या रेलवे अधिकारियों ने रात में प्लेटफार्मों पर खाद्य वस्तुओं, चाय और दूध का बेचना बन्द करवा दिया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इन चीज़ों को रात में ११ बजे से ४ बजे तक बेचना बन्द करवा दिया गया है क्योंकि इससे मुसाफिरों को असुविधा होती है ।

श्री टी० एन० सिंह : माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है वह पढ़े गये उत्तर से कुछ भिन्न हैं । क्या मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन कर सकता हूं कि वे पढ़े गये उत्तर को देखें और जो मिथ्या धारणा पैदा हो गई हो उसे दूर कर दें ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या कुछ स्थानों की जनता ने रात में खाद्य वस्तुओं को न बेचने देने के बारे में कोई अभिवेदन किये हैं, क्योंकि बच्चों के लिये दूध मिलने में कठिनाई होती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : रात को स्टाल खुले रहते हैं और मुसाफिर वहां जाकर खरीद सकते हैं । खाद्य वस्तु विक्रेताओं को रात में प्लेटफार्मों पर चिल्लाने की मनाही है ।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या सरकार को पता है कि निरामिष भोजन में मछली तथा हड्डियां मिली थीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी माननीय सदस्य के निजी अनुभव का सरकार को कैसे पता हो सकता है ?

श्री चट्टोपाध्याय : यदि सरकार को नहीं पता है, तो क्या मैं इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिला सकता हूं कि रेल के सफ़र में ऐसी बातें होती हैं ?

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि सफ़र करने वाली जनता को रेल गाड़ियों में खाद्य वस्तुओं के लिये निर्धारित स्तरों के मामले में किस प्रकार सूचित किया जाता है ?

श्री शाहनवाज खां : यह स्तर--अच्छा, शुद्ध तथा पोषक भोजन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया है कि रेल प्रयोक्ता परिषद् इस मामले पर विचार करेगी और मंत्री महोदय उसके द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को मानेंगे ।

सहकारी समितियां

*१३९१. **श्री विट्ठल राव :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में सहकारी समितियों की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये विशेष अधिकारी द्वारा सितम्बर १९५२ में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का जांच कार्य समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार का उसकी एक प्रति को सदन पटल पर रखने का विचार है; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर अस्वीकारात्मक हो तो इस देरी के क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं । इस रिपोर्ट की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) जैसे ही यह जांच समाप्त हो जायगी, पूरी सूचना सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) इन सिफारिशों में बहुत से वित्तीय तथा प्रशासन सम्बन्धी प्रश्न सन्निहित हैं जिन पर अच्छी प्रकार से विचार करना और जांच करना आवश्यक है ।

श्री विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि उस जांच को कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो सामान्य प्रश्न है ।

श्री विट्ठल राव : यह रिपोर्ट सितम्बर १९५२ में प्रस्तुत की गई थी; इस बात को एक वर्ष हो गया है । यह अब भी विचाराधीन है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): मैं मानता हूं कि इसमें देर हो गई है, किन्तु मुझे आशा है कि यह एक महीने में समाप्त हो जायगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोपरेटिव सोसाइटी की कार्य प्रणाली की जांच के लिये जो अफसर नियुक्त किये गये हैं, उन्हें पूरी पूरी मदद रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं मिल रही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं, यह वजह तो नहीं है । मदद पूरी दी जा रही है बल्कि इतना ही नहीं कि जांच हो रही हो, स्पेशल आफिसर ने खुद २६ जगहों में कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसायटियां कायम की हैं ।

श्री विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ रेलों के प्रशासन उनके द्वारा सहकारी ऋण समितियों के लिये किये

गये काम के लिये कुछ शुल्क लेते हैं और क्या सरकार का विचार इन सहकारी समितियों का विकास करने तथा प्रोत्साहन देने के बारे में योजना आयोग द्वारा कही गई बात को ध्यान में रखते हुए, इसको बन्द कर देने का है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): किराये आदि के लिये रेलवे प्रशासन नाम मात्र का शुल्क लेता है और कुछ रेलवे प्रशासन बिजली आदि सुविधा के लिये कुछ नहीं लेते । हमें इन रेलवे प्रशासनों द्वारा सहकारी समितियों से अधिक धन लिये जाने के बारे में कुछ पता नहीं ।

श्री विट्ठल राव : तो फिर रेलवे के भिन्न भिन्न प्रशासनों में यह भेद क्यों है ?

श्री अलगेशन: जैसा कि मैं ने कहा, केवल नाम मात्र का ही शुल्क लिया जाता है ?

भुकम्प

*१३९१क. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी**: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शनिवार, २९ अगस्त, १९५३ को सबेरे लगभग ७-३० बजे दिल्ली तथा उत्तर भारत के अन्य स्थानों में एक हल्का सा भूकम्प आया था ;

(ख) इस भूकम्प के आरम्भ होने का मूल स्थान कहां था ; तथा

(ग) क्या इस भूकम्प के परिणाम-स्वरूप कोई जन हानि या सम्पत्ति को हानि हुई थी ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के बीच डंडवा श्रंखलाओं के समीप हिमालय की नीची पहाड़ियों में ।

(ग) जहां तक सरकार को विदित है, कोई जन हानि नहीं हुई अथवा सम्पत्ति को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि इस भूकम्प के कारण दिल्ली, लखनऊ तथा बनारस में कुछ मकानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ था ?

श्री जगजीवन राम : ऐसा बताया जाता है कि बनारस में खपरैल वाली कुछ छतों को नुकसान हुआ, और कानपुर में कुछ मकानों की छतों तथा दीवारों में दरारें पड़ गईं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या पीड़ितों को कोई सहायता दी गई थी ?

श्री जगजीवन राम: जी नहीं । यह देखना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि उन्हें कोई सहायता दी जानी चाहिये या नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह : बनारस में कुछ ऐसे स्थान हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय: क्या बनारस किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत नहीं आता ?

श्री टी० एन० सिंह : बनारस में कुछ ऐसी इमारतें हैं, जैसे मन्दिर तथा यात्रियों की दृष्टि से अन्य इमारतें हैं, जो अखिल भारतीय महत्व की हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र ने कोई सहायता दी है या देगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि उन्हें इस बात का निश्चय कर लेना चाहिये कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने से पूर्व मन्दिर आदि स्थानों के अधिकारियों ने राज्य सरकारों से इस प्रकार की सहायता मांगी थी या नहीं ।

भूमि उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड

*१३९२. **श्री राम दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में भूमि उपयोग तथा मिट्टी संरक्षण बोर्ड स्थापित किये गये हैं ; तथा

(ख) इस काम के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गयी है या दिये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

रायपुर में रेल दुर्घटना

*१३९३. **श्री संगण्णा :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज़यानगरम-रायपुर पैसेंजर गाड़ी जो रायपुर जा रही थी, के साथ २८ अगस्त, १९५३ की रात को रायपुर स्टेशन यार्ड में दुर्घटना हुई ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस दुर्घटना होने के क्या कारण हैं ;

(ग) जन हानि तथा सम्पत्ति हानि कितनी हुई ;

(घ) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है; तथा

(ङ) यदि ऐसा है तो इस दुर्घटना के लिये कौन उत्तरदायी हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । २८-८-५३ को रात को ७-५५ के लगभग, जब एक यार्ड शंटिंग इंजन जिसमें दो डिब्बे लगे हुए थे, रायपुर जंकशन स्टेशन यार्ड पर खड़ा था, तब नं० ४१६ डाउन विज़गापट्टनम टाउन-रायपुर पैसेंजर गाड़ी भी उसी लाइन पर आई और शंटिंग इंजन से टकरा गई ।

(ख), (ग) तथा (घ). उच्च अधिकारियों की एक समिति ने इसकी जांच की । उनका निष्कर्ष यह था कि रुकी हुई लाइन पर पैसेंजर गाड़ी को गलती से चले जाने के कारण यह दुर्घटना हुई ।

शंटिंग इंजन की लगभग १,००० रुपये की हानि हुई । और कोई हानि नहीं हुई ।

(ङ) रायपुर स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर तथा कैबिन मैन ।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि क्या इस लाइन पर चलने वाले इंजन तथा डिब्बे पुराने तथा रद्दी हालत में हैं ?

श्री अलगेशन : मुझे इसका पता नहीं ।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि क्या इस लाइन के रेल-गाड़ी पर चलने वाले कर्मचारी अधिकतर शराब पीये हुए होते हैं क्योंकि वे मद्रास के मद्य निषेध क्षेत्र के निवासी होते हैं ?

श्री अलगेशन : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या इस रेलवे लाइन पर लगातार होने वाली दुर्घटनायें अधिकारियों के अनुत्तरदायित्व के कारण होती हैं---अथवा किसी और के कारण होती हैं ?

श्री अलगेशन : इस दुर्घटना के लिये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर तथा कैबिन मैन उत्तरदायी थे । उनके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं । दुर्घटना के लिये उत्तरदायित्व दुर्घटना की जांच द्वारा ठहराया जाता है ।

उड़ीसा में चावल का प्रसंकरण (हाइब्रडाजेशन)

*१३९४. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में चावल के प्रसंकरण की योजना लागू है ;

(ख) किन स्थानों पर यह लागू है ;

(ग) इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ; तथा

(घ) इस योजना पर कितना धन व्यय किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था कटक ।

(ग) ४३२ प्रसंकरित किस्में (क्रॉस कम्बिनेशन) तथा १०० बैक क्रॉसेज़ पूरी कर दी गई हैं । इसमें भाग लेने भारतीय राज्यों तथा दक्षिण पूर्वी एशियायी देशों को दूसरी मिश्रज फस्ल पैदा करने के लिये बीज बड़ी मात्रा में दिये गये हैं ।

(घ) अगस्त, १९५३ के अन्त तक १,७५,४५१-५-६ ।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि वह कौनसी ऐजेंसी है जिसके द्वारा इस योजना की क्रियान्वित के परिणामों को राज्य के भिन्न भागों में कार्य रूप में परिणत किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये, किन्तु यह ऐजेन्सी राज्य का कृषि विभाग ही होगी ।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना को लागू करने के कारण चावल के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उस योजना को चलाने का यही अभिप्राय है किन्तु मेरे पास पूरी सूचना नहीं है ।

श्री मेघनाद साहा : मैं जान सकता हूं कि चावल की प्रसंकरण योजना के कारण कितना विकास हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उसमें कुछ विकास मालूम हुआ है, और यदि ऐसा है, तो कितना ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास ये विस्तृत सूचनायें नहीं हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या यह प्रयोग भारतीय चावल के साथ अथवा किसी अन्य देश के चावल के साथ किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : चावल की दो किस्मों के साथ—जापानी तथा भारतीय ।

हसन-मंलौर रेलवे लाइन

*१३९५. **श्री सिद्धननजप्पा** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे कि क्या हसन मंगलौर रेलवे लाइन का पर्यालोकन कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

(ख) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

(ग) इसके कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है ।

(घ) क्या यह लाइन छोटी लाइन होगी या बड़ी लाइन होगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रारम्भिक ईंजिनियरिंग तथा यातायात सम्बन्धी पर्यालोकन कार्य अगले महीने में आरम्भ किया जायेगा । वायुयान द्वारा पर्यालोकन करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) इस पर निर्णय पर्यालोकन सम्बन्धी रिपोर्टों पर विचार कर लेने के बाद किया जायगा ।

श्री जोकीम आल्वा : इस लाइन के पर्यालोकन कार्य के सम्बन्ध में निर्णय किये जाने से पूर्व, क्या उत्तर कन्नड़ा के सबसे पास के स्थान का ध्यान रखा गया था ?

श्री अलगेशन : इस समय हम केवल इस विशेष लाइन, हसन-मंगलौर ...न के पर्यालोकन पर ही विचार कर रहे ।

रेलवे वर्कशापों में चोरि

*१३९७. **श्री रामानन्द दास :**) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह पता है कि पश्चिमी बंगाल के कंचणपाड़ा तथा लिलुआ के रलवे वर्कशापों में से कच्चे लोहे, इस्पात तथा अन्य सामान की बड़ी मात्रा में बराबर चोरी की जाती है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार का विचार इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) समय समय पर इस बात की शिकायतें की गई हैं और अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल कर लेने के बाद उचित कार्यवाही की जाती है ।

श्री रामानन्द दास : क्या यह सत्य है कि वर्कशाप के कुछ रेलवे अधिकारी इस अपराध में शामिल थे ?

श्री अलगेशन : मुझे इसका पता नहीं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिये सरकार ने जो केवलमात्र कार्यवाही की है वह वाच एण्ड वार्ड (रक्षा तथा प्रहरी) विभाग में वृद्धि करना ही है ?

श्री अलगेशन : जी हां, यह की गई कार्यवाहियों में से एक है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या यह बात सामान्यतः मानी जाती है कि ज्यादातर वाच एण्ड वार्ड विभाग के लोग ही इन चोरियों में शामिल होते हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां । हमे ऐसी शिकायतें मिली हैं किन्तु जांच करने पर यह बात ठीक नहीं निकली ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्कशाप में अब तक कितनी चोरियां पकड़ी गईं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : चोरों का ज्यादा पता रखना अच्छा नहीं होता, इसकी तादाद मेरे पास नहीं ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

मद्रास कपड़ा संघ द्वारा अभिवेदन :

१. **श्री नटेशन :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास कपड़ा संघ द्वारा भेजा गया कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें १६ दिसम्बर, १९५२ को बेजवाड़ा रेलवे स्टेशन पर सामान लूट लिये जाने के लिये दक्षिण रेलवे से हर्जाने की मांग की गई है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) संघ को यह सलाह दी गई थी कि क्योंकि सामान की हानि ऐसी परिस्थितियों में हुई जिस पर रेलवे प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं था इसलिये रेलवे हर्जाना देने के लिये जिम्मेदार नहीं है ।

श्री नटेशन: क्या यह सत्य है कि जांच होने पर लूटे गये सामान में से कुछ बाद में प्राप्त हो गया था ?

श्री अलगेशन: जी हां, राज्य की पुलिस में कुछ लूटा हुआ सामान प्राप्त किया था ।

श्री नटेशन: क्या सम्बन्धित पक्षों को इस बात कि सूचना दे दी गई है कि सामान मिल गया तथा वे आकर अपने अपने माल की पहचान कर सकते हैं ?

श्री अलगेशन: जी हां ।

दिल्ली में बेतार यंत्र का पकड़ा जाना

२. **श्री गिडवानी:** क्या **संचरण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड", दिल्ली, दिनांक १० सितम्बर, १९५३ के पहले पृष्ठ पर प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली के हौज़ काज़ी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस द्वारा मंगलवार, ८ सितम्बर, १९५३ को एक बेतार यंत्र के पकड़े जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बेतार यंत्र को पाकिस्तान से खबरें सुनने तथा भेजने के लिये प्रयोग में लाया जाता था ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है, ; तथा

(घ) यदि हां, तो तो क्या परिणाम निकला ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां।

(ख) से (घ). मामले की जांच हो रही है ।

श्री गिडवानी: जांच में कितना समय लगेगा ? आखिरकार, है तो यह दिल्ली ही में ।

श्री जगजीवन राम: यह दिल्ली में है । परन्तु पुलिस ने मामला अपने हाथ में ले लिया है तथा वह इसकी जांच कर रही है ।

श्री गिडवानी: क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी भी हुई है ?

श्री जगजीवन राम: जी हां, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था अब उसे ज़मानत पर छोड़ रखा है।

श्री गिडवानी: गिरफ्तार करने के बाद ज़मानत पर छोड़ दिया गया है। क्यों ?

श्री जगजीवन राम: यह काम संचरण मंत्रालय का नहीं है। यह काम तो न्यायालय का है।

इम्फाल में चावल के दाम में वृद्धि

३. **श्री एल० जे० सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'अमृत बाजार पत्रिका' कलकत्ता, दिनांक बुधवार ९ सितम्बर, १९५३ के अन्तिम पृष्ठ पर प्रकाशित इस शीर्षक के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है "इम्फाल में चावल के दामों में अचानक वृद्धि होने के कारण कठिनाई"

(ख) क्या यह सत्य है कि अचानक ९ रुपये की वृद्धि होने के कारण दाम १६ रुपये स २५ रुपये हो गये हैं ;

(ग) इस अचानक वृद्धि के क्या कारण ह ;

(घ) मनीपुर में चावल के दामों में वृद्धि रोकने तथा खाद्य सम्बन्धी कमी की परिस्थितियों को दूर करने के बार में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है; तथा

(ङ) इसका कितने क्षेत्र तथा व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) सरकार ने रिपोर्ट पढ़ी है।

(ख) जी नहीं, हमें तो यह सूचना मिली है कि पिछले ३ सप्ताहों से चावल के दामों में कमी हो रही है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

(घ) तथा (ङ). हाल ही में मनीपुर में खाद्य की कमी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। फिर भी, इस वर्ष के आरम्भ में स्थानीय व्यापारियों द्वारा अतिसंचय करने के फलस्वरूप चावल के दामों में वृद्धि होती नज़र आई थी। इसको रोकने के लिये भारत सरकार ने मनीपुर को १०,००० मन चावल १५ रुपये प्रतिमन के घटे हुए दामों पर बेचने के लिये दिये। अगली फ़स्ल के आने तक रियायती दर पर चावल बेचने जारी रखने के लिये मनीपुर को १०,००० मन चावल और दिये गये हैं। केन्द्रीय अनाज अनुज्ञापन तथा समाहार आदेश, १९५२ मनीपुर में भी लागू कर दिया गया था जिससे मुख्य आयुक्त अतिसंचय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकें तथा अतिसंचय किया हुआ अनाज अधिग्रहन कर सकें। इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप दामों में वृद्धि रुक गई थी तथा गरीबों की परेशानी भी दूर ही गई थी।

श्री एल० जे० सिंह: क्या सरकार को मालूम है कि मनीपुर की समस्त दक्षिणी तथा पूर्वी घाटी पानी से भर गई है ? यदि हां, तो खड़ी फस्लों को कितनी हानि पहुंची है तथा क्या सरकार का विचार बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अनाज सहायता देने का है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है हम ने हाल ही में सदन में बतलाया था कि हमें केवल छोटी छोटी बाढ़ों के आने की रिपोर्ट मिली है। परन्तु आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि कल अभूतपूर्व बाढ़ आई है तथा लगभग १०,००० एकड़ में धान की फ़स्ल पानी में है। अतः हम शीघ्र से शीघ्र सूचना प्राप्त करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह सीधा हमारे नियंत्रण में है तथा जो कुछ भी करना सम्भव होगा, करेंगे।

श्री एल० जे० सिंह: क्या यह सत्य है कि दीमापुर–इम्फाल रोड पर बने महत्वपूर्ण सड़क पुलों के, जो कि मनीपुर के जीवन डोर का काम करते हैं, बह जाने की आशंका है ? यदि हां, तो क्या मनीपुर के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिये आसाम से चावल की सप्लाई पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम मनीपुर से आसाम को चावल नहीं भेजते।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): प्रश्न यह था कि हाल में आई हुई बाढ़ के कारण आसाम से मनीपुर को भेजे जाने वाले चावल पर कोई प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं। केवल आज के समाचार पत्रों में बाढ़ का समाचार प्रकाशित हुआ। हमें इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करनी है कि किसी सीमा तक हानि हुई है। चावल की सप्लाई साधारण यातायात के तरीकों से जारी रहेगी।

श्री एल० जे० सिंह: क्या हाल की बाढ़ का प्रभाव सप्लाई पर नहीं पड़ा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: रिपोर्ट केवल आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। हम और अधिक सूचना प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यातायात के साधन कुछ भी क्यों न हों सप्लाई जारी रखी जायेगी।

श्री एल० जे० सिंह : क्या यह सत्य है कि लोग रियायती दर पर भी चावल नहीं खरीद सकते हैं तथा इम्फाल की सड़कों पर काफी संख्या में भिखमंगें नजर आने लगे हैं जो साधारण समय में दिखाई नहीं पड़ते थे। यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अकाल पीड़ित व्यक्तियों के लिये परीक्षण सहायता केन्द्र खोलने का है ?

श्री किदवई : हमारे पास दामों के सम्बन्ध में इस वर्ष तथा गत् वर्ष का वितरण मौजूद है तथा उससे पता लगता है कि इस वर्ष दाम गत वर्ष के मुकाबले कम हैं। यद्यपि बजार भाव १७ रुपये है फिर भी हम ने दुकानें खोल दी हैं जहां पर लोग निश्चित मात्रा में १५ रुपये के हिसाब से खरीद सकते हैं। जहां तक लोगों की क्रय शक्ति का सम्बन्ध है हम इस की जांच करेंगे। परन्तु प्रश्न केवल दामों के बढ़ने के सम्बन्ध में था और यह गलत सूचना पर आधारित था। दाम इस वर्ष गत् वर्ष का इसी समय के मुकाबले बहुत कम हैं। गत् वर्ष सितम्बर के दूसरे सप्ताह में दाम २० रुपये १० आने थे। आज १७ रुपये हैं। इससे पहले सप्ताह में १७ रुपये ४ आने थे जब कि गत् वर्ष इसी समय यह २१ रुपये और उससे पहले वर्ष में १८ रुपये। इसी प्रकार, सप्ताहवार दाम घटते जा रहे हैं। निस्सन्देह, गत् वर्ष जून मास में दाम ११ रुपये थे जब कि इस वर्ष उसी महीने में १४ रुपये थे। परन्तु बाद के महीनों में गत् वर्ष के मुकाबले दाम घटते गये थे।

श्री रिशांग किशिंग : मनीपुर को अनाज के सम्बन्ध में फालतू या कमी वाला राज्य समझा जाता है ?

श्री किदवई : केवल गत् वर्ष इसने आसाम को कुछ चावल दिया था जिसके कारण कमी हो गई थी। मनीपुर को जितने चावल की आवश्यकता थी उतना हम ने तुरन्त वापस दे दिया था। इस वर्ष जब मनीपुर के मुख्य आयुक्त मुझ से मिले थे तो वह कह रहे थे कि इस वर्ष फालतु अनाज है। परन्तु मैं ने उनसे कह दिया कि कोई चावल बाहर न भेजा जाये जिससे आवश्यकता पडने पर उसका उपयोग किया जा सके।

मद्रास राज्य में मिलों को सप्लाई

४. श्री गिडवानी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास के "हिन्दू", दिनांक ११ सितम्बर, १९५३ के पृष्ठ ५ पर प्रकाशित होने वाले इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि हाल ही में आस्ट्रेलिया से आयात किये गये मिलो को खाने के फलस्वरूप, जिसे 'चोलम' भी कहा जाता है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा अनेक व्यक्तियों की दशा पागलों जैसी हो गई या अन्य प्रकार की बीमारियों के शिकार हो गये ;

(ख) क्या मद्रास सरकार के विश्लेषक ने यह रिपोर्ट दी है कि गांवों में बांटे गये अनाज में 'धतूरे' के बीज मिले हुए थे ;

(ग) क्या आस्ट्रेलिया से आयात किये गये सारे के सारे पांच हजार टन में धतूरे के बीज मिले हुए थे ;

(घ) भारत सरकार द्वारा मिलो सीधा ही खरीदा गया था या किसी एजेन्सी द्वारा; तथा

(ङ) क्या उसी प्रकार का और भी मिलो आयात करके अन्य राज्यों में बांटा गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी कृष्ण पा) : (क) जी हां। रिपोर्ट मिली थी कि रामनाथपुरम् जिले के इल्यानगुडी

गांव में एक लड़के की जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने आस्ट्रेलियन सोरघुम खा लिया था, पेट फूल जाने से मृत्यु हो गई तथा अन्य १५ व्यक्ति बेहोश हो गये ।

(ख) इल्यानगुडी के स्टाक में से कुछ नमूना लेकर किंग इंस्टीट्यूट, गुंडी, मद्रास में उसकी परीक्षा की गई तथा रिपोर्ट मिली है कि उसमें धतूरे के बीज मिले हुए थे ।

(ग) यह निश्चित नहीं किया जा सका है कि स्टीमर नार्डवेस्ट द्वारा लाये गये ७४२८ टन आस्ट्रेलियन मिलो के किसी भाग में, जिसमें से इल्यानगुडी को स्टाक दिया गया था, धतूरे के बीज मिले हुए थे । इस देश को मिलो भेजे जाने से पहले उसकी आस्ट्रेलिया में जांच कर ली गई थी तथा उसमें धतूरे के बीज नहीं पाये गये थे । मद्रास पहुंचने पर प्रादेशिक संचालक (खाद्य) ने मिलो में से १२ नमूने ले लिये, जिसमें से छः का विश्लेषण तो उनके टेकनीकल अधिकारियों ने किया था तथा शेष छः का विश्लेषण नई दिल्ली में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की प्रयोगशाला में हुआ था । इन में से किसी भी नमूने में धतूरे के बीज नहीं पाये गये थे ।

(घ) भारत सरकार ने मिलो आस्ट्रेलिया में सीधा ग़ैर-सरकारी व्यापारियों से खरीदा था ।

(ङ) आस्ट्रेलिया से उन्हीं व्यापारियों द्वारा खरीदा हुआ मिलो हाल ही में बम्बई पहुंचा है तथा बम्बई और कच्छ राज्यों को दिया गया है ।

श्री गिडवानी : स्टाक में जो धतूरा मिला दिया गया था वह कहा से आया ? माननीय मंत्री ने बतलाया कि कुछ अन्य स्टाकों में से लिये गये नमूनों में बीज नहीं थे । मद्रास स्टाक में यह बीज फिर कहां से आये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : इस मामले की मद्रास सरकार जांच कर रही है । मिलो मद्रास और बम्बई राज्यों को भेजा गया था । इसका वितरण रोक दिया गया है । इसी बीच में सारे स्टाक की जांच करके विश्लेषण कर लिया गया है । और कहीं भी यह बीज नहीं मिला है । अतएव, यह मिलावट किस प्रकार हुई, यह उस स्थान पर कैसे हुआ, इसकी मद्रास सरकार जांच कर रही है ।

डा० एन० बी० खरे : धतूरा आस्ट्रेलिया में होता है या भारत में ?

कुमारी एनी मस्करीन : क्या क्रय करने की शर्तों में से एक यह भी है कि इस देश में केवल अच्छा माल आयात किया जाये ?

श्री किदवई : निस्सन्देह ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पशुओं की हत्या

*१३८०. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को यह परिपत्र भेजा था कि वे उपयोगी पशुओं की हत्या रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही करें ?

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा उसका परिणाम क्या हुआ ?

(ग) क्या यह सत्य है कि वर्ष १९५३ में फिर एक ऐसा ही परिपत्र भेजा गया है ?

(घ) यदि हां, तो परिपत्र में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध विभिन्न राज्यों ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा की गई कार्यवाहियों का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट अनुबन्ध संख्या ५६]** यह कार्यवाहियां कहां तक

प्रभावी हुई हैं इसका निर्णय तो राज्य सरकारों को ही करना है ।

(ग) जी हां ।

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाहियों का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५७]**

भू-चुम्बकीय परिमाप

*१३८४. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के समस्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भू-चुम्बकीय या भू-भौतकीय परिमाप किया गया है जिससे उन प्रदेशों में ज़मीन के नीचे पानी का पता लग सके;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रदेशों में क्या परिणाम निकला;

(ग) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट परिमाप के परिणामों की सत्यता ज्ञात करने के लिये क्या सरकार ने प्रयोगात्मक आधार पर ही गहरे कुएं खोदने का प्रयास किया है; तथा

(घ) यदि उन प्रदेशों में कोई ग़ैर सरकारी एजेन्सी या व्यक्ति ऐसे कुएं खोदना चाहे तो उसे क्या सहायता दी जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) देश में कोई भू-चुम्बकीय परिमाप नहीं हुआ है । फिर भी, देश के कुछ क्षेत्रों में भारतीय भूतत्वीय परिमाप ने बिजली द्वारा जांच पड़ताल करने के तरीके प्रयोग किये हैं ।

(ख) (१) पूर्ण घाटी, मध्य प्रदेश : पानी कई प्रकार का है--मीठे पानी से लेकर खारे पानी तक ।

(२) धोंड क्षेत्र, बम्बई : कुछ स्थानों पर बोरिंग करने के लिये परिस्थितियां अनुकूल हैं ।

(३) शेरगढ़ छाबा, फलसुन्ड क्षेत्र (जोधपुर) : शेरगढ़ तथा फलसुन्ड के समीप पानी वाले क्षेत्रों का पता लगा था ।

(४) सिडमुख क्षेत्र, बीकानेर : समस्त क्षेत्र में ज़मीन के नीचे का पानी बिल्कुल खारा था ।

(ग) टी० सी० ए० प्रोग्राम के अन्तर्गत निकट भविष्य में ३५० अनुसंधानात्मक बोरिंग करने का विचार है ।

(घ) ज़मीन के नीचे पानी का पता लगाने का काम सरकार करती है तथा ग़ैर-सरकारी पक्षों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है ।

घोघरडीह व्यापारियों को डिब्बों की सप्लाई

*१३९६. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि लगातार वर्षा तथा बाढ़ के कारण घोघरडीह के कुछ व्यापारियों का माल खराब होने पर भी रेलवे प्राधिकारियों ने जुलाई १९५३ के महीने में उत्तर पूर्वी रेलवे के दरभंगा-निरमाली सेक्शन पर डब्बे नहीं दिये थे ?

(ख) यदि हां, तो क्या कारण थे ?

(ग) क्या यह सत्य है कि व्यापारियों को न केवल डब्बे ही नहीं दिये गये थे बल्कि उस स्टेशन से २६ जुलाई, १९५३ को कुछ खाली खड़े हुए डब्बों को भी वापस ले लिया गया था ?

(घ) यदि हां, तो इस प्रसंगति का क्या कारण है ?

(ङ) क्या वहां के व्यापारियों को डब्बे देने के सम्बन्ध में कोई वर्तमान व्यवस्था है और यदि हां, तो क्या ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). अन्य समस्त मांगों को देखते हुए जुलाई, १९५३ में घोघरडीह स्टेशन से ५८ भरे हुए डब्बे ले जाये गये थे। स्टेशन पर जो माल बच रहा था वह कलकत्ता क्षेत्र में ले जाने के लिये पटसन था और पटसन को ले जाने के सम्बन्ध में कोटा सम्बन्धी पाबन्दियां थीं।

(ग) तथा (घ). यह सत्य है कि २६ जुलाई, १९५३ को घोघरडीह से साकरी को छः खाली डब्बे भेज दिये गये थे जिससे सरकार द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार चीनी के अधिक महत्वपूर्ण माल को भेजने के लिये डब्बे उपलब्ध हो सकते।

(ङ) इस स्टेशन को जहां तक सम्भव होता है अधिक से अधिक डब्बे दिये जाते हैं। विभिन्न माल भेजने वालों को इन डब्बों का नियतन प्रचलित प्राथमिकता ट्रैफिक अनुसूची के अनुसार किया जाता है। इस अनुसूची के प्राथमिकता वर्गों के अन्दर डब्बों का नियतन 'पहले मांगो पहले पाओ' के सिद्धान्त पर होता है।

फ्रैंच मोटर कार कम्पनी कर्मचारी संघ

*१३९८. **श्री रामानन्द दास**: (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को कलकत्ता की फ्रैंच मोटर कार कम्पनी कर्मचारी संघ की ओर से फ्रैंच मोटर कार कम्पनी लिमिटेड में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लागू न किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं?

(ख) क्या सरकार उक्त कम्पनी में भविष्य निधि योजना को लागू करने की प्रस्थापना करती है?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) जी हां।

(ख) कम्पनी ने यह प्रतिनिधान किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ तथा योजना उस पर लागू नहीं होती हैं। क़ानूनी स्थिति इस समय विचाराधीन है और यदि यह निर्णय किया गया कि अधिनियम तथा योजना उक्त कम्पनी पर लागू होती है, तो योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कलकत्ता से आसाम को जाने वाले स्टीमर

*१३९९. **श्री के० पी० त्रिपाठी**: (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कलकत्ता से आसाम जाने और वहां से वापस आने वाले (पाकिस्तान में होकर) स्टीमरों को चलाने वाली विदेशी स्वामित्व वाली स्टीमर कम्पनी ने गत युद्ध काल में भाड़ों तथा किरायों की दरों पर एक अधिभार लगाना शुरू किया था?

(ख) यदि ऐसा है, तो ऐसा करने के क्या कारण थे?

(ग) क्या यह तथ्य है कि अब उक्त अधिभार को मूल दरों में मिला दिया गया है?

(घ) यदि ऐसा है, तो अब दरें क्या हैं और युद्ध से पूर्व वह क्या थीं? (१) दूरी के अनुसार तथा (२) मुख्य वस्तुओं के सम्बन्ध में?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना पश्चिमी बंगाल सरकार से, जिसका इस मामले से सम्बन्ध है, मांगी गई है। प्राप्त होने पर उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

बागान अधिनियम

*१४००. **श्री के० पी० त्रिपाठी**: क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ में पारित हुए बागान अधिनियम के कब लागू किये जाने की प्रस्थापना है?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): बागान अधिनियम, १९५१ के लागू किये जाने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

धातू-प्रस्तार स्पेशल

*१४०१. **पंडित लिंगराज मिश्र:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों को उड़ीसा व्यापार मण्डल की ओर से बरजम्दा तथा कुल्टी बाद्दमजाटर क्षेत्रों को जाने वाली धातु प्रस्तर स्पेशल ट्रेनों की संख्या ३ से बढ़ा कर ५ कर दिये जाने तथा उड़ीसा के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर इस समय जमा हो रहे विशाल स्टॉकों को वहां से हटाने के लिये उन खनिज धातु-प्रस्तरों को निर्यात योग्य वस्तुओं की भांति विशेष प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, इन्हीं बातों के सम्बन्ध में एक प्रतिनिधान उड़ीसा व्यापार मण्डल की ओर से प्राप्त हुआ था ।

(ख) पूर्वीय रेलवे में समय समय पर परिमाण सम्बन्धी समग्र मांग के अनुसार, जिसमें लोहे तथा फौलाद के कारखानों की प्रस्तर सम्बन्धी मांग भी सम्मिलित है निर्यात धातु-प्रस्तर यातायात को अधिकतम सम्भव गति से चलाया जा रहा है । वरजम्दा तथा कुल्टी वादमपहाड़ क्षेत्रों से के० पी० गोदियों को धातु प्रस्तर का निर्यात करने के लिये प्रतिदिन पांच स्पेशल ट्रेनों की नियमित तथा स्थायी रूप से व्यवस्था करना सम्भव नहीं है । परन्तु तो भी हाल ही में, माल डब्बों की सुधरी हुई स्थिति तथा परिमाण सम्बन्धी मन्दी के कारण कभी कभी इस यातायात के लिए प्रतिदिन पांच ट्रेनें चलाई जा रही हैं ।

आयता की हुई चीनी

*१४०३. **श्री एन० बी० चौधरी:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आयात की गई चीनी का वितरण तथा किसी स्थान विशेष पर उसके मूल्य का निर्धारण भारत सरकार के आदेशानुसार किया जायेगा अथवा उपयुक्त राज्य सरकार के आदेशानुसार किया जायेगा; तथा

(ख) वितरकों को चुनने में सामान्य सिद्धान्त क्या होंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५८]**

ग्रांड ट्रंक एक्स्प्रैस

*१४०४. **श्री वारस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कुछ दिनों से कि मदरास (केन्द्रीय) तथा दिल्ली जंकशन दोनों पर तृतीय श्रेणी का स्थान-सुरक्षण समुचित रीति से नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि मदरास में स्थान-सुरक्षण ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में जोड़े गये उस सवारी डब्बे के लिये किया जाता है जो कि बंगलौर से सीधा आता है और यह व्यवस्था यात्रियों को बहुत असुविधाजनक प्रतीत होती है;

(ग) क्या यह भी तथ्य है कि बीच के स्टेशनों पर रेलवे के कर्मचारी उस स्थान-सुरक्षित तृतीय श्रेणी के सवारी डब्बे में यात्रियों को इस आधार पर घुस आने देते हैं कि सीटों के बीच का स्थान तथा मध्य मार्ग सुरक्षित नहीं होता है; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो सरकार इन शिकायतों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) जी हां, मदरास सैन्ट्रल से ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस में सवार होने वाले यात्रियों के लिये स्थान सुरक्षण बंगलौर सिटी दिल्ली वाले सीधे यात्री डब्बे में मदरास-दिल्ली के बीच चलने वाले यात्री डब्बे के अतिरिक्त किया जाता था। क्योंकि इस व्यवस्था को असुविधाजनक पाया गया, इसलिये सीधे यात्री डब्बे में स्थान-सुरक्षण करना अब बन्द कर दिया गया है और अब मदरास से सभी तृतीय श्रेणी के स्थान सुरक्षण केवल मदरास-दिल्ली वाले यात्री डब्बे में ही किये जाते हैं।

आसाम रेलकड़ी में यातायात की अधिकता

*१४०५. **श्री अमजद अली** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम रेल कड़ी पर यात्रा अवस्थाओं के सम्बन्ध में जांच करने के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों के दल से क्या कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि, हां तो क्या उस रिपोर्ट के प्रकाशन में, सरकार इस सदन में कोई वक्तव्य देने की प्रस्थापना करती है;

(ग) क्या उक्त अधिकारी दल की रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी; तथा

(घ) यातायात की अधिकता को कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही, यदि कोई, की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अन्तिम रिपोर्ट के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

(ख) और (ग) इस पर विचार करने के लिये अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी।

(घ) रिपोर्ट के प्राप्त होने तक, इस यातायात की अधिकता तथा भीड़ को दूर करने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं, अतिरिक्त ट्रेनें चला कर भी जहां तक सम्भव हो रहा है यह कार्य किया जा रहा है। उदाहरण के लिये, अप्रैल–जून १९५३ में, तेज़पुर तथा रंगपाड़ा उत्तर के बीच दो नई गाड़ियां चलाई गई थीं। अलीपुर द्वार तथा फ़कीर ग्राम के मध्य इधर से उधर तथा उधर से इधर आने वाली दो गाड़ियां चलाई गईं थीं तथा रंगपाड़ा उत्तर तथा तेज़पुर के मध्य चार गाड़ियां चलाई गई थीं।

ऐशियायी प्रादेशिक श्रम सम्मेलन

*१४०६. **श्री विटठल राव** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वह प्रतिनिधि जिनको सितम्बर १९५३ के तीसरे सप्ताह में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ऐशियायी प्रादेशिक श्रम सम्मेलन में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये नाम निर्देशित किया गया है;

(ख) यह विचार जिनका सरकार ने नाम निर्देशन के समय ध्यान रखा था; तथा

(ग) क्या सरकार ने यह ज्ञात करने के लिये कि श्रमिकों का कौन सा केन्द्रीय संगठन सब से अधिक प्रतिनिधित है, कोई जांच की है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) श्री खंडूभाई देसाई, संसद् सदस्य तथा श्री एस० आर० वासुदेव, सदस्य विधान परिषद् (बम्बई) को टोक्यो में १४ से २६ सितम्बर १९५३ तक हो रहे द्वितीय ऐशियायी प्रादेशिक श्रम सम्मेलन में क्रमश: श्रमिकों के प्रतिनिधि तथा परामर्शक के रूप में सम्मिलित होने के लिये नाम निर्देशित किया गया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान के अनुच्छेद ३ पैराग्राफ ५ के

अनुसार श्रमिकों के प्रतिनिधियों को उनकी सबसे अधिक प्रतिनिधित संस्था की सहमति से चुना जाना है । श्री खंडूभाई देसाई और श्री वासुदेव दोनों को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से जिसमें कि उपलब्ध सूचना के अनुसार श्रमिकों के चारों अखिल भारतीय संगठनों से सबसे अधिक सदस्य संख्या है, प्रस्तावित किया गया था ।

(ग) जी हां ।

रेलवे कर्मचारियों के लिए निवास स्थान

*१४०७. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन रेलवे कर्मचारियों को, जो पूर्वी रेलवे के स्यालदा डिवीज़न में पुराने नष्ट भ्रष्ट रेल डब्बों में रह रहे हैं वैकल्पिक निवास स्थान दिये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; तथा

(ख) इस समय कितने नष्टप्राय रेल डब्बों को रेलवे कर्मचारियों द्वारा निवास स्थानों के रूप में काम में लाया जा रहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) क्वार्टरों के ६२ एकक बन कर पूरे हो चुके हैं और उन कर्मचारियों को जो कि रेल के नष्टप्राय डब्बों में रह रहे हैं, आवंटित किये गये हैं । २३२ और क्वार्टर बन रहे हैं और २५२ क्वार्टरों के निर्माण कार्य को चालू वर्ष के कार्य क्रम में सम्मिलित कर लिया गया है और यथासम्भव शीघ्र ही उनका निर्माण शुरू हो जायेगा ।

(ख) स्यालदा डिवीज़न में ८०८ रेल के नष्टप्राय डब्बों के इस समय निवास स्थानों की भांति काम में लाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है ।

डाक कर्मचारियों द्वारा कलम रोको हड़ताल

*१४०८. **श्री वी० मिश्र :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार को अखिल भारतीय डाक और रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ से हड़ताल की सूचना मिली है;

(ख) क्या संघ की परिषद् ने मांगों की एक सूची भी भेजी है;

(ग) क्या यह तथ्य है कि उन्होंने यह सूचना दी है कि इन मांगों के अस्वीकृत होने पर वे निकट भविष्य में ही १५ मिनट तक क़लम रोको हड़ताल करेंगे; तथा

(घ) यदि उपरोक्त मांग (क) से (ग) तक के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो परिषद् ने सरकार के समक्ष क्या क्या मांगें रखी हैं और सरकार के उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). जी नहीं, कदाचित माननीय सदस्य का निर्देश, अखिल भारतीय डाक तथा रेलवे डाक सेवा संघ की ओर है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

अपरिगणित वायु-पथ कम्पनियां

*१४०९. **श्री केशवैयंगार :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में कोई कम्पनियां अपरिगणित वायु-पथ-सेवाओं को चला रही हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी हैं और वह कहां चलती हैं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि यह कम्पनियां अपने वायुयान भारत से बाहर चला रही हैं ?

(घ) क्या उनके द्वारा उनके सार्थों के बन्द कर दिये जाने की कोई सम्भावना है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण मैं सदन पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५९**]

(ग) जी हां, श्रीमान्। इन में से कुछ कम्पनियों को अपने वायुयान, जबकि उनको विदेशों में उड़ान करने के ठेके मिलते हैं, भारत से बाहर ले जाने पड़ते हैं, परन्तु ऐसी अपरिगणित अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें करने से पहले महा संचालक, असैनिक नभश्चरण की विशेष अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

(घ) जहां तक सरकार को विदित है ऐसा नहीं है।

भारतीय तटीय सम्मेलन

***१४१०. श्री कासलीवाल:** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड ने भारतीय तटीय सम्मेलन से त्याग पत्र दे दिया है; तथा

(ख) क्या भारतीय तटीय व्यापार में कुछ दिनों से मांग तथा प्रदाय सम्बन्धी तथ्यों में एक असन्तुलन की सी स्थिति फैली हुई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) कम्पनी ने अभी तक निश्चित रूप से त्याग पत्र नहीं दिया है। जो कुछ उसने किया है वह यह है कि उसने सम्मेलन क़रार के अन्तर्गत अपेक्षित सम्मेलन को छोड़ने का छः महीने का नोटिस दिया है। यह नोटिस २८ अगस्त, १९५३ को दिया गया था।

(ख) यह एक उपसमिति द्वारा प्रकट की गई सम्मति है, जिसे भारतीय तटीय सम्मेलन द्वारा तट पर टन भार की स्थिति की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था। परन्तु इस सम्मति का सम्मेलन के सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है।

मथुरा के समीप रेल दुर्घटना

***१४११. श्री हेडा:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ६ सितम्बर, १९५३ को मथुरा जंकशन पर हुई रेल दुर्घटना का ब्यौरा जिसमें प्राणहानि, रेलवे सम्पत्ति को पहुंची हानि, तथा यात्रियों की सम्पत्ति को पहुंची हानि का विवरण दिया गया हो;

(ख) क्या दुर्घटना स्टेशन के हाते में हुई थी;

(ग) दुर्घटना होने के कारण क्या हैं; तथा

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को होने से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने की प्रस्थापना है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) और (ख). ६ सितम्बर १९५३ को कोई ३–४६ बजे, जबकि अप ख़ाली पैट्रोल टैंक वैगन स्पेशल संख्या २५९ मथुरा जंकशन की अप मेन लाइन पर खड़ी हुई थी, तो ३६२ नम्बर की अप सवारी गाड़ी, जो कि उसी लाइन पर आ रही थी, उस ख़ाली पैट्रोल टैंक स्पेशल के पिछले भाग से टकरा गई। सवारी गाड़ी का इंजन और उससे पीछे का तीसरा डब्बा तथा ख़ाली पैट्रोल टैंक वैगन का ब्रेक का डब्बा तथा उससे अगला पैट्रोल टैंक वाला डब्बा पटरी से उतर गये। प्राण हानि कोई नहीं हुई, २१ यात्रियों तथा छै रेलवे कर्मचारियों को मामूली चोटें आईं। इंजन, डब्बों, रेल पथ तथा रेलवे की अन्य सम्पत्ति को हुई हानि का औसत अनुमान कोई १०,२०० रुपये है। यात्रियों की किसी सम्पत्ति को कोई हानि नहीं हुई पहुंची।

(ग) दुर्घटना का कारण रेलवे के डिवीज़नल आफ़ीसर की जांच की कार्यवाही

के बाद, जो कि दुर्घटना के सम्बन्ध में की जा रही है, ज्ञान हो सकेगा।

(घ) इसे जांच कार्यवाही के पूर्ण हो जाने के बाद निश्चित किया जायेगा।

पटना रांची सड़क

७५८. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पटना-रांची सड़क का कोई २० मील तक लम्बा मार्ग पानी में डूब गया है ?

(ख) क्या उस सड़क पर कोई एक बड़ा पुल भी था जो कि पानी में डूब गया है ?

(ग) उस पुल की लागत क्या थी और क्या उसके ढांचे के कुछ भागों को निकालने के कोई प्रयत्न किये गये थे ?

(घ) क्या इस परित्यक्त सड़क को दोनों ओर से यह दिखाने के लिये कि उसे परित्यक्त कर दिया गया है बन्द कर दिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलीगेशन) : (क) जैसा कि १६ अप्रैल, १९५३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६६ के सम्बन्ध में दिये गये मेरे उत्तर में बताया गया था, पटना-रांची सड़क का कोई १-१/२ मील लम्बा भाग सन् १९५२ की वर्षा ऋतु में पानी में डूब गया था। सड़क का जितना अधिक से अधिक भाग पानी में डूब सकता है उसकी लम्बाई कोई दो मील है।

(ख) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या १०६६ के सम्बन्ध में दिये गये मेरे उत्तर में बताया गया था, बाराकर नदी की एक छोटी सी शाखा पर बना हुआ एक छोटा सा पुल पानी में डूब गया है।

(ग) और (घ). बिहार सरकार से सूचना मांगी गई है। प्राप्त होने पर सूचना को सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

बिहार के लिये नई रेलवे लाइनें

७५९. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य में नई रेलवे बनाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) कहां कहां नई रेलवे लाइनें बनाई जायेंगी;

(ग) क्या सीतामढ़ी से सोन बरसा तक रेलवे लाइन बनाने की कोई योजना बनाई गई है जिससे कि उस क्षेत्र के ग्रामों को रेल द्वारा यातायात की सुविधा मिल सके; तथा

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित होगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी हां, उड़ीसा सीमान्त वाले लौह प्रस्तर वाले क्षेत्रों में तथा मुकामा स्थान पर गंगा नदी का पुल बांधे जाने के सम्बन्ध में।

(ग) अभी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

एयरवेज इंडिया के माल ढोने वाले विमान की दुर्घटना

७६०. श्री गौडिलिंगन गौड़ : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ महीने पहले एयरवेज इंडिया का एक माल ढोने वाला विमान गौहाटी में दुर्घटना-ग्रस्त हो गया था ;

(ख) क्या कुछ जांच की गई है; तथा

(ग) यदि की गई है, तो क्या सरकार प्रतिवेदन सदन-पटल पर रखना चाहती है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हां, श्रीमान्, १४ अप्रैल, १९५३ को।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) अभी प्रतिवेदन का परीक्षण चल रहा है । यथोचित समय में एक प्रति सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ बंगलौर के प्रबंधक-संचालक

७६१. श्री वी० पी० नायर : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ के प्रबन्धक-संचालक का नाम, साधारण तथा विशेष दोनों प्रकार की अर्हताएं और उन का कुल मिला कर वर्तमान मासिक वेतन ;

(ख) इस कारखाने में आने से पहले वह किस स्थान पर थे, और उस स्थान पर उन का वेतन कितना था; तथा

(ग) उन की वर्तमान सेवा-शर्तें और निवन्धन ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम):

(क) नाम—श्री आर० नटराजन ।

अर्हताएं—बी० ए०; सदस्य, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स (इंडिया) ; फैलो आफ दि इंस्टीट्यूट आफ डायरेक्टर्स (लन्दन) ।

कुल मिला कर वेतन—रु० २७५० प्रति मास ।

(ख) कारखाने में आने से पहले का स्थान—महाप्रबन्धक, बम्बई टेलीफोन जिला, भारतीय डाक तथा तार विभाग ।

उस स्थान पर वेतन—रु० २०००–१००–२५०० के वेतन प्रमाप में जुलाई, १९४८ में २००० रुपए प्रति मास ।

(ग) वह डाक तथा तार विभाग से 'बाह्य सेवा' पर भारतीय टेलीफोन उद्योग में आए हैं और उन का स्थान किसी पदावधि से आबद्ध नहीं है । अवकाश, अंशात्मक भविष्य निधि के अंश; यात्रा-भत्ता नियम, वार्द्धक्य-आयु आदि विषयों में सरकारी सेवा-शर्तें उन पर लागू होती हैं ।

भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर

७६२. श्री वी० पी० नायर : क्या **संचरण** मंत्री सदन-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिस में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, बंगलौर, में ३५० रुपए मासिक से अधिक कुल वेतन पाने वाले पदाधिकारियों की (१) अर्हताओं के विवरण (२) वर्तमान आयु (३) वर्तमान मासिक वेतन (४) कारखाने में सेवा-काल (५) कारखाने में आने से ठीक पहले यदि किसी स्थान पर रहे हों, तो वे स्थान (६) यदि कुछ दिया गया हो, तो उन को दिया गया लाभांश, और (७) प्रत्येक पदाधिकारी के नियुक्त करने वाला प्राधिकार बताये गए हों ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६०]**

भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, बंगलौर (ठेके)

७६३. श्री वी० पी० नायर : क्या **संचरण** मंत्री सदन-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में १५ अगस्त, १९५३ को कारखाने के जन्म के बाद से रु० २५००० से अधिक के ठेकों द्वारा भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज के हेतु लिए गए सामानों के क्रय के विवरण दिए गए हों और जिन में (१) माल देने वाले का नाम और पता (२) पदार्थ या पदार्थों के नाम (३) ठेके की राशि (४) ठेके की अवधि (५) वह अवधि जिस में सामान दिया गया और (६) यदि कुछ अग्रिम-धन दिए गए हों तो उन की राशि, बताई गई हो ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या, ६१**].

रेलवे पोर्टरों से आय

७६४. ठाकुर युगल किशोर सिंह: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पोर्टरों को लाइसेंस देने से प्रति वर्ष कितनी आय होती है;

(ख) यह राशि किन किन मदों पर व्यय की जाती है और प्रत्येक मद पर कितनी राशि व्यय की जाती है; और

(ग) लाइसेंस शुल्क लेने का उद्देश्य क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दिल्ली जंकशन पर १९५२-५३ में लाइसेंस-प्राप्त पोर्टरों से एकत्र की गई लाइसेंस फीस रु० ४८,४४४/-

(ख) वे शीर्ष, जिन पर यह राशि व्यय की गई, निम्नांकित हैं :

	रुपये
अधीक्षक-वर्ग पर व्यय	३८,३७६/-
लाइसेंस-प्राप्त पोर्टरों को वर्दी	९,५२९/२/-
योग	४७,९०२/२/-

(ग) लाइसेंस-फीस अधीक्षक-वर्ग संबंधी व्यय और पोर्टरों को दी जाने वाली वर्दी संबंधी व्यय की पूर्ति करने के लिए एकत्र की जाती है।

सीजन टिकट

७६५. ठाकुर युगल किशोर सिंह: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में किन किन मार्गों पर सीजन टिकट की परिपाटी अब भी प्रचलित है; और

(ख) किन किन मार्गों पर यह बन्द कर दी गई है और कब से ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) सीजन टिकट पुरानी बंगाल द्वार्स रेलवे शाखा को छोड़ कर उत्तर-पूर्व रेलवे के सभी मार्गों पर दिय जाते हैं।

(ख) यह सुविधा किसी भी मार्ग पर बन्द नहीं की गई है।

राज्यस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग

७६६. श्री भीखाभाई : (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृप ाकरेंगे कि गत तीन वर्षों में (१) हिम्मतनगर-अहमदाबाद, (२) हिम्मतनगर-रिखादेव अ र (३) उदयपुर-रिखादेव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८ के सड़क-निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग को कब पूरा करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :

अहमदाबाद-हिम्मतनगर शाखा—आर-पार नाली-निर्माण समेत (प्रान्तिज-हिम्मतनगर शाखा के आर-पार नाली-निर्माण को छोड़ कर) पूरी शाखा के निर्माण के प्राक्कलन स्वीकृत किए जा चुके हैं और काम चल रहा है। प्रांतिज-हिम्मतनगर शाखा के आर-पार नाली-निर्माण के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

हिम्मतनगर-रिखादेव शाखा— १)हिम्मत-नगर-खेरवाड़ा शाखा रायगढ़ से बिचिवाड़ा तक के भाग को छोड़ कर इस शाखा के सभी प्राक्कलन स्वीकृत किए जा चुके हैं और काम चल रहा है। रायगढ़-बिचीवाड़ा शाखा के

प्राक्कलनों के भी शीघ्र स्वीकृत हो जाने की आशा है ।

(२) खेरबाड़ा-रिखादेव शाखा : एक तारकोल की सड़क पहले से ही विद्यमान है ।

रिखादेव-उदयपुर शाखा—एक तारकोल की सड़क पहले से ही विद्यमान है ।

(ख) बीच की शृंखलाओं का निर्माण लगभग पांच वर्षों में पूरा हो जाएगा ।

आंध्र राज्य के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियां

७६७. **श्री नानादास :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आंध्र राज्य की राजधानी कुर्नूल में स्थित करने के निर्णय के फलस्वरूप (१) किन-किन रेलगाड़ियों की चाल बढ़ाई गई है (२) कौन कौन अतिरिक्त गाड़ियां बढ़ाई गई हैं (३) विद्यमान गाड़ियों में कितने अतिरिक्त डिब्ब जोड़े गए हैं और (४) क्या-क्या अन्य कार्यवाहियां की गई हैं या की जाने वाली हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (१) आंध्र की राजधानी कुर्नूल में स्थित किए जाने के निर्णय के फलस्वरूप दक्षिण-रेलवे की किसी भी विद्यमान रेलगाड़ी की चाल नहीं बढ़ाई गई है ।

(२) २७-९-५३ से बैजवाड़ा और कुर्नूल शहर के बीच एक अतिरिक्त तेज सीधी-गाड़ी शुरू करने का विचार है, जो बैजवाड़ा में मद्रास-हावड़ा मेल से सम्बन्ध मिलाएगी । ये गाड़ियां बैजवाड़ा-द्रोणाचलम् शाखा पर एक्सप्रेस गाड़ियों के रूप में चलेंगी और द्रोणाचलम-कुर्नूल शाखा पर साधारण सवारी गाड़ियों के रूप में ।

(३) विद्यमान गाड़ियों में अभी डब्बे नहीं बढ़ाए गए हैं । फिर भी बंगलौर शहर और कुर्नूल शहर के बीच द्वितीय तथा मध्यम श्रेणी के एक अतिरिक्त डब्बे को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(४) (क) जैसी राज्य सरकार की मांग है, स्पेशल गाड़ियों द्वारा रिकार्ड, फरनीचर और व्यक्तियों को मद्रास से कुर्नूल शहर ले जाने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं, जिस से नए राज्य के सचिवालय तथा कार्यालय एक-लक्ष्य-तिथि तक कुर्नूल में काम करने लगें ।

(ख) जैसा राज्य-सरकार ने निवेदन किया था, मद्रास-रायचूर शाखा की गुटी स्टेशन पर, जो कुर्नूल के सड़क-यातायात का रेलवे-केन्द्र है, विद्यमान सीमित भोजन-व्यवस्था को भी भोजन खिलाने के लिए अस्थायी भोजन-कक्ष आदि खड़े कर के आपात-कालीन व्यवस्था के रूप में बढ़ाया जा रहा है । स्थायी व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

(ग) उच्चतर दरजों के यात्रियों के लिए, जो कुर्नूल तक सड़क से आने-जाने के उद्देश्य से उस स्टेशन पर ठहरना चाहें, गुटी पर विश्रामालय-संबंधी सुविधाएं भी दी जा रही हैं ।

दक्षिण-बिहार चीनी वर्क्स , बिहटा

७६८. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण बिहार चीनी वर्क्स, बिहटा ने बम्बई राज्य में चले जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से आवेदन किया है; तथा

(ख) यदि सच है, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है या करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६२**]

मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

७६९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि २३ अगस्त, १९५३ को बंगलौर और अरसिकेरा छोटी लाइन पर गुब्बी तथा टुमकुर स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर एक मालगाड़ी के नौ डिब्बे पटरी से उतर कर चकनाचूर हो गये थे जिस के परिणामस्वरूप लगभग एक मील तक रेलवे लाइन को क्षति पहुंची थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ; और

(ग) कितने दिन बाद लाइन की मरम्मत हुई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, जब २३ अगस्त, १९५३ को संख्या २९०८ मालगाड़ी गुब्बी तथा टुमकुर स्टेशनों के बीच चल रही थी, इंजिन के बाद के पांचवें डिब्बे से ले कर नौ डिब्बे पटरी से उतर गए और चकनाचूर हो गए ।

(ख) दुर्घटना का कारण जिला अधिकारियों की अन्तर्विभागीय जांच की कार्यवाही के अन्तिम रूप प्राप्त करते ही विदित हो जाएगा ।

(ग) लाइन की दुर्घटना के दिन ही १८-३० बजे पर अर्थात् दुर्घटना के लगभग १६ घंटे के अन्दर-अन्दर मरम्मत कर के उसे यातायात के लिए ठीक कर दिया गया था ।

जैसलमेर डिवीजन में रेलवे लाइन

७७०. **श्री चांडक :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि राजस्थान राज्य के जैसलमेर डिवीजन में कोई रेलवे लाइन नहीं है;

(ख) क्या सरकार को जैसलमेर को किसी रेलवे लाइन से मिलाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या निश्चय किया गया है या किये जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) हां ।

(ग) केन्द्रीय यातायात बोर्ड ने ७ मार्च, १९५२ को हुई अपनी बैठक में यह निश्चय किया था कि इस क्षेत्र में दोनों ओर से यातायात के लिए सब मौसमों में काम आने वाली सड़कें बनानी चाहिएं । अतः निकट भविष्य में जैसलमेर तक नई रेल-लाइन बनने की कोई संभावना नहीं है ।

श्री काकुलम में जनता द्वारा पटरियों का पार करना

७७१. **श्री राजगोपाल राव :** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यात्री संघ, अनदलवालसा से एक घटना के विषय में कोई शिकायत मिली है, जब जिला तटकर अधीक्षक, श्रीकाकुलम् ने पटरियों को पार करने वाले लोगों की एक आकस्मिक पड़ताल की थी और बाद में उन को एक रेलवे-प्रतीक्षालय में रात भर बिना भोजन दिए बन्द रखा था ?

(ख) यदि हां, तो क्या घटना की कुछ जांच की गई है ?

(ग) जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

(घ) क्या सरकार को विदित है कि श्रीकाकुलम् रोड की रेलवे-स्टेशन पर एक पुल न होने के कारण लोग पटरी पार करने को विवश होते हैं ?

(ङ) यदि विदित है, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग). यात्री-संघ, अमदलवालसा से प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट घटना के विषय में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

सामान्य कार्यक्रम के फलस्वरूप १-८-५३ और २-८-५३ को श्रीकाकुलम् स्टेशन पर पटरी पार करन वालों के विरुद्ध नहीं बल्कि बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध खूब रोकथाम की गई थी । उस के फलस्वरूप किसी को रेलवे प्रतीक्षागृह में बन्द नहीं रखा गया ।

(घ) तथा (ङ). इस स्टेशन पर पैदल आने जाने वालों के लिए पुल के अभाव के विषय में १९५२ में होने वाली पूर्वी रेलवे की स्थानीय परामर्शदात्री समिति की एक बैठक में विचार किया गया था और उस में उपस्थित सदस्यों को यह समझा दिया गया था कि तत्काल पुल बनाए जाने की ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पास ही एक धरातलीय रेल-सड़क चौराहा है, और लोग उस का उपयोग करते हैं । फिर भी इस बैठक में यह मान लिया गया था कि यदि धन उपलब्ध हुआ तो इस आवेदन को ध्यान में रखा जाएगा ।

अब स्थिति यह है कि १९५४-५५ के यात्री-सुविधा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले-पहले खंडीय रेल-प्रयोक्ता मंत्रणादात्री समिति की यात्री-सुविधा-समिति को साथ ले कर रेलवे-प्रशासन द्वारा इस विषय पर गुणानुसार विचार किया जायगा ।

मछली मारना

७७२. श्री एस० एल० द्विवेदी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री मछली मारने के बारे में १० जून, १९५२ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ६५८ के उत्तर में दिए गए आश्वासनों आदि संबंधी कार्यवाहियों के अनुपूरक विवरण संख्या ४ का निर्देश करेंगे और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुहानों का पड़ताल कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां तो परिणाम क्या हुए ;

(ग) मछली मारने के लिए किस प्रकार के जाल और गियर उपयुक्त होंगे ;

(घ) इन उपपत्तियों के आधार पर काम शुरू करने के लिए क्या कुछ पग उठाए गए हैं और यदि हां, तो क्या ; तथा

(ङ) आस्ट्रेलिया से आए हुए हलके यंत्रचालित जहाज किस काम आ रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) से (ङ). सूचना पश्चिमी बंगाल सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली-लखनऊ एक्सप्रेस

७७३. श्री एस० एन० दास : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-लखनऊ एक्सप्रेस पर दिल्ली से पूर्वी यू० पी०, उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल और आसाम की ओर जाने वाले यात्रियों को लखनऊ-कटिहार डाकगाड़ी पकड़ने के लिए लगभग आठ घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) क्या इन यात्रियों के लिए तत्संवादी तेज एक्सप्रेस गाड़ी के चलाए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन आया है और उस पर विचार किया गया है ; तथा

(ग) क्या ऐसी गाड़ी चलाने का कोई विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) १६-४-५३ से लखनऊ से गोरखपुर तक के लिए एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाई गई है जो १०-०५ बजे अर्थात् दिल्ली-लखनऊ एक्सप्रेस के आने के २ घंटे २५ मिनट बाद ही लखनऊ से चलती है । ऐसा विचार है कि इस के लिए पर्याप्त इंजिन-डिब्बे उपलब्ध होते ही इसे और इस के साथ की दूसरी ओर से आने वाली गाड़ी को कटिहार तक बढ़ा दिया जाए ।

डाक-सुपरवाइजर

७७४. सरदार ए० एस० सहगल : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४१ और १९४३ में स्पर्द्धा-परीक्षाओं द्वारा भरती किए गए डाक और तार विभाग के इंजीनियर-सुपरवाइजरों की ज्येष्ठता उन के दस वर्ष तक नौकरी कर लेने के बाद निश्चित की गई और इस विषय में गृह मंत्रालय तथा संचरण मंत्रालय और डाक तथा तार संचालनालय के बीच पांच वर्ष तक परामर्श चलता रहा ; तथा

(ख) क्या यह सच है कि जून, १९४२ से दिसम्बर, १९४५ तक के काल में, जिसे सरकारी रूप में युद्ध काल कहा जाता है, गृह मंत्रालय के निर्देशों ने विभागीय नियमों और आर० पैंफलैटों के अनुदेशों को अपदस्थ कर दिया था और सब के ऊपर प्रभावी रहे थे ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ज्येष्ठता संबंधी प्रश्न कुछ दिनों से विचाराधीन था और कुछ महीने पहले ही एक निर्णय किया गया है ।

(ख) गृह मंत्रालय के निदेशों ने आर० पैंफलैटों को, जो उन निदेशों का ही सार हैं, अपदस्थ नहीं किया था, किन्तु जहां तक युद्ध-सेवा के उम्मीदवारों और असैनिक अस्थायी उम्मीदवारों की भरती का प्रश्न था, वे सब के ऊपर प्रभावी रहे थे ।

इंजीनियरिंग सुपरवाईजर

७७५. सरदार ए० एस० सहगल : क्या **संचरण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि १९४१ तथा १९४३ के भर्ती किये हुए इंजीनियरिंग सुपरवाईजरों की अन्तिम उच्चता निर्धारित करने वाले मई १९५३ के डाक तथा तार के महासंचालक के आदेश का पुनर्विलोकन किया जा रहा है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिन के कारण उस विषय पर फिर से विचार करना आवश्यक समझा गया है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नहीं, परन्तु इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले अनेक अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पोस्टल कर्मचारियों को सहायता

७७६. श्री संगण्णा : क्या **संचरण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि जिन क्षेत्रों में हाल में बाढ़ आयी हैं वहां डाक तथा तार विभाग के सभी अधिकारियों के कष्टों को उन्हीं के क्षेत्रों में कम करने के लिये, सरकार ने तीन मास का वेतन पेशगी के तौर पर या ५०० रुपया जो भी रकम कम हो दिया जाना संमोदित किया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उड़ीसा मण्डल के अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली कुल धनराशि कितनी है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, मदरास तथा बंगाल के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करने वाले विभागीय अफ़सरों को पेशगी धन का दिया जाना संमोदित किया गया है। उड़ीसा मण्डल के अफ़सरों के लिये इस प्रकार के पेशगी धन संमोदित नहीं किये गये हैं क्योंकि उड़ीसा में कोई भारी बाढ़ नहीं आई हैं।

नये रेलवे स्टेशन

७७७. श्री राधा रमण : (क) क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५० से १९५३ तक कितने नये रेलवे स्टेशन कायम किये गये हैं और वे कहां स्थित हैं ?

(ख) इन स्टेशनों पर किया जाने वाला कुल व्यय कितना है ?

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में और स्टेशन कायम करने का विचार करती है ?

(घ) क्या देहली राज्य में सरकार का एक उपनगर स्टेशन कायम करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). १९५० से १९५३ तक ८८ नये स्टेशन कायम किये गये हैं। उनकी स्थिति तथा उन पर होने वाला व्यय जिस रूप में प्राप्य है संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६३]**

(ग) हां, जैसे ही और जब आवश्यक समझा जायगा।

(घ) नहीं।

उत्तर प्रदेश में स्टेशनों पर दूध की बिकरी

७७८. श्री बादशाह गुप्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन किन जंकशनों पर दूध बेचने के ठेके नियमित रूप से दिये हुए हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : उत्तर प्रदेश में केवल टूंडला जंकशन तथा कानपुर जंकशन में दूध बेचने के अलग से ठेके हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जंकशन स्टेशनों पर केवल दूध बेचने के अलग ठेके नहीं हैं परन्तु अन्य खाद्य विक्रेताओं के ठेकों के एक अंग के रूप में दूध का नियमित विक्रय करने की आज्ञा है :—

१. गोरखपुर	१८. सहारनपुर
२. भरनी	१९. शाहजहानपुर
३. लखनऊ	२०. बरेली
४. भोजीपुरा	२१. मुरादाबाद
५. कासगंज	२२. नजीबाबाद
६. आगरा फोर्ट	२३. लक्सर
७. ईदगाह आगरा	२४. चंदौसी
८. अछनेरा	२५. राजा का साहसपुर
९. झांसी	२६. हापुड़
१०. ग्वालियर	२७. इलाहाबाद
११. आगरा कैंट	२८. शिकोहाबाद
१२. बांदा	२९. हाथरस
१३. मानिकपुर	३०. खुर्जा
१४. मथुरा	३१. अलीगढ़
१५. मुगलसराय	३२. बनारस कैण्ट
१६. गाजियाबाद	३३. फैजाबाद
१७. मेरठ सिटी	३४. शाहगंज

रेलवे कर्मचारियों को प्रदान किया जाने वाल सेवा विस्तार

७७९. श्री पी० सुब्बा राव : (क) क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेल

(पुरानी बी० एन० रेलवे) के कितने कर्मचारियों को, १९५२–५३ में तथा १ अप्रैल १९५३ से, सेवा विस्तार प्रदान किया गया है तथा नियुक्त किया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इन पुनर्नियुक्तियों तथा सेवा विस्तारों के क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातयात् उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)—

कर्मचारियों की संख्या जिनको सेवा विस्तार प्रदान किया गया	शून्य
कर्मचारियों की संख्या जो १९५२-५३ में फिर से नियुक्त किये गये	४
कर्मचारियों की संख्या जो १–४–५३ से ८–९–५३ तक फिर से नियुक्त किये गये	१२

(ख) अनुभव प्राप्त तथा सिखे सिखाये कर्मचारियों की कमी के कारण तत्सम्बन्धी कर्मचारियों के स्थान पर दूसरे उचित कर्मचारी आदिष्ट करने को नहीं मिल सके।

हुगली नदी में अकारा के स्थान पठोकर (स्पर)

७८०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खडकवास्ला के केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र ने, हुगली नदी में अकारा के स्थान पर १३०० फुट की एक ठोकर (स्पर) बनाने का कोई सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित ठोकर पर कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है;

(ग) इस ठोकर से क्या लाभ होने की आशा है; और

(घ) इस ठोकर के कितने समय में पूरा होने की आशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, प्रस्तावित ठोकर की लम्बाई १२०० फीट है।

(ख) ३४·५८ लाख रुपया।

(ग) आशा यह की जाती है कि ठोकर बन जाने से हुगली नदी संक्रैल खण्ड की नौकागम्य प्रणाली में सुधार हो जायगा।

(घ) सितम्बर १९५४ तक।

कादूर-मंगलौर रेलवे लाइन

७८१. **श्री सिद्धननजप्पा** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर तथा मद्रास राज्यों में कादूर, चिकमगलर, सकलासपुर-मंगलौर रेल लाइन के निर्माण के लिये मांग की गई है ?

(ख) यदि ऐसा है तो, सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियां की हैं अथवा करने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) पहले इस परियोजना के औचित्य एवं भविष्य में सफलता की दृष्टि से मंगलौर से हसन तक रेल लाइन बनाने के लिये परिमाप किया जायगा। कादूर से सकलसपुर तक चिकमगलूर से होती हुई लाइन बनाने पर विचार मंगलौर-हसन लाइन के विषय में निर्णय हो जाने के पश्चात किया जायगा।

प्लेटफार्मों पर होटल

७८२. **श्री पी० सुब्बाराव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी रेलवे के प्लेटफार्मों पर निरामिष तथा सामिष होटलों के ठेकेदारों से वसूल की गई लाइसेंस फीस ;

(ख) यात्रियों से वसूल किये गये खाने के दर;

(ग) भिन्न-भिन्न दर यदि कोई हों तो उन के कारण; तथा

(घ) खाने के दरों में समानता रखने वाली वे कार्यवाहियां जो सरकार करने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः पूर्वी रेलवे के निरामिष तथा सामिष उपाहार-गृहों से वसूल किये गये शुल्क के सम्बन्ध में निर्देश कर रहे हैं। उस सम्बन्ध में १९५२–५३ की स्थिति निम्न है :—

भूतपूर्व ई० आई० रेलवे का भाग—

निरामिष उपाहार गृह	७,७३५ रु०
सामिष उपाहार गृह	१३,२३९ रु०

भूतपूर्व बी० एन० रेलवे का भाग—

निरामिष उपाहार गृह	८२,५०० रु०
सामिष उपाहार गृह	३२,५०० रु०

(ख) यात्रियों से वसूल किये गये दर निम्नलिखित हैं :—

भूतपूर्व ई० आई० रेलवे का भाग—

	निरामिष रु०	सामिष रु०
वनस्पति घी में निर्मित	१–८–०	१–१२–०
शुद्ध घी में निर्मित	१–१२–०	२–०–०

(टिप्पणी : बर्दवान स्टेशन पर निरामिष तथा सामिष भोजन की दर जो शुद्ध घी में बना होता है क्रमशः १–८–० तथा १–१२–० है।)

भूतपूर्व बी० एन० का भाग—

	निरामिष रु०	सामिष रु०
सब से अच्छी किस्म का	१–४–०	१–८–०
उससे घटिया किस्म का	०–१२–०	१–०–०

टिप्पणी :. वनस्पति घी में बना हुआ।

(ग) ये दर, यथासम्भव, उस स्थान में चलने वाले बाजार भाव पर आधारित रहते हैं। कुछ विभिन्नता दिये गये खाने में भिन्नता के कारण भी होती है।

(घ) दरों के अभिनवीकरण की संभावना पर पहले ही से सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

लम्बे रेशे वाली कपास

७८३. **श्री अजमद अली** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गैरो की पहाड़ियों (आसाम) के कपास उत्पादकों को, जैसा कि सरकार द्वारा संसद् के बजट-अधिवेशन में वचन दिया गया था, लम्बे रेशे वाली कपास की खेती पर उसका उत्पादन करने में उन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाहियां की हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): यह स्पष्ट नहीं होता कि माननीय सदस्य किस वचन का निर्देश कर रहे हैं क्योंकि इस प्रकार का कोई भी वचन संसद के पिछले बजट अधिवेशन में दिया गया नहीं जान पड़ता। फिर भी डा० पी० एस० देशमुख द्वारा २–६–१९५२ को एक प्रश्न के उत्तर में इस सम्बन्ध में यह कहा गया था कि देश में लम्बे रेशे वाली कपास की खेती के सम्बन्ध में संसद् को कुछ सूचना दी जायगी तथा वांछित सूचना संसदीय कार्य विभाग को १९–११–५२ को सदन पटल पर रखने के लिये दे दी गई थी।

उपलब्ध सूचना के अनुसार लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन गैरो की पहाड़ियों में ठीक से नहीं होता।

चावल के समाहार-मूल्य

७८४. **श्री बुच्चिकोटय्या**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न राज्यों में वर्ष १९५३–५४ के लिये चावल के निश्चित किये गये समाहार मूल्य ; तथा

(ख) यदि इन में कुछ अन्तर हो तो उस के कारण ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई):(क) एक तालिका सदन पटल पर रखी है जिस में वर्ष १९५२–५३ के चावल के निश्चित समाहार मूल्य दिये हुए हैं। **[देखिये अनुबन्ध ६, परिशिष्ट संख्या ६४]**

१९५३–५४ की खरीफ फसल के समाहार मूल्य, जो नवम्बर १९५३ से प्रारम्भ होती है, विचाराधीन हैं ।

(ख) समाहार मूल्यों के अन्तर भिन्न-भिन्न कारणों से हैं जैसे फसल की सामान्य अवस्था, बाजार मूल्य तथा अन्य प्रतियोगी फसलों के मूल्य के रुखों पर भी विभिन्न राज्यों में समाहार मूल्य निर्धारित करते समय विचार किया जाता है ।

केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियां

७८५. श्री भोखाभाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने रेलों के लिये केन्द्रीय तथा क्षेत्र सम्बन्धी परामर्शदात्री समितियां बनाई हैं;

(ख) यदि ऐसा है तो ऐसी समितियों की संख्या; तथा

(ग) क्या सरकार ऐसी परामर्शदात्री समितियों के सदस्यों के नाम सहित कोई विवरण सदन पटल पर रखने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) एक राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री परिषद् केन्द्र के, छः वर्गीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियां, छः वर्गीय रेलवे के मुख्यालयों में तथा तीन क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियां छः वर्गीय रेलों में से प्रत्येक के अन्तर्गत बनाई गई हैं ।

(ग) परामर्शदात्री परिषद् तथा परामर्शदात्री समितियों के अब तक नामांकित सदस्यों के नाम, जिनका उपर्युक्त (ख) के अन्तर्गत वर्णन किया गया है, सम्बद्ध विवरण में दिये हुए हैं **[प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी हुई है, देखिये संख्या एस०–१३६/५३]**

मधुपुर-रामपुर हाट रेलवे लाइन

७८६. श्री भागवत झा : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कुछ समय पहले मधुपुर और जासीदिह को रेल के द्वारा डुमका के रास्ते पूर्वी रेल पर रामपुर हाट स्टेशन के साथ मिलाने के लिये परिमाप किया गया था ?

(ख) वर्तमान में इस योजना की क्या स्थिति है ?

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में इस का निर्माण करने का विचार करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९४५–४८ वर्षों के बीच हजारी बाग से नलहाती तक परिमाप किया गया था । मूल प्रस्ताव हजारीबाग नगर को कोडरमा, चकाई, जासीदिह, देवघर, और डुमका के रास्ते रामपुर हाट से मिलाने का था, परन्तु बाद में रास्ते को गिरिध, मधुपुर और डुमका के द्वारा बदल दिया गया और नलहाती पर समाप्त कर दिया गया ।

(ख) तथा (ग). १९४९ में यातायात के केन्द्रीय मण्डल ने योजना पर विचार किया, और ऐसा निर्णय किया गया कि इसे तत्समय के लिये रोक देना चाहिये । तब से लेकर इस का आगे कोई विकास नहीं हुआ ।

पीरपैंती-जासीदिह रेलवे लाइन

७८७. श्री भागवत झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;

(क) क्या यह सत्य है कि पीरपैंती को गोडा और डुमका के रास्ते जासीदिह से मिलाया जायगा ?

(ख) यदि ऐसा है तो यह काम कब प्रारम्भ होगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टी० बी० सील्स (क्षय टिकट)

७८८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) १९५१–५२ और १९५२–५३ के बीच मनीपुर में कुल कितने मूल्य के क्षय टिकट बिके हैं ?

(ख) क्या सरकार को पता है कि इम्फाल क्षय-चिकित्सालय में १ आने के क्षय टिकट दो दो आने में बेचे जा रहे हैं ? और

(ग) यदि ऐसी बात है, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाई करने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) १९५१–५२ में २८१ रुपये ९ आने और १९५२–५३ में ३०० रुपये ।

(ख) शून्य।

(ग). (ख) में दिये गये उत्तर के कारण प्रश्न ही नहीं उठता ।

मनीपुर में क्षय रोग निवारक योजनाएं

७८९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या भारत की पंच वर्षीय योजना में मनीपुर के लिये बी० सी० जी० आन्दोलन के अतिरिक्त और कोई क्षय रोग निवारक योजना बनाई गई है ?

(ख) मनीपुर में (१) रोगियों को आराम देने, (२) अतिरिक्त या विशेष भॉजन देने, (३) इरैंटाइन का ब्यौरा रखने, (४) थूक-परीक्षण, (५) स्क्रीनिंग करने और (६) ऐक्सरे की फिल्म लेने के लिये प्रबन्ध करने के विषय में वर्तमान में क्या क्या क्षय-निवारक कार्यवाहियां की जा रही हैं?

(ग) १९५० और १९५३ में क्षय-संस्थाओं में कार्य करने वाले कितने कर्मचारी थे ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि मनीपुर में जर्राही का इलाज नहीं होता ?

(ङ) यदि ऐसी बात है, तो क्या उन रोगियों का जर्राही का इलाज करने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है, जिन को मनीपुर से बाहर विशेष औप्रेशन कराने की आवश्यकता होती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायगी ।

मलेरिया, हैजा और क्षय रोगों के कारण मृत्यु

७९०. **श्री एन० बी० चौधरी**: क्या स्वास्थ्य मंत्री सदन पटल पर एक विवरण पत्र रखने की कृपा करेंगी जिसमें भारत 'वर्ष में राज्यवार १९५०, १९५१, १९५२ के बीच (१) मलेरिया, (२) हैजा, और (३) क्षय रोगों के कारण मृत्यु-प्राप्त व्यक्तियों की संख्या हो ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): १९४९–५१ वर्षों के बीच (१) मलेरिया, (२) हैजा, (३) फेफड़ों का क्षय, इन रोगों के कारण भाग 'क' राज्यों, और देहली, अजमेर तथा कुर्ग के भाग 'ग' राज्यों में हुई मृत्यु का विवरण पत्र सदन पटल पर रख दिया गया है । [देखो परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६५] दूसरे राज्यों के विषय में और १९५२ वर्ष के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

रेलवे क्वार्टर

७९१. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्राधिकारियों के क्वार्टरों की मरम्मत इत्यादि पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी रेल द्वारा कितनी रकम खर्च की गई है ?

(ख) ऐसे क्वार्टरों की संख्या कितनी है ?

(ग) १९५२–५३ के बीच तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत इत्यादि पर कितनी रकम खर्च की गई ?

(घ) इस प्रकार के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्राधिकारियों के क्वार्टरों की मरम्मत पर खर्च की गई रकम का अलग लेखा नहीं रखा जाता ।

(ख) कुल ५२३ । उत्तर-पूर्वी रेल पर १८९, और पूर्वी रेल पर ३३४।

(ग) जैसे प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत के लिये अलग लेखा नहीं रखा जाता, वैसे ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये भी अलग लेखा नहीं रखा जाता ।

(घ) कुल १,२२,१३२ । उत्तर-पूर्वी रेल पर ४५,२६७ और पूर्वी रेल पर ७६,८६५ ।

चन्दवाडा-बुरहो रोड

७९१क. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तिलैय्या बांध के पास चन्दबाड़ा से बुरही तक सड़क का निर्माण दामोदर घाटी निगम के द्वारा किया जा रहा है ?

(ख) यदि ऐसी बात है, तो इस के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा तैयार किये गये सड़क के प्राक्कलन बिहार लोक कर्म विभाग के निश्चित किये गये प्राक्कलनों से अधिक महंगे थे ?

(घ) इस समय सड़क की क्या अवस्था है ?

(ङ) क्या सड़क ठीक रूप से तैयार हो चुकी है, और उस पर तारकोल बिछाया गया है ?

(च) क्या दामोदर घाटी निगम सड़क को सम्भालने में कठिनाइयां अनुभव करती है ?

(छ) यदि ऐसी बात है तो क्या इस सड़क को बिहार लोक कर्म विभाग को सुपुर्द करने के लिये कोई प्रस्ताव है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दामोदर घाटी निगम के द्वारा सड़क अभी तक बनाई जा रही है ।

(ख) एक बड़े पुल को मिला कर अब तक की अनुमानित लागत २५ लाख रुपये है । राष्ट्रीय राज्यपथ निधि के खाते में केवल १·१३ लाख रुपये की रकम डाली जायगी, और बाकी खर्च दामोदर घाटी निगम के खाते में डाला जायगा ।

(ग) क्योंकि बिहार की सरकार द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन विभिन्न सीमासेतु की सड़क के लिये थे, इसलिये दोनों में तुलना करना संभव नहीं है । दामोदर घाटी निगम द्वारा अपनाया गया सीमासेतु अधिक अच्छा है, क्योंकि इसके द्वारा पटना और रांची के बीच लगभग ३ १/२ मील का अन्तर कम हो जायगा ।

(घ) बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में सड़क की अवस्था बुरी है, और दामोदर घाटी निगम इस को सुधारने के लिये कार्यवाई कर रही है ।

(ङ) सड़क अभी निर्माणाधीन है। मैक्सफाल्ट इत्यादि के साथ सरफेस पेंटिंग का काम अभी करना है।

(च) जी नहीं।

(छ) दामोदर घाटी निगम द्वारा निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात सड़क बिहार सरकार के सुपुर्द कर दी जायगी।

उत्पादन में कमी

७९१ख. श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ये रिपोर्टें सच हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में विशेषकर इस्पात, सूती कपड़ा और चीनी के उद्योगों में उत्पादन २० प्रतिशत कम हो गया है ?

(ख) यदि ऐसी बात है, तो सरकार उत्पादन की इस कमी को मिटाने के लिये क्या कार्यवाइयां कर रही है ? और

(ग) इस के क्या कारण हैं, जो भाग (क) में ऊपर वर्णित उत्पादन की कमी के लिये उत्तरदायी हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) समस्त औद्योगिक क्षेत्र के लिये एक रूप में सामान्य उत्तर देना सम्भव नहीं है। इस्पात, सूती कपड़ा और चीनी के उद्योगों के विषय में १९५० से १९५२ तक प्राप्त आंकड़ों से ऐसा पता नहीं लगता कि उत्पादन में कोई विशेष कमी हो गई है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय उत्पादन केन्द्र

७९१ग. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या सरकार ने आई० एल० ओ० के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के उत्पादन विशेषज्ञ श्री ए० डब्ल्यू० बेकर द्वारा बंगलौर में रखे गये इस प्रस्ताव पर कि भारत में एक राष्ट्रीय उत्पादन-केन्द्र स्थापित किया जाय, विचार किया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो सुझाव को कार्य-रूप में लाने की कब संभावना है ?

(ग) ऐसा केन्द्र स्थापित करने से क्या लाभ होगा ? और

(घ) इस पर कितना व्यय होगा ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) जी हां।

(ख) केन्द्र स्थापना के प्रस्ताव पर त्रिदलीय स्थायी श्रम समिति ने विचार किया था, और इस के सिद्धान्तों को सामान्यतया स्वीकार कर लिया गया था। आइ०एल०ओ० के उत्पादन-मिशन द्वारा अब तक किये गये कार्य का परीक्षण करने के पश्चात इस मामले में अन्तिम निर्णय किया जायगा।

(ग) प्रस्तावित केन्द्र भारत में आइ० एल०ओ० के उत्पादन मिशन द्वारा किये गये कार्य को जारी रखेगा, अर्थात् यह प्रदर्शन करेगा कि किस प्रकार से यंत्र विन्यास की आधुनिक टैक्नीक के प्रयोग द्वारा और जहां उचित हो, वहां परिणाम के द्वारा देनगी की योग्य पद्धति में सुधार लाकर, कार्यकर्ताओं की उत्पादन-शक्ति और आय को बढ़ाया जा सकता है।

(घ) सरकार द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों द्वारा केन्द्र १७,००० रुपये का अनावर्तक और लगभग १,००,००० रुपये का आवर्तक वार्षिक खर्चा करेगा। ये केवल प्राक्कलन हैं, और इन में संशोधन भी किये जा सकते हैं।

शुक्रवार,
१८ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit 13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, १८ सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-२७ म० पू०

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देनी है कि श्री मुचाकी कोसा मलेरिया और नाड़ी की सूजन से बहुत बीमार हैं । वह इस समय पत्र पर अंगूठे का चिन्ह भी नहीं लगा सकते । उन की प्रार्थना पर बस्तर जिले के उपायुक्त ने उन की ओर से सदन के चालू सत्र से अनुपस्थित रहने की अनुमति के लिये एक प्रार्थना पत्र भेजा है ।

क्या सदन की यह इच्छा है कि अनुमति दे दी जाये ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

अनुमति दे दी गई ।

पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाले विवरण

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : श्रीमान्, श्री सत्य नारायण सिन्हा की ओर से विभिन्न सत्रों में, जो कि प्रत्येक विवरण के सामने दिये हुए हैं, दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दिखाने वाले निम्नलिखित विवरण पटल पर रखता हूं :

(१) संचित विवरण···लोक सभा का चतुर्थ सत्र, १९५३

[**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६**]

(२) अनुपूरक विवरण···लोक सभा का संख्या ५ तृतीय सत्र, १९५३

[**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७**]

(३) अनुपूरक विवरण···लोक सभा का संख्या ६ द्वितीय सत्र, १९५२

[**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ८**]

(४) अनुपूरक विवरण···लोक सभा का संख्या ७ प्रथम सत्र, १९५२

[**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९**]

(५) अनुपूरक विवरण···अस्थायी संख्या ४ संसद् का पांचवां सत्र, १९५२

[**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०**]

[श्री शाहनवाज़ खां]

(६) अनुपूरक विवरण···अस्थायी संख्या ९ संसद् का तृतीय सत्र (द्वितीय भाग), १९५१

[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ११]

डा० एस० पी० मुकर्जी का निरोध और मृत्यु

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी के निरोध की परिस्थितियों और निरुद्धावस्था में उन की मृत्यु पर चर्चा करेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : श्रीमान् जी, इस सत्र के आरम्भ में डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की दुखान्त मृत्य का उल्लेख किया गया था । इस मृत्यु के कारण सदन से भारत का एक योग्यतम सांसदिक छिन गया । भारत माता के उस महान सपूत की मृत्यु पर, जिस ने कि महासंकट काल में, विशेषतया बंगाल के दुर्भिक्ष के समय, अगस्त १९४२ के आन्दोलन के बाद के घोर अत्याचार के दिनों में और मुस्लिम लीग के शासन के उन भयंकर दिनों में बंगाल और भारत दोनों की सेवा की थी, सारा देश आज भी शोक के आंसू बहा रहा है ।

श्रीनगर म उन की मृत्यु के अप्रत्याशित समाचार को सुन कर लाखों देशवासी स्तम्भित रह गये । उन के जन्मस्थान कलकत्ता नगर में लोगों ने उन्हें अभूतपूर्व श्रद्धांजलि दी । अपने बन्धु-बान्धवों और मित्रों से बहुत दूर काश्मीर के एक सरकारी हस्पताल के ठंडे वायुमण्डल में डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की मृत्यु हुई । परन्तु उन्होंने भारत की एकता और अखण्डता के लिये एक सच्चे शहीद और वीर के समान अपने जीवन की आहुति दे दी ।

परन्तु सब से अधिक दुःख तो इस बात का है कि भारत के इस महान सपूत की स्वतंत्रता का हरण विदेशियों नहीं, अपितु अपने ही भाइयों ने किया था । उन की भयंकर बीमारी के बावजूद भी उन के साथ एक साधारण बन्दी के समान व्यवहार किया गया और उन्हें कारागार में रखा गया ।

मैं आज सदन के सभी भागों से यह अनुरोध करता हूं कि वे सार्वजनिक जांच की इस मांग का समर्थन करें । डा० जयकर जैसे महान व्यक्ति ने भी इस मांग का समर्थन किया है । मुझे आशा है कि भारत सरकार न केवल डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की माता की, अपितु सभी भागों, सभी दलों, बंगाल के और बंगाल के बाहर के लाखों लोगों की इस मांग को स्वीकार करेगी ।

काश्मीर की उप-जेल और हस्पताल में डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की यह दुखान्त मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई यह एक रहस्य है । जनता यह अनुभव करती है कि श्रीनगर और नई दिल्ली दोनों की सरकारों ने इसकी उपेक्षा की है ।

श्रीमान्, आप देखेंगे कि यह स्थिति बहुत विचित्र है । अनुज्ञा प्रणाली किस ने जारी की थी ? यह शेख अब्दुल्ला ने नहीं, भारत सरकार ने शुरू की थी । उस समय तक जब कि डा० मुकर्जी को गिरफ्तार किया गया था, जम्मू और काश्मीर राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं था जिस के अन्तर्गत राज्य में प्रवेश

करने के लिए अनुज्ञा पत्र लेना आवश्यक हो। डा० मुकर्जी की गिरफ्तारी के बाद सदरे रियासत के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसके अधीन अनुज्ञा के बिना प्रवेश को अपराध घोषित किया गया। चूंकि अनुज्ञा प्रणाली भारत सरकार ने शुरू की थी, अतः उत्तरदायित्व भारत सरकार का था। शेख अब्दुल्ला को तथा कथित अनुज्ञा प्रणाली के उल्लंघन के लिए डा० मुकर्जी को गिरफ्तार करने का क्या अधिकार था? और भारत सरकार ने उन्हें अनुज्ञा प्रणाली के उल्लंघन के अपराध में गिरफ्तार नहीं किया था, क्योंकि स्वयं गुरदासपुर के जिला मैजिस्ट्रेट डा० मुकर्जी और उन के साथियों को सीमान्त तक छोड़ने गये थे। प्रतीत होता है कि उन्हें भारत सरकार और जम्मू और काश्मीर सरकार के बीच एक समझौते के फलस्वरूप जम्मू और काश्मीर राज्य में धकेल दिया गया था। डा० मुकर्जी ने स्वयं अपने लेखों में लिखा है कि स्वयं भारतीय अधिकारियों ने उन्हें राज्य में प्रवेश करने के लिए सुविधाएं दीं। अतः, यह स्पष्ट है कि भारत और जम्मू और काश्मीर की सरकारों के बीच एक षड़यन्त्र था, जिसके अनुसार उन्हें जम्मू और काश्मीर में फन्दे में डाला गया, ताकि वे भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जायें और पहले की तरह वह न्यायालय उन्हें रिहा न कर सके।

डा० मुकर्जी के राज्य में निरुद्ध होने के बाद, उन के साथ जो कुछ हुआ, भारत सरकार उसकी जिम्मेदारी से भी बच नहीं सकती। २६ जून को श्रीनगर में एक वक्तव्य के दौरान में शेख साहिब ने कहा था कि पंडित नेहरू के भारत लौटने के तुरन्त पश्चात् वे डा० मकर्जी को दिल्ली भेज देंगे। यदि इस मामले का सम्बन्ध केवल जम्मू और काश्मीर सरकार से था, तो उनके प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य का क्या अर्थ था कि वे तो केवल भारत सरकार की ओर से डा० मुकर्जी के जेलर या अभिरक्षक का काम कर रहे हैं। स्पष्ट है कि ये दो सरकारें यदि किसी षड़यन्त्र के अनुसार नहीं, तो कम से कम एक दूसरे के परामर्श से और मिलकर कार्यवाही कर रही थीं। मैं भारत सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि डा० मुकर्जी को उसके दुरुत्साहन या षड़यन्त्र के फलस्वरूप अवैध रूप से निरुद्ध किया गया था। भारत के नागरिक के रूप में और संसद् के एक सदस्य के रूप में उन्हें भारत के राज्यक्षेत्र के हर स्थान पर जाने का अधिकार था। उन्हें जानबूझ कर इस अधिकार से वंचित किया गया था।

मैं काश्मीर सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उस ने डा० मुकर्जी के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसा कि वे कोई साधारण अपराधी हों। स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य में यह महत्वपूर्ण बात नहीं कही गई कि ११ मई को, उन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें रात के दो बजे तक एक जीप में पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के लिए बाधित किया गया।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन और श्री जयप्रकाश नारायण राजनीति के क्षेत्र में डा० मुकर्जी के साथी नहीं थे, किन्तु इन दोनों ने यह कहा है कि उनकी चिकित्सा ठीक तरह से नहीं हुई और इस सम्बन्ध में भारत सरकार को एक निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

पंडित नेहरू ने, डा० मुकर्जी की माता, श्रीमती जोगमाया देवी को एक पत्र में लिखा है कि वे इस स्पष्ट और

[श्री एन० सी० चटर्जी]

सच्चे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनकी चिकित्सा में कोई असावधानी नहीं हुई थी और उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं दी गई थीं। मैं नहीं समझ सकता कि प्रधान मंत्री कैसे संतुष्ट हो गये थे ? उन्हों ने किस से पूछ ताछ की है ? क्या उन्हों ने श्री त्रिवेदी, संसद सदस्य को, जो कि डा० मुकर्जी के वकील थे और जो अन्तिम दिन उन-से मिले थे, बुलाया है ? क्या उन्हों ने डा० मुकर्जी के साथी नजरबन्दों को, जो कि कई दिन तक सब-जेल में उन के साथ थे, बुलाया है ? क्या उन्हों ने किसी अन्य व्यक्ति को बुलाया है ? डा० मुकर्जी के जेल के साथी ने एक वक्तव्य जारी किया है, जिस में उन्हों ने बतलाया है कि उस स्थान पर जहां उन्हें नजरबन्द किया गया था, उस समय पर भी जबकि उनकी हालत गम्भीर हो गई थी, कोई डाक्टरी सहायता उपलब्ध नहीं थी, परिचर्या की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, सब-जेल में कोई प्रयोगशाला परीक्षा नहीं की गई थी, और उनके हस्पताल में ले जाये जाने पर उन के साथी नजरबन्दों को उनके पास नहीं जाने दिया गया था और डा० मुकर्जी के यह इच्छा प्रकट करने के बाद भी कि उनके साथी नजरबन्दों को अस्पताल में लाया जाये, उन्हें उन की मृत्यु तक कोई सूचना नहीं दी गई थी। यह कितनी अमानुषिक और निर्दयतापूर्ण बात है कि अन्त के समय में चिल्लाते और प्रार्थना करते रहे कि उनके साथी नजरबन्दों को अस्पताल में लाया जाये, किन्तु किसी को उन से मिलने की आज्ञा नहीं दी गई थी।

श्री त्रिवेदी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि काश्मीर सरकार ने उनके भाई, माता या अन्य सम्बन्धियों को कोई सूचना नहीं भेजी और न ही किसी अच्छे निजी डाक्टर की सेवाएं प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। यह एक बहुत गम्भीर आरोप है और इससे पता चलता है कि इस मामल में प्रत्यक्षतः जांच करने की आवश्यकता है। श्री त्रिवेदी ने अपने वक्तव्यों में कहा है कि उन की बीमारी की गम्भीरता का अनुभव नहीं किया गया था। उन्होंने उन की चिकित्सा और देखभाल के सम्बन्ध में और कई आरोप लगाये हैं जो कि बहुत गम्भीर आरोप हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकारी विज्ञप्ति जारी होने और काश्मीर सरकार द्वारा डा० मुकर्जी की बीमारी की डाक्टरी रिपोट प्रकाशित होने के बाद, बहुत से प्रख्यात डाक्टरों ने यह कहा है कि डाक्टर मुकर्जी का इलाज कई तरह से गलत था। इन डाक्टरों में डा० नलिनी रंजन सेन गुप्त, डा० बी० सी० राय, डा० अमल कुमार राय चौधरी और डा० टी० एन० बनर्जी सम्मिलित हैं।

इस सारे दुःखद जीवन नाटक में सब से अधिक निर्दयता पूर्ण बात यह है कि काश्मीर प्राधिकारियों ने उन के भाई न्यायाधीश मुकर्जी या उन की माता या अन्य सम्बन्धियों या डा० बी० सी० राय को जो कि उनके निजी डाक्टर थे कोई सूचना नहीं दी। डा० बी० सी० राय को दो मिनटों में फोन पर बुलाया जा सकता है। उनकी मृत्यु के थोड़ी देर बाद उन्हें सूचित किया गया था, किन्तु जब तक वे बीमार रहे, कोई सूचना नहीं भेजी गई।

डा० मुकर्जी पंडित नेहरू की सरकार की विशेषतः उनकी काश्मीर नीति व पाकिस्तान तथा शरणार्थियों के प्रति उन की नीति की कड़ी आलोचना करने वालों

में से थे। उनकी मृत्यु से लोगों में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। सरकार का विरोध करने वाले व्यक्ति को, बिना मुकदमा चलाये बन्दी बनाये रख कर, जेल में ही मरने दिया जा सकता है, इस बात से प्रजातन्त्र को भारी खतरा खड़ा हो गया है। हमें यह संदेह और यह खतरा दूर करना चाहिये और यह केवल एक उचित जांच द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जनता की इस मांग को स्वीकार करना सरकार के हित में ही होगा। डा० मुकर्जी की मां ने भी इसकी मांग की है। मैं समझता हूं कि यदि दोनों सरकारें अपने को दोषी नहीं समझतीं तो लोगों की इस मांग को पूरी करना उनके हित में ही होगा। एक गणतंत्र में इस प्रकार की घटना का होना हमारे लिये लज्जास्पद है। काश्मीर सरकार का निवारक निरोध अधिनियम हमारे यहां के निवारक निरोध अधिनियम से भी बढ़ा-चढ़ा है। यहां कम से कम निरोध के कुछ कारण तो बताये जाते हैं। परन्तु वहां न तो कोई कारण दिये जाते हैं न कोई आधार ही बताये जाते। कोई यह नहीं जानता कि आखिर निरोध किस लिये हुआ है।

उनका नई दिल्ली और काश्मीर से मौलिक राजनैतिक मतभेद था। परन्तु वह कोई ऐसे अपराधी नहीं थे कि जिन की बीमारी में भी परवाह न की जाये। ब्रिटिश साम्राज्यशाही के ज़माने में भी उनके स्तर के नेता को बीमारी के समय जेल के अन्दर ही नहीं पड़े रहने दिया जाता। उन्हें समय से छोड़ दिया गया होता। यदि सब-जेल से हटाने से पहले डा० मुकर्जी को भी छोड़ दिया गया होता तो इस दुखपूर्ण घटना के साथ काश्मीर सरकार का नाम नहीं लिया जाता। काश्मीर सरकार ने इसमें जो ढिलाई दिखाई है उसका उन्हें जवाब देना है; नई दिल्ली भी इस जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती। चूंकि डा० मुकर्जी संसद् में विरोधी दल के नेता थे इसलिये उनके बारे में और अधिक सावधानी बरती जानी चाहिये थी। मैं पूछता हूं कि भारत सरकार को उनकी भारी बीमारी की सूचना कब दी गई? सरकार ने क्या कार्यवाही की? क्या उसने श्रीनगर को कोई डाक्टर भेजने का प्रस्ताव किया था?

मैं समझता हूं कि जनता की इस मांग को पूरी करना दोनों सरकारों के हित में होगा। उनको चाहिये कि वे मामले की पूरी जांच करें और पता लगायें कि उन की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चितौड़): डा० मुकर्जी के कहने पर मुझे उनको छुड़ाने के लिये काश्मीर जाना पड़ा था। काश्मीर जाने के लिये मैंने रक्षामंत्रालय से 'अनुमति-पत्र' मांगा मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने उत्तर देने में पूरे नौ दिन लगाये और फिर भी यही कहा कि अनुमति-पत्र मुझे यहां से नहीं, मध्य भारत से मिलेगा, जहां का मैं रहने वाला हूं। खैर श्री त्यागी को सूचित करने पर मुझे अनुमति-पत्र मिला परन्तु मध्य भारत के अनुमति-पत्र की मैं आजतक प्रतीक्षा करता हूं। मैं यह सब इसलिय बता रहा हूं जिससे कि आप को पता लगे कि भारत सरकार कितने ढीलेपन से कार्य कर रही थी।

मैं काश्मीर पहुंचा; वहां सबसे पहले मुझे यह बतलाया गया कि मैं डा० मुकर्जी से उनके वकील की हैसियत से, बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के नहीं मिल सकता और मुझे उनसे उर्दू भाषा में बात करनी होगी जिसे डिस्ट्रिक्ट माजस्ट्रेट समझता हो। एक वकील होने के नाते

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

मैं इसे मानने तो तैयार नहीं हो सकता था। अब मैं आप को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें मैंने अपने बक्तव्य में नहीं बताया है क्योंकि मैं उन्हें प्रकाशित करवाना नहीं चाहता था। ये बातें ऐसी हैं जिनसे मैं यह अनुभव करता हूं कि डा० मुकर्जी की मृत्यु के बारे में कुछ गडबड़ हुई है।

जब मुझे अनुमति नहीं मिली तो मैंने इसी दिन सवेरे वापस दिल्ली जाने का इरादा किया। कुछ लोगों के कहने पर शेख अब्दुल्ला से एक बार फिर प्रार्थना की गई परन्तु १३ जुलाई को साढ़े ग्यारह बजे मुझे संदेश मिला कि शेख अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, श्री गुलाम नबी की उपस्थिति के बिना मुझे उनसे मिलने देने की अनुमति नहीं देते। इस फ़ैसले को ध्यान में रखते हुए मैंने इसी दिन वहां से हवाई जहाज से वापस लौटने और यहां आकर उच्चतम न्यायालय में दरख्वास्त देने का इरादा किया परन्तु रात के दस बजे मेरे पास एक बूढ़ा काश्मीरी पंडित आया और मेरे पैरों पर गिर कर बोला "क्या आपने चले जाने का पक्का इरादा कर लिया है? हम सब सारा श्रीनगर आपसे प्रार्थना करता है कि आप न जायें। आप अपना पूरा ज़ोर लगा कर डा० मुकर्जी को यहां से ले जायें। वह मार दिये जायेंगे।" उस व्यक्ति के ठीक यही शब्द थे। इसके बाद मैंने अपने जाने का इरादा बदल दिया और १५ तारीख को मैंने उच्चन्यायालय में दरख्वास्त दी जिस में डा० मुकर्जी से न मिलने देने के बारे में भी ज़िक्र किया। १७ तारीख को उच्चन्यायालय में इस प्रश्न को लिया गया और उस ने फ़ैसला दिया कि ४८ घन्टे के अन्दर मझे उन से मिलने दिया जाय। मने सोचा कि में १७ तारीख को उनसे मिल लूंगा परन्तु तुरन्त ही मुझे बताया गया कि शेख अब्दुल्ला इस पर तैयार नहीं हैं। मेरी स्थिति अजीब सी हो गई थी। परन्तु रात के ग्यारह बजे मुझे संदेश मिला कि शेख अब्दुल्ला ने भेंट की मन्जूरी दे दी है। इस बीच में वहां के कई मंत्रियों से मिला जिन से मुझे पता लगा कि डा० मुकर्जी की गिरफतारी के मामले में सारी कार्यवाही स्वयं शेख अब्दुल्ला द्वारा की जा रही है। उनके हर एक पत्र की स्वयं शेख अब्दुल्ला जांच करता था।

एक और बात है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। १८ तारीख को मैं डा० मुकर्जी से मिला और मैंने उनसे तीन घंटे तक बातचीत की। १९ तारीख को मुकदमा सुनवाई के लिये पेश हुआ। मेरी दरख्वास्त बन्दी प्रत्यक्षण के बारे में थी और उसमें यही मांग की गई थी कि उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये। इस पर माननीय मुख्य न्यायाधीश ने डिप्टी रजिस्ट्रार से मुझे यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा कि अगर मैं अपनी प्रार्थना पर आग्रह करूंगा तो इस से डा० मकर्जी का जीवन खतरे में पड़ जायेगा क्योंकि शेख अब्दुल्ला वहां झगड़े करवा देंगे और शायद डा० मुकर्जी की हत्या कर दी जायेगी। इसे सुन कर मुझे बड़ा धक्का लगा। लोगों की आम राय वहां इस बात की थी। जब वहां रहने वाले ही इस तरह सोचते थे तो आप अनुमान लगाइये कि इतनी दूर बैठे लोग क्या ख्याल करते होंगे। तो यह स्वाभाविक है कि इन परिस्थितियों में डा० मुकर्जी की मृत्यु से लोगों म संदेह उत्पन्न हो और वे यह समझते हों कि ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है।

अब मैं आपको २२ तारीख के बारे में जिस दिन डा० मुकर्जी की मृत्यु हुई, कुछ बताऊंगा। २२ तारीख को सुबह मैं डा० मुकर्जी से मिलने गया, उस समय वह आराम कर रहे थे और हमने मुकदमे के बारे में बातचीत की। उन्होंने मुझे बताया कि उस दिन सवेरे वह चल बसने वाले ही थे। उनके शब्द यह थे : "मेरे भाई, पांच बजे तो चले जाता था।" डा० मुकर्जी ने मुझे सारा हाल सुनाया, मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन सवेरे जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने मुझे बताया कि डा० मुकर्जी को एक नर्सिंग होम में ले जाया जा रहा है। ग्यारह बजे तक तो मैं उनके साथ रहा और उस समय तक उन्हें नर्सिंग होम नहीं ले जाया गया था। मुझे न्यायालय जाना था, वहां मुझे पता लगा कि दोपहर को डा० मुकर्जी को एक छोटी टैक्सी में किसी और स्थान पर ले जाया गया है। मुझे बताया गया कि डा० मुकर्जी को दिल का दौरा हो चुका था। मुझे यह नहीं पता कि किन परिस्थितियों में उन्हें वहां से हटाया गया। न्यायालय से लौटकर मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ डा० मुकर्जी से मिलने गया। वह नर्सिंग होम में नहीं थे बल्कि राज्य के अस्पताल के एक वार्ड में थे। मैंने देखा कि उन की तबियत बहुत खराब है। मैंने वहां के डाक्टर से इस बारे में बातचीत की। वह एक हिन्दू डाक्टर था। डा० अली जान (जिन्हें अखबारों में अली मोहम्मद कहा गया है) मेरे साथ ऊपर नहीं आये। इसके बाद मैं अस्पताल के मैडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट गिरधारी लाल से मिला। शाम को साढ़े सात बजे जब मैं चलने लगा तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वह डा० मुकर्जी का पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे। परन्तु जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मैं जीप में चला तो वह भी उस में सवार हुए और आगे चल कर एक सिनेमा पर उतर गये। रात को जब मैं अपने होटल के खाने के कमरे से बाहर निकला तो मैंने गिरधारी लाल को होटल से शराब पिये लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते हुए देखा। अब आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में डा० मुकर्जी की किस प्रकार देख भाल की गई होगी। अस्पताल के डाक्टरों ने उनको कोई परवाह नहीं की और यह सब शेख अब्दुल्ला के इशारे पर हो रहा था इसके आगे क्या हुआ, यह मुझे नहीं मालूम। लोगों का कहना है कि रात को डा० अली मोहम्मद ने कुछ दवायें खरीदीं। कहा जाता है कि यही दवा उन्हें रात के एक बजे इंजेक्शन द्वारा दी गई। वह दवा क्या थी ? मैं चाहता हूं कि इस मामले में पूरी तरह जांच की जाये और वास्तव में यही बातें हैं जिनकी जांच की ज़रूरत भी है। मुझे इन बातों के बारे में पूरा ज्ञान नहीं क्योंकि मुझे तो अस्पताल सुबह पौने चार बजे ले जाया गया। जो पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मुझे बुलाने आये थे उन्होंने मुझे बताया कि डा० मुकर्जी की हालत बहुत खराब है और उन्हें आक्सीजन दी जा रही है। अस्पताल पहुंचने पर मुझे मरीज़ों से मिलने वालों के कमरे में बिठा दिया गया। मैं एक बहुत सख्त बीमार से मिलने आया था परन्तु मुझे बाहर ही बिठाये रखा गया। थोड़ी देर बाद मुझे पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने बताया कि डा० मुकर्जी मेरे आने से पांच मिनट पहले अन्तिम सांस ले चुके हैं।

यही बातें हैं जो मैं आप के ध्यान में लाना चाहता हूं। लोगों की आपस में बात चीत, डाक्टर की लापरवाही और उसका अस्पताल में देखभाल न करना, एक विशेष व्यक्ति का मेरे पास आकर कहना कि डा० मुकर्जी मार दिये जायंगे यह सब बातें ऐसी हैं जिन पर जांच होनी ज़रूरी है

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

वहां के लोगों को यह संदेह है कि डा० मुकर्जी को जान बूझ कर मारा गया है। वे लोग वहीं के रहने वाले हैं, इसलिये उन्हें सारी बातें हम से ज्यादा मालूम हैं। यदि सदन समझता है कि लोगों के इस संदेह में कोई तत्त्व है तो उसे डा० मुकर्जी के मृत्यु के मामले में पूरी जांच करवाने की मांग पर जोर देना चाहिये।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

आप को इस बात का भी अनुभव करना चाहिये कि यह निवारक निरोध कानून हमारे लिये बहुत शर्म की चीज़ है और इस का फौरन रद्द कर दिया जाना हमारे लिये हितकारी होगा। निवारक निरोध के पीछे इस क़िस्म की बातें होती हैं जैसी मैंने अभी आपको बताईं।

इन शब्दों के साथ मैं फिर से डा० मुकर्जी की मृत्यु के मामले में जांच करवाने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री।

गृह-कार्य तथा राज्यमंत्री (डा० काटजू): मैं एक महान व्यक्ति की मृत्यु पर, जिनका हम सब से मित्रता का संबन्ध था और जो मेरे भी बहुत पुराने मित्र थे, हार्दिक दुख गट करता हूं। उनके पिता हमारे न्यायिक क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति रह चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं इस परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता हूं इसलिए मैं यह कह रहा हू कि डा० मुकर्जी की मृत्यु से हम सब को ही दुख है। यहां पर हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ नहीं देखना है क्योंकि संसदीय संस्थाओं में हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और उन्हें ही हम महत्व भी देते हैं। उनके विचार क्या थे और क्या हैं इसका हमसे संबन्ध नहीं। इसका फैसला करना मतदाताओं के हाथ में है।

मैं सदन से इतना अवश्य कहूंगा कि वह इस विषय पर भावावेश में आकर विचार न करें। पूर्ण शान्ति के बातावरण में ही इस पर चर्चा करना उचित होगा। जैसा माननीय मित्र श्री त्रिवेदी ने अभी कहा मरना एक दिन सब ही को है—किसी की मृत्यु देर से आती है किसी को जल्दी। जब मैं कलकत्ता में था तो वहां भी इसी तरह एक दिन सवेरे सुभाष चन्द्र बोस के बड़े भाई श्री शरद चन्द्र बोस की हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो जाने की खबर सुनी। वह अपने मित्रों से कोई बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान में बीस मिनिट के अन्दर वह चल बसे। तो इसमें कोई क्या कर सकता है।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : क्या माननीय मंत्री शरदबाबू की मृत्यु की डा० मुकर्जी की मृत्यु से तुलना कर रहे हैं?

डा० काटजू : श्री चटर्जी द्वारा बड़े गम्भीर आरोप लगाये गये हैं; मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूं।

फिर, अभी तीन दिन हुये हमने अखबारों में पढ़ा कि अमरीका के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, जिनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई। इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि भावावेश में कह कर हमें इस विषय पर विचार नहीं करना चाहिये।

श्री जे० बी० कृपलानी : क्या मृत्यु के सम्बन्ध में यह प्रवचन है ?

डा० काटजू : आप इसके लिये रुष्ट क्यों हो रहे हैं ?

सभापति महोदय : मैं सदन से शांति रखने की प्रार्थना करता हूं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हम एक घंटे से अधिक से बहुत सी बातें सुन रहे हैं जो कि इस वादविवाद के लिये असंगत हैं। मेरा निवेदन है कि दूसरे पक्ष वाले कुछ शांति रखें ।

श्री जे० बी० कृपलानी : मेरा निवेदन यह है कि हम यहां मृत्यु के साधारण प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहे हैं; हम एक व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बारे में जो कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हुई है, उसकी चर्चा कर रहे हैं ।

सभापति महोदय: शांति शांति । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे शांति रखें और ध्यानपूर्वक सुनें । शांति रखने से कोई हानि नहीं होगी ।

डा० काटजू : सदन के समक्ष की विवादास्पद बातों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो डा० मुखर्जी को बन्दी बनाने की घटनाएं, दूसरे उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव किया गया ? अर्थात् जब वह विरोध में थे तो क्या उनकी देखभाल उचित रूप से की गई थी ?

जहां तक कि पहली बात का सम्बन्ध है माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने शेरीडान के शब्दों में कई बात, प्रत्येक व्यक्ति पर भारत सरकार पर और जम्मू तथा काश्मीर सरकार पर षड़यन्त्र एवं उसमें सम्मिलित होने का आरोप लगाया है । किस लिए ? डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी को बन्दी बनाने तथा उनको जेल में रखने के लिये ।

अब में पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसा सोचने के लिए तनिक भी आधार नहीं है । यह एक दम निराधार बात है। माननीय मित्र ने इसे द्वेष-पूर्ण भावना के आधार पर रखा है ? किन्तु इस विशेष घटना से ३, ४, ५ महीने पूर्व देश में क्या हो रहा था ? मैं समझता हूं कि उनको ११ मई को बन्दी बनाया गया था। यहां देहली में कई महीनों से प्रति दिन प्रदर्शन किये जाते थे । व्यक्ति यहां आ रहे थे, उनको भारतवर्ष के विभिन्न भागों से जैसे बंगाल, बिहार, राजस्थान और मध्य भारत से आमन्त्रित किया गया था कि वे यहां आकर विधान को तोड़ें तथा विधान का उल्लंघन करें । प्रतिदिन गिरफ्तारियां होती थीं और प्रतिदिन प्रदर्शन होते थे मैं इस समय तो विस्तृत व्याख्या करके यह नहीं ठहराने जा रहा कि दोष किसका था ? किन्तु ऐसा उन दिनों हो रहा था; और इस बात को प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस प्रकार के विरोधों का संगठन कौन दल कर रहा था--चाहे वह ठीक हो या गलत--यह तो एक और ही बात है । यह केवल देहली ही तक सीमित नहीं था अपितु पंजाब में भी था । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि जब डा० मुकर्जी देहली से गये उन्होंने काश्मीर जाने की घोषणा खुले रूप से कर दी, और वह पंजाब में ठहरे: और उन्होंने हर जगह प्रेस सम्मेलन किया तथा बताया कि वह वहां क्या करने जा रहे हैं। यह उनका मूल अधिकार था कि वह जो चाहें कहें इसके बारे में मैं वादविवाद करने नहीं जा रहा । किन्तु जम्मू में क्या हो रहा था ? नवम्बर १७, १९५२ से वहां प्रजापरिषद् लगातार विधानों का उल्लंघन तथा क्रांतिकारी

[डा० काटजू]

आन्दोलन कर रही है । मैं उनके उद्देश्यों के विषय में कुछ नहीं कह रहा हूं—उनके उद्देश्य चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हों ?

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

किन्तु इस में कोई सन्देह नहीं है कि पुलिस स्टेशनों को जलाने आक्रमण करने, सरकारी गैर सरकारी तथा पुलिस के पदाधिकारियों को मारने की घटनाएं हुई हैं ।

श्री एस० एस० मोर : श्रीमान्, मेरा यह एक औचित्य प्रश्न है कि क्या यह सब यहां उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल उचित है क्योंकि यह वादविवाद डा० मुकर्जी के निरोध से सम्बन्धित गिरफ्तारी, तथा निरोध में हुई उनकी मृत्यु से सम्बन्धित परिस्थितियों के बारे में हो रहा है । मंत्री महोदय उन परिस्थितियों को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनके अन्तर्गत उनकी गिरफ्तारी आवश्यक थी ।

डा० काटजू : यह पृष्टभूमि है । डा० मुकर्जी संसद् के एक सम्माननीय सदस्य थे । वह वहां जाते हैं और घोषणा करते हैं कि "मैं जम्मू में प्रवेश करूंगा चाहे कुछ क्यों न हो जाय ।"

ठीक है । जहां तक अनुज्ञा योजना का सम्बन्ध है यह योजना सैनिक सुरक्षा के आधार पर चालू की गई थी । यह उस समय जारी की गई थी जब कि युद्ध जैसी कार्यवाहियां हो रही थीं । और यह अनुज्ञा का प्रश्न नहीं था जैसा कि श्री चटर्जी ने कहा है कि काश्मीर पुलिस के महा निरीक्षक के पास दो आदेश पत्र थे जिनको उसने वहां प्रस्तुत किया । डा० मुकर्जी यह घोषणा करते रहे थे कि वह जम्मू में प्रवेश करेंगे तथा उनके विरुद्ध लगाये जाने वाले सभी प्रतिबन्धों का वह उल्लंघन करेंगे । जब उन्हें कोई अनुज्ञा पत्र देने की बात नहीं थी तो जम्मू तथा उसके आस पास के क्षेत्रों की स्थिति तथा अराजकता को देखते हुए वहां की शांति एवं सुरक्षा के लिये यह हितकर नहीं था कि डा० मुकर्जी वहां जाएं । हम सभी लोग सत्याग्रही रहे हैं, यह ब्रिटिश सत्ता के समय हमें सिखाया गया था । और हम तनिक सी बात पर कह बैठते हैं कि मैं विधान का उल्लंघन करने जा रहा हूं । मैं समझता हूं कि डा० मुकर्जी को उस समय जब कि पुलिस के महानिरीक्षक ने आदेश पत्र दिखाया था और कहा था कि भगवान के लिए जम्मू सीमा में आप न प्रवेश करें तो डा० मुकर्जी को चाहिए था कि वह यह कह कर वापिस आ जाते कि "अच्छी बात है अब तो मैं वापिस जाता हूं किन्तु देहली जाकर इसका विरोध करूंगा, एवं संसद में विरोध करते हुए कहूंगा कि आप लोग बहुत ही हानिकारक ढंग में कार्य कर रहे है ।" किन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया । मेरा सुझाव है कि सम्भवतः जम्मू पदाधिकारी इस बात को जानते थे कि डा० मुकर्जी जम्मू प्रवेश के आदेश को नहीं मानेंगे और फिर उनको गिरफ्तार करने का उत्तरदायित्व उन पर रहेगा । अतएव उनके पास दोनों ही आदेश पत्र थे । ऐसा करने का उन्हें अधिकार था क्योंकि वे जानते थे कि क्या होने वाला है । श्री चटर्जी का कहना है कि उन्होंने डा० मुकर्जी को आदेश दिखलाये तदोपरांत सुरक्षा अधिनियम, अध्यादेश, चाहे जो

कुछ भी इसे कहा जाता हो, उन्होंने उन्हें निरोध में ले लिया ।

दूसरी शिकायत है कि उन्हें श्रीनगर ले गये। क्या होता यदि वह जम्मू में ही रहे होते । इसके बाद में कोई भी नहीं जानता। जिस पर श्री चटर्जी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि वह भी षड़यन्त्र में सम्मिलित हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : भारत सरकार नहीं अपितु यह पंजाब सरकार है···

डा० काटजू : डा० मुकर्जी के बन्दी बनाने का आरोप भारत सरकार पर है किन्तु यह मामला एक दम जम्मू तथा काश्मीर सरकार का है । हमने उन्हें अनुज्ञा के लिए इन्कार नहीं किया था और चूंकि अनुज्ञा सैनिक सुरक्षा के आधार पर थी अतएव हमने जम्मू तथा काश्मीर सरकार पर ही इसका निर्णय छोड़ दिया कि वह उन्हें प्रवेश करने देगी अथवा नहीं । इसमें गलत क्या है ? अब हमसे कहा गया है कि जांच कीजिए । जांच किसकी ? उस समय कोई भी यह नहीं जानता था कि डा० मुकर्जी की वहां मृत्यु हो जायेगी । ये दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं (१)उनको बन्दी बनाने का तथ्य (२) तथा उसके उपरान्त क्या हुआ ? जहां तक कि पहली बात का सम्बन्ध है यह तो विचारों की कल्पना है । हम इस प्रकार का कार्य क्यों करें । उच्चतम न्यायालय भी है । यदि यहां कुछ हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय का भी अपना क्षेत्र है । वहां एक उत्तरदायी उच्च न्यायालय है श्री त्रिवेदी प्रमाणित कर सकते हैं कि वहां क्या हुआ ? जब अपने मवक्किलों से परामर्श की आज्ञा नहीं दी गई तो वे वहां गये, आज्ञा ली, और वे वहां तीन घंटे तक रहे।

जम्मू तथा काश्मीर सरकार चाहे वह उस समय शेख अब्दुल्ला की थी अथवा चाहे किसी और की, और जब कि समस्त भारतवर्ष में एवं जम्मू में विशेषरूप से जब कि उपद्रव हो रहे थे, तो उस समय वे एक दल के नेता को जो जानबूझ कर समस्त भारत में इस प्रकार के प्रदर्शनों का संगठन कर रहे हों, प्रवेश करने की अनुमति देती। आखिर विधि एवं शांति को बनाये रखने के लिए वे भी तो उत्तरदायी हैं ।

अब दूसरी बात को लीजिये । मैं इस बात से सहमत हूं कि जो डाक्टर उनकी देख रेख कर रहे थे उनको चाहिये था कि वे डा० मुकर्जी के सम्बन्धियों को पत्र लिख देते । किन्तु कठिनाई यह है कि उनके मित्र बराबर उनसे मिलते रहे किन्तु किन्हीं ने भी न तो उनके भाई को और न मुझे ही तथा न किसी अन्य व्यक्ति को ही कुछ लिखा, और न यह बताया कि वे पीले पड़ते जा रहे हैं उनके उचित उपचार की आवश्यकता है । हम सभी लोग जेलों में रहे हैं वहां निरन्तर कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है किन्तु फिर ठीक हो जाते हैं । यह टांग की सूजन हो सकती है, कोई भयंकर बीमारी हो सकती है अथवा साधारण । १२ जून को श्री त्रिवेदी जो कि ख्यातिप्राप्त बेरिस्टर हैं डा० मुकर्जी से मिलने जाते हैं और डा० मुकर्जी को काफ़ी प्रसन्नचित पाते हैं । उन्होंने डा० मुकर्जी के भाई को कुछ नहीं लिखा। १६ तरीख को सरदार हुक्म सिंह उनसे मिलने गये । दो तीन घंटों तक उनके साथ रहे, उन्होंने राजनीति पर भी बातचीत की कि इस प्रजापरिषद् आन्दोलन को समाप्त कर देना चाहिये क्योंकि यह देश के लिये भयंकर तथा हानि कारक

[डा० काटजू]

है । उन्होंने पश्चात् को एक वक्तव्य प्रेस को दिया जिसमें उन्होंने कहा कि डा० मुकर्जी बिल्कुल ठीक हैं । तीन घंटे की बातचीत में यदि उन्होंने ऐसा पाया होता कि डा० मुकर्जी की स्थिति ठीक नहीं है तो उन्होंने अपने मित्रों को यह कहला भेजा होता, उन्होंने अपने परिवार को बता दिया होता कि डा० मुकर्जी की दशा अच्छी नहीं है । अब महत्वपूर्ण १८ ता० आती है ।

श्री त्रिवेदी को काश्मीर के उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलती है, वे वहां जाते हैं और अपने मुवक्किल से मिलते हैं और सदन को मालूम हो जायेगा कि वे डा० मुकर्जी के साथ कितनी देर तक रहे, तीन घंटे, विलेखों और दस्तावेज़ों तथा अभियाचनाओं और शपथपत्रों का प्रारुप बनवाते रहे, सारी चीज़ की चर्चा की, वहां बैठे रहे, मैं समझता हूं कि एक प्याला चाय अवश्य पिया होगा, उन से सब तरह की बातें कीं, वापस लौट आते हैं, बीमारी के बारे में किसी से भी एक शब्द नहीं कहते, श्री न्यायाधीश रामाप्रसाद मुकर्जी को कभी यह नहीं लिखते कि "मैं डा० मुकर्जी के साथ तीन घंटे रहा और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका स्वास्थ्य कुछ असंतोषजनक है" ऐसा कभी नहीं कहते । यह १८ तारीख है ।

अब हम २० तारीख पर आते हैं, शुष्क प्लूरेसी थोड़ा बुखार । उनकी माता के नाम में प्रसारित इस पुस्तक में, चाहे जिसने भी इस पुस्तक के प्रकाशन का प्रबन्ध किया हो, आपको एक तापमान लेख मिलेगा। तापमान १०२ से अधिक नहीं होता । लेकि है अवश्य, शुष्क प्लूरेसी, डाक्टरी इलाज । और तब २२ तारीख आती ह । जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर मैं सदन से विचार करने के लिये कहता हूं । प्रातःकाल ४ बज़े अचानक हालत खराब हो जाती है, हृदय गति का मन्द पड़ना, पसीना बहुत आना, सांस का कम आना और सभी चीज़ें । ईश्वर की कृपा से एक सहबंदी एक वैद्य थे और कुछ इलाज तत्काल किया गया और रोगी की दशा सुधर गई । एक डाक्टर आय । शहर बहुत दूर है । डाक्टर सात बजे आये, उनकी परीक्षा की और कहा 'हृदय में कुछ गड़बड़ी है; हमें उन्हें नर्सिंग होम ले जाना होगा ।' श्री त्रिवेदी फिर वहां जाते हैं । मैं कहता हूं कि मैं औषधि का डाक्टर नहीं हूं किन्तु मैं मानव अनुभव का एक डाक्टर हूं । मेरे परिवार में और सभी जगह परिवारों में ये बीमारियां हुई हैं । श्री त्रिवेदी को इस बात को देखना चाहिये कि हम लोग इस मामले में क्या व्यवहार करते हैं । यहां पर हृदय रोग का एक रोगी था, जिसे प्रातःकाल ४ बजे एक दिल का दोरा हुआ था, और वह बैरिस्टर वहां १० बजे जाते हैं और पूरा एक घंटा मुवक्किल से परामर्श करने में लगाते हैं । मैं कहता हूं कि मैं डाक्टर को दोष देता हूं । डाक्टर को किसी भी मिलने वाले को एक मिनट के लिए भी रोगी से नहीं मिलने देना चाहिये था ।

वे वहां गये, उन्होंने बातचीत की, वह रोगी के साथ सवा घंटे तक रहे । मुकद्दमा उच्च न्यायालय में चल रहा था । उन्होंने इस पुस्तक में अपना वक्तव्य छपवाया है । और वह मुकदमें में बहस करने के लिये काश्मीर उच्च न्यायालय में गये; कलकत्ता में किसी को भी तार या टेलीफोन द्वारा ज़रा भी सूचना नहीं भेजी कि "ऐसा हुआ है ।" वह जानते

थे कि कोई सूचना नहीं दी गई थी। कदाचित उन्होंने यह सुझाव रखा कि सूचना भेजी जा सकती है। लेकिन डा० मुकर्जी ने कहा, "अब मैं बिलकुल ठीक हूं" वह बिल्कुल ठीक थे क्योंकि वह उन से एक घंटे तक बातें करते रहे थे। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति ने यह सोचा कि यह एक अस्थायी गड़बड़ी थी, दो मिनट के लिये, और कोई विशेष चिन्ता की बात नहीं थी। श्री त्रिवेदी इस सम्बन्ध में बहुत चिन्तित हैं; कचहरी से वापस आते हैं और फिर इस तथाकथित नर्सिंग होम में जाते हैं...अब प्रत्येक व्यक्ति उसका उल्लेख अत्यन्त व्यंग पूर्ण भाषा में करता है...वह वहां जाते हैं और श्रीमान् क्या आप इस पर विश्वास करेंगे कि वह दुबारा रोगी के पास सवा पांच बजे से साढ़े सात बजे तक रहते हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं वहां पर साढ़े छः से साढ़े सात तक रहा।

डा० काटजू : आप वहां साढ़े पांच से सात बज कर पन्द्रह अथवा बीस मिनट तक रहे। खैर इससे कोई मतलब नहीं कि आप वहां कब पहुंचे।

वह कहते हैं कि "मैंने डा० मुकर्जी को बिस्तर पर लेटे हुए पाया। यद्यपि वह मुस्करा रहे थे पर बहुत पीले दिखाई पड़ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वे उतनी अच्छी दशा में नहीं थे जैसे वह प्रातःकाल थे। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि वह अनुभव कर रहे थे कि वह कुछ अच्छे हैं। तब जिलाधीश ने उनको उन के सारे पत्र दिये--जो लगभग १५ या २० थे।"

उन्होंने (डा० मुकर्जी ने) उन सब पत्रों को पढ़ा और श्री त्रिवेदी को कुछ के उत्तर लिखाये, चेकों पर हस्ताक्षर किये और कुछ व्यापारिक काम किया। वह वहां बैठे रहे और कदाचित फिर राजनीति पर बातचीत की और मुकदमे के विषय में बात की। वह हृदय रोग के रोगी थे। मैं इस मुलाकात की अनुमति देने के लिये डाक्टर को दोष देता हूं। मैं वहां जाने के लिये श्री त्रिवेदी को सब से अधिक दोष देता हूं।

यह स्नेह क्या है ? यदि कोई हृदय रोग का रोगी हो तो आप उस को अकेले रहने दीजिये। आप वहां जायं बगल वाले कमरे में बैठें. उसकी देखभाल करें, उसको दवाइयां दें, नर्स आदि का प्रबंध करें। लेकिन रोगी को बिलकुल चुपचाप रहने दीजिये। क्या एक दोस्त को ऐसा व्यवहार करना चाहिये। उन्होंने विभिन्न विषयों पर उन से बातें की और साढ़े सात बजे वहां से लौटे। नौ बजे हालत स्पष्ट रूप से खराब हो गई और एक बजे वह बहुत ही बिगड़ गई। डाक्टरों ने भरसक सब कुछ किया।

मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने डाक्टरों के वक्तव्य पढ़े हैं, और उन डाक्टरों में से मैं बहुतों को जानता हूं। एक तो वहां के सरकारी भवन में हमारा सलाहकार था और योग्य व्यक्ति है। लेकिन उन्होंने जो तमाम निराधार अफवाहें फैलाई थीं उनकी इस लम्बे वक्तव्य में, जो इस पुस्तक में ४३ पृष्ट ले कर ४८ पृष्ट तक छपा है, कोई चर्चा नहीं की है। मुझे उन से ऐसी आशा नहीं थी।

तब सब लोगों ने यह सोचा कि सम्बन्धियों को सूचना भेज दी जानी चाहिये। श्री त्रिवेदी ने इस सम्बन्ध में डा० मुकर्जी से पूछा भी पर उन्होंने कहा कि उन्होंने

[डा० काटजू]

२ बजे तार भेज दिये थे और अब किसी प्रकार की सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से अच्छा तो यह होता कि उनके इतना कहने पर भी डाक्टरों ने कलकत्ता तार भेज दिया होता। डा० मुकर्जी ने वे तार अपनी वृद्धा माता अपने बेटे और भाई का ख्याल कर के भेजे थे। लेकिन आपको यह जानना चाहिये कि यह हृदय रोग का मामला था। श्री त्रिवेदी को बताया गया था। क्या त्रिवेदी ने किसी को कोई तार भेजा था।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरी उपस्थिति में जिलाधीश ने कहा था कि तार भेज दिये गये हैं। फिर मेरे और तार भेजने से क्या लाभ होता !

डा० काटजू : मेरा कहने का मतलब दूसरा है। डा० मुकर्जी ने जो अपने परिवार को तार दिये थे उनमें कहा गया था चिन्ता मत करो, मैं काफी अच्छा हूं, मेरी देख भाल भली प्रकार हो रही है, मेरे लिये सभी संभव चीजों की जा रही हैं मैं बिलकुल ठीक हूं। वे आश्वासन देने के लिये थे। लेकिन यदि आप वहां जाते है और यह पायें कि रोगी हृदय रोग से पीड़ित है तो मैं तो यह आशा करता हूं कि आपको अथवा उनके प्रत्येक मित्र को कुछ करना चाहिये था।

अब आप जांच करवाने पर जोर दे रहे हैं। किस चीज की जांच ? जांच क्या है ? याद रखिये कि एक जांच के तीन उद्देश्य होते हैं। यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे दण्ड मिलना चाहिये। अन्यथा यदि कोई अपराध न हो, कोई लापरवाही न हो तब एक जांच गलतियों से बचने के लिये की जाती है। एक हवाई दुर्घटना होती है तो उसके कारण पता लगाने के लिये जांच की जाती है ताकि फिर वैसी दुर्घटना न हो। लेकिन यहां पर मैं किस चीज़ की जांच करूं। योग्य डाक्टरों द्वारा दवा आदि का प्रबन्ध हुआ था। डाक्टर खरे का विचार है कि दवा १८ घंटे पूर्व दी जानी चाहिये थी। लोगों का विचार है कि भारफीन देनी चाहिये थी आदि। मैं समझता हूं कि डाक्टरों ने अपने भरसक सब कुछ किया था। किसी को क्या मालूम था कि ऐसी बात होने वाली है।

श्री चटर्जी ने मुझ से एक प्रश्न किया है कि भारत सरकार को उस के बारे में कब मालूम हुआ। प्रधान मंत्री योरप गये हुए थे। मैं ने उपाध्यक्ष महोदय से यह नहीं पूछा कि उन्हें कब सूचना मिली थी। मुझे इसकी सूचना लगभग साढ़े चार बजे सुबह एक खुफ़िया समाचार से प्राप्त हुई थी। समाचार यह था कि डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की हालत अत्यंत सोचनीय और खराब थी। मैं सचमुच जाग उठा। मैं ने पूछा अब क्या करना चाहिये। मैं ने उन से कहा कि आप फिर से पूछिये कि उन की दशा अब कैसी है; क्या उनके संबंधियों को सूचित कर दिया गया है; क्या कोई तार भेजा गया है उत्तर मिलने से पूर्व ही उन की मृत्यु हो चुकी थी। मैं बताता हूं कि सारे देश को जो धक्का पहुंचा वह इस लिए था क्योंकि डा० मुकर्जी द्वारा भेजे गये अभागे तार देर से पहुंचे। मैं उनकी माता और भाई की दशा का अनुमान लगा सकता हूं। वे टेलीफोन के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। अचानक यह समाचार मिलता है

कि डा० मुकर्जी की मृत्यु हो गई। प्रधान मंत्री बता चुके हैं कि क्या हुआ था। उन्हों ने वायुमण्डलीय दशा के कारण संबंधों के टूट जाने के विषय में भी बताया है। अतः प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य चकित था। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि डा० मुकर्जी ने होना टामस नाम के एक कल्पित व्यक्ति को पत्र लिखे थे, जिनमें से कुछ प्रकाशित हुए हैं। उक्त महाशय मेरे और श्री चटर्जी दोनों ही के गहरे मित्र हैं और वह हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड में एक लेखक हैं। उन के पत्र मौजूद हैं। स्वयं डा० मुकर्जी को इस बात का कभी संदेह नहीं था कि उन का जीवन संकट में था। वह संकट ३ या ४ घंटे के अन्दर एक बाढ़ के समान आया। बहुत संभव है वह बाढ़ इस लिये आई हो क्योंकि एक बहुत बड़ा बांध टूट गया था, अर्थात डा० मुकर्जी को शांति नहीं लेने दी गई थी और उन्हें उनके मिलने वालों ने उस दिन तीन घंटे तक दो बार परेशान किया। यह मेरा आरोप है।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : क्या डाक्टरों ने इसे रोका नहीं।

डा० काटजू : डाक्टरों ने इसे नहीं रोका तथा उन्हें इससे भय लगने लगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : शर्म की बात है कि आप ऐसा बहाना बना रहे हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि मुझे केवल ७-१५ पर जब मैं डा० मुकर्जी से बात कर रहा था, यह मालूम हुआ था कि डा० मुकर्जी हृदय रोग से पीड़ित हैं ?

डा० काटजू : वास्तव में सदन को श्री त्रिवेदी से बिलकुल विभिन्न प्रकार की आशा है। उनका पेशा भी वही है जो मेरा है। उन्हों ने रंगून, नीमच तथा मध्य भारत में विभिन्न न्यायालयों में कितने ही हत्या के मामलों की पैरवी की है। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके लिए डा० मुकर्जी के स्वास्थ्य का उस हालत में तीन घंटों तक बातचीत का करना उचित था ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : केवल ७-१५ पर जब डा० मुकर्जी ने अपना हाथ अपने हृदय पर रखा तो मुझे डाक्टर ने बतलाया कि उन्हें दिल की तकलीफ़ है तथा कि उन्हें कष्ट नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : प्रत्येक व्यक्ति को मालूम था कि यह एक गम्भीर अवस्था है।

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : उन्हें यह प्रातःकाल ही मालूम था।

डा० काटजू : मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। वास्तव में श्री त्रिवेदी अपने बारे में भूल रहे हैं। वह यह भूल रहे हैं कि डा० मुकर्जी को निशात बाग के बंगले से नर्सिंग होम इसलिये ले जाया गया कि वे बीमार थे। इस से पहले उन्हें सूचना दी जा चुकी थी कि प्रातःकाल उन्हें दिल का दौरा हुआ था। अब उन का कहना है कि "उन्हों ने अपना हाथ दिल पर रखा तो मुझे मालूम हुआ कि उन्हें दिल की तकलीफ़ है।"

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : आखिर भेद खुल गया। उन्हें दिल की तकलीफ़ का पता था।

डा० काटजू : मुझे बहुत दुःख है। मैं इस बहस में किसी तमाशे की भावना से भाग नहीं ले रहा हूं । हम सब को बहुत अफ़सोस है । हम सब शोक मना रहे हैं तथा यह एक शोक मनाने का मामला है । मेरे मन में उन की वृद्ध माता तथा सभी के प्रति बहुत सहानुभूति है । ऐसा सब कुछ होते हुए भी कौनसी बात है जिस की हम जांच करें ? सभी तथ्य आपके सामने हैं तथा इन्हें दाग़ दिया जा चुका है । आप इस र में क्या करेंगे । श्रीमती कृपलानी तथा श्री मोरे ने कहा है कि यह एक भावना का मामला है । मेरा कहना है कि जांच की मांग केवल भावनावश की गई है तथा किसी बात की जांच की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझा था कि यह बहस ११ बजे तक समाप्त हो जायगी । परन्तु बहुत से सदस्य अभी इस पर बोलना चाहते हैं । अतएव हमें गैर-सरकारी संकल्प के समय में से कुछ समय को इस बहस पर लगाना होगा । मैं इस बात को सर्वथा सदन पर छोड़ना चाहता हूं ।

श्री गाडगील : अब बहस के लिए और कोई बात नहीं रह गई है । उन्हीं बातों को फिर दोहराने से क्या लाभ ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर बारह बजे तक बहस करेंगे तथा बाद म संकल्प को लेंगे । दोनों ओर के दस या पंद्रह मिनट तक बोलेंग इस मामले में मैं सदन की इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं । यदि संकल्प पर बहस न भी हो सकी तो इसे फिर कभी लिया जा सकता है ।

श्री केलप्पन : श्रीमान्, मैं एक बात पूछना चाहता हूं । क्या यह तथ्य है कि डा० मुकर्जी के तथाकथित सुन्दर बंगले में बड़े से बड़े कमरे की लम्बाई १० फुट तथा चौड़ाई ८ फुट थी जो जेल के उन कमरों से बहुत छोटा है जिसमें साधारण बन्दियों को रखा जाता है ?

डा० काटजू : मैं ने उस मकान को स्वयं तो नहीं देखा, परन्तु यह एक सुन्दर छोटा सा मकान है जो एक सुन्दर पहाड़ी पर तथा एक सुन्दर झील के किनारे है । जेल में स्वच्छ हवा तथा सुन्दर दृश्यों को देखने के लिए आप को कुछ अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं है । हो सकता है कि आंगन के बहुत छोटा होने से सरदार हुक्म सिंह ने यह प्रार्थना की हो कि डा० श्यामा प्रसाद को सारे निशात बाग़ में घूमने की अनुमति दी जाय । कृपया उन के सचिव तथा उन के अपने पत्रों को पढ़िये जिन में लिखा है कि उन्हें बहुत आराम से रखा गया है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं । सरदार हुक्म सिंह वहां जा चुके हैं तथा सम्भवतः उन्हें अधिक मालूम हो । मैं ने उस मकान को देखा तो नहीं परन्तु मैं ने उन इमारतों के चित्रों तथा उन्हें बाहर से अवश्य देखा है । निश्चय ही वे छोटे छोटे मकान हैं तथा गैर-सरकारी मकान हैं । उनके कमरे भी छोटे हैं । इन शरद स्थानों में बड़े कमरे नहीं बनाए जाते क्योंकि वे बहुत ठंडे हो जाते हैं । वे मकान जेल के अभिप्राय से प्रयोग के लिए नहीं बनाए गए हैं । मैं उन की ठीक ठीक लम्बाई चौड़ाई नहीं बतला सकता ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मैं ने वह कमरा देखा था । यह १२'×१५' था ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं श्री केलप्पन को बतला दूं कि वह कमरा १२'×१५' था ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मैं उस स्थान पर १६ तारीख को गया था । यह ठीक है कि मैं ने डा० मुकर्जी से प्रजा परिषद् आन्दोलन तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में बात-चीत की थी । मैं उन के साथ दो घंटे से अधिक रहा । देखने से मुझे उन में कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दी जो चिन्ताजनक हो । उन्हों ने सरकार के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की--सिवाय इस के कि यदि उन्हें प्रातःकाल घूमने की अनुमति दी जाय तो वे अधिक खुश रह सकेंगे ।

हम बंगले के बाहिर बैठ थे जिस कारण मैं कमरों की लम्बाई चौड़ाई नहीं बतला सकता । किसी को सन्देह नहीं कि बंगला सुन्दर था तथा सुन्दर झील के किनारे पर था । परन्तु निश्चय ही डा० मुकर्जी को यह बात बहुत महसूस हो रही थी कि बंगले का आंगन बहुत छोटा था तथा उस में सब्जियां लग रही थीं जिस से वह इधर उधर घूम नहीं सकते थे । उसी शाम शेख अब्दुल्ला मुझे एकाएक नेहरू पार्क में मिल गये तथा मैं अवश्य ही कहना चाहता हूं कि वे तत्काल इस बात से सहमत हो गए कि उन्हें अगले प्रातः से घूमने की अनुमति दी जायगी । परन्तु उन के आदेश का कभी पालन नहीं किया गया तथा बाद में जो डा० मुकर्जी वहां रहे तो उन्हें घूमने नहीं दिया गया । मुझे निश्चित रूप से तो पता नहीं, परन्तु मुझे यही बताया गया कि उन आदेशों का पालन नहीं किया गया । ऐसा इस आशंका से किया गया था कि यदि वह बाहिर आ गए तो लोग बहुत सी संख्या में एकत्र हो जायेंगे तथा हो सकता है कि उपद्रव हो जाय । मुझे यही उत्तर दिया गया था ।

उनके स्वास्थ्य के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं कि क्या हुआ । मैं वहां से २० को चला आया था । २१ के दिन मैं ने सरकार को सुझाव दिया था कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा को डा० मुकर्जी से मिलने दिया जाय । तथा वे दोनों मिल कर सारी स्थिति पर विचार करें । २१ को मुझे बतलाया गया कि डा० मुकर्जी को कुछ तकलीफ है । उप-प्रधान-मंत्री ने मुझे बतलाया कि कुछ डाक्टरों को उन की देखभाल के लिये नियुक्त किया गया है । बाकी रहा कमरे की लम्बाई चौड़ाई का सवाल, उस के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, मैं अनुभव करता हूं कि इस बहस में कोई बात ऐसी नहीं कही जानी चाहिये जिस से कश्मीर के लोगों के साथ हमारे सम्बन्ध खराब हों तथा हमारे प्रजातन्त्र की लौकिकता को कोई धक्का पहुंचे । जिस दिन डा० मुकर्जी का मृत शरीर कलकत्ता पहुंचा था, वहाँ पर साम्प्रदायिक झगड़ों की बहुत सम्भावना हो गई थी । इस विचार से मैं अनुभव करता हूं कि हमें इस मामले पर बहुत सावधान होकर बहस करनी चाहिये ।

मैं समझता हूं कि हमें इस अधिक महत्त्वपूर्ण बात पर अधिक ध्यान देना चाहिये कि भारत में नागरिकों की

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

स्वतन्त्रता को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाये ।

इस मामले पर बहुत विस्तार से बहस हो चुकी है । जहां तक डा० मुकर्जी द्वारा चलाए गए आन्दोलन का सम्बन्ध है हम अपना विरोध प्रकट कर चुके हैं। परन्तु जहां तक उनकी नज़रबन्दी का सम्बन्ध है, यदि सरकार हमारी होती तो हम उन्हें मुकदमा चलाए बिना कभी नज़रबन्द नहीं रखते । हमारा कहना है कि सरकार द्वारा डा० मुकर्जी जैसे व्यक्ति को बिना मुक़दमे के नज़रबन्द रखने का कोई उचित कारण नहीं था । हम इस बात के बारे में विरोध प्रकट करते हैं ।

इसके बाद उन की नज़रबन्दी में ही मृत्यु हो गई । दुर्भाग्य की बात है कि आज हम डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी जैसे व्यक्ति की नज़रबन्दी में मृत्यु पर बहस कर रहे हैं। तेलंगाना में लोगों को नज़रबन्दी में गोली से उड़ाया जा चुका है तथा सलेम में उन्हें जेल के अन्दर ही गोली से मार डाला गया है । ये सब घटनायें हुई हैं । इस समय उन सब बातों पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं, परन्तु सरकार को इतना तो अवश्य करना चाहिये कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए नज़रबन्द कर दिये जाने पर उस के स्वास्थ्य की देखरेख अवश्य की जाय । नज़रबन्दी में मृत्यु हो जाने से सन्देह का होना स्वाभाविक है । आज लोगों की बहुसंख्या को सन्देह है कि डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की चिकित्सा में कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य हुई है ।

मुझे डा० काटजू के श्री त्रिवेदी पर किए गए आक्षेप को सुन कर आश्चर्य हुआ है । श्री त्रिवेदी कोई डाक्टर नहीं हैं । उन्हें तो अपना काम करना था । यदि डाक्टर ने उन्हें १५ मिनट से अधिक ठहरने दिया तो वह अपने आप डा० मुकर्जी के स्वास्थ्य का अनुमान नहीं कर सकते थे ।

डा० काटजू ने इस मृत्यु की श्री शरत चन्द्र बोस की मृत्यु से तुलना की है । ठीक है कि दिल के दौरे से मृत्यु हो जाती है तथा कई व्यक्ति इस प्रकार से मरे हैं। परन्तु इस विषय में क्या हुआ ? सरकार ने डा० विधान चन्द्र राय तक को बुलाने की तकलीफ़ नहीं की । उन्हों ने डा० श्यामा प्रसाद का १९४६ में भी इसी रोग की चिकित्सा की थी । खेद है कि सरकार ने इतना भी शिष्टाचार नहीं दिखलाया ।

व्यक्तिगत रूप से डा० मुकर्जी से मेरा इतना मतभेद होने पर भी हम मित्र थे । तीन पीढ़ियों से हमारे दोनों परिवारों में बहुत मित्रता रही है । साथ ही मैं ने उनके विचारों पर कड़ी आलोचना भी की है । फिर भी कोई कारण नहीं कि मैं आज चुप रहूं । मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की सरकार ने किन्हीं विचित्र कारणों से विरोधी दल तथा अपने आलोचकों के बारे में असामान्य धारणाएं बना ली हैं । आज विरोधी दल के प्रति सरकार का व्यवहार पूर्ण उपेक्षता का है । इसी कारण उन्हों ने डा० मुकर्जी की चिकित्सा इस प्रकार से की है जिस से विशषज्ञों का मतभेद है । मैं जानता हूं कि डाक्टरों में मतभेद होता है । श्रीमान्, मैं यह नहीं कहता कि डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी का उपचार करने वाले डाक्टर ने जान बूझ कर उपेक्षा की । परन्तु चिकित्सा के सम्बन्ध में अकुशलता के आरोप तो लगाये ही गये

हैं । गृह मंत्री जी ने आज के भाषण में अकुशलता के उन आरोपों का समर्थन और पुष्टि की है ।

अतः क्योंकि देश के एक महान् व्यक्ति की निरुद्धावस्था में मृत्यु हुई है इसलिये सरकार को जनता को सन्तुष्ट करने के लिये उन सारे तथ्यों को जनता के समक्ष रखना चाहिये जो डा० काटजू के पास विद्यमान हैं, परन्तु जिन्हें वे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं करते । उन्हें डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की चिकित्सा के सम्बन्ध में लगाय गये उपेक्षा और अकुशलता के आरोपों की पूरी जांच करवानी चाहिए । यदि सरकार जांच नहीं करवायेगी तो यह भारत के नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी: मैं बहुत कुछ कहने को सोच कर आई थी, लेकिन अब ज्यादा कहने की जरूत नहीं रही है, क्योंकि श्री एन० सी० चटर्जी ने जो कुछ बाक़या हुआ था, वह बहुत बारीकी से उन्होंने बयान किया । हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि यह जो विषय है इस में बहस करने के लिए क्या खास ज़रूरत है । उन्होंने कहा कि हम को इमोशन को लाकर इसके बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए । तो मैं सोच रही थी कि उनके बोलने के पहले जो दो भाषण हो चुके थे, उन में कोई बहुत जोश नहीं दिखाया गया । दुःख का इज़हार ज़रूर किया गया था । वह जोश उन्होंने नहीं दिखलाया था, जिस के वास्ते हमारे माननीय गृह मंत्री को यह कहने की ज़रूरत हो । यह बात ठीक है कि जब डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी की यकायक मृत्यु की खबर सारे देश में सुनी तो सब को बहुत दुःख हुआ । हम में बहुत लोग हैं जो श्यामा प्रसाद मुकर्जी की राय से अलग रहते थे । कम्युनिस्ट भाई अलग राय रखते हैं । लेकिन हम सब लोग चाहते हैं कि यह जो नया जम्हूरियत मुल्क में हम ने स्थापित किया है इस में हर एक को पूरा अधिकार इस बात का होना चाहिए कि वह आज़ादी के साथ चल सके । आप लोग कहते हैं कि हम ने बड़ी भारी लड़ाई लड़ कर आज़ादी हासिल की है । लेकिन जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और आप लोग लड़ रहे थे तो जो सब से अधिक लड़ाई हम लड़ रहे थे वह व्यक्तिगत आज़ादी के लिए, सिवल लिबर्टी के लिए लड़ रहे थे । उसी के लिए हम आज कह रहे हैं । लेकिन हमारी आज़ादी आने के बाद पहले पहल आप लोगों ने क्या किया ? आप ने कहा कि हम प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के बिना काम नहीं चला सकते । उसी के मुकाबले का जो क़ानून कश्मीर में हैं, उसी क़ानून का शिकार हो कर आज श्यामा प्रसादजी हमारे यहां से चले गए ।

इस सिलसिले में अभी डाक्टर काटजू साहब कहने लगे कि शरत बाबू का "हार्ट फेल" हो गया था । फलां आदमी का "हार्ट फेल" हो गया था । इसलिए इस मामूली बात के लिए जांच की मांग क्यों ? हम लोग जानते हैं कि "हार्ट फेल्योर" से यकायक लोग मर जाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है । हम जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं कि एक बड़े से बड़ा नेता जो आप के विरोधी दल का आदमी था, उस को आप लोगों ने "डिटेंशन" में रखा और डिटेंशन में उन की मृत्यु हुई । मृत्यु के बारे में किस्म किस्म की राय लोगों ने बताई, किस्म किस्म का बाक़या सुनाया । यहां पर मैं यह भी

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

बता दूं कि जो पहले ब्रिटिश सरकार थी वह भी हम लोगों को यह "कर्टसी" दिखलाती थी कि कोई बहुत ज्यादा बिमार हो जाता था, जेल में, कैदखाने में, तो ब्रिटिश सरकार भी हमें मरने के पहले छोड़ देती थी, ताकि हम आज़ाद हो कर मर सकें। यह इतनी सी "कर्टसी" भी श्यामा प्रसाद जी को नहीं दिखलाई गई कि उन को आज़ादी से मरने दें। दो दिन पहले से बहुत ज्यादा उन को तकलीफ़ हो गई थी, उन को डाक्टर लोग 'आक्सीजन' दे रहे थे। लेकिन यह भी नहीं सोचा कि मरने से कुछ घंटे पहले एक आदमी को आज़ाद कर दें, आज़ाद हो कर उसको मरने दें।

बहुत बातें काटजू साहब ने कहीं। मुझे उन से बड़ा अफसोस हुआ। मेरे दिल में काटजू साहब के लिए बड़ी इज्ज़त है। लेकिन जब वह सरकार की ओर से बोलने लगते हैं तो भूल जाते हैं कि बात क्या कर रहे हैं।

डा० काटजू : आप मेरे साथ बड़ी नाइन्साफी कर रही हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : वह सारी बातें भूल जाते हैं। उन्होंने भी (काटजू साहब ने) बहुत जेल काटी, लेकिन उस सब को भूल कर वह एक लायर की हैसियत से बातें करने लगते हैं। किस तरह की छोटी बात ले कर उन्होंने श्री त्रिवेदी जी पर अटैक किया। उन्हों ने क्या आरगूमेंट दिया? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि गृह मंत्री जी यह युक्ति कैसे दे रहे हैं। उन्होंने क्या आरगूमेंट दिया कि त्रिवेदी साहब कसूरवार हैं, श्यामा प्रसाद जी की मौत का वह कारण हुए। त्रिवेदी ने आखरी दिन जा कर तीन घंटे बातचीत की। यह तो वकालत की चालबाज़ी की बात है। होम मिनिस्टर को ऐसा आरगूमेंट देना ठीक नहीं है। त्रिवेदी साहब क्यों गये? वह उनके वकील थे, उन का फर्ज़ था उन के पास जाने का। त्रिवेदी साहब श्यामा प्रसाद जी के कस्टोडियन नहीं थे, आप कस्टोडियन थे। श्यामा प्रसाद जी के इलाज के वास्ते त्रिवेदी साहब ज़िम्मेदार नहीं थे, उस के लिए वहां की सरकार ज़िम्मेदार थी। उन्हों ने उन का जो कुछ इलाज किया उस के सारे डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दिखाने को सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं उस में जाना नहीं चाहती, क्योंकि चटर्जी साहब सब कह चुके हैं।

यह दिखाई पड़ता है कि श्यामा प्रसाद जी कश्मीर जाने के तीन दिन बाद बीमार पड़े। उन के पैर में दर्द हुआ और बुखार हुआ। फिर १५ दिन बाद बीमार हुए और फिर तीसरी दफ़ा १९ तारीख को बीमार पड़े। जब से कश्मीर गए, एक न एक कुछ न कुछ बीमारी उन को रही और आज डाक्टरों को भी यह अन्दाज़ा पड़ता है कि यह जो उन को शुरू से बीमारी थी वह सारी बीमारी हार्ट की तकलीफ़ से मिली हुई थी। कोई हार्ट की डिज़ीज़ से वह सफर कर रहे थे। मैं समझ सकती हूं कि डाक्टर लोग पहुंचने न पाये, जान न पाये कि बीमारी कितनी ज्यादा खराब है। मगर जब इतने बड़े आदमी को आप लोग डिटेन्शन में रखते हैं, जो लोग किसी आदमी को डिटेन करते हैं तो उन का यह फर्ज़ है कि अच्छा डाक्टर बीमारी के लिए रखे, कोई तजुर्बेकार डाक्टर बुलावे। यहां किस ने देखा? एक कोई मुहम्मद अली साहब ने उन का इलाज किया। मैं जानना चाहती हूं कि क्या हिन्दुस्तान भर में मैडिकल प्रोफैशन में इतने बड़े आदमी के इलाज

के लिए कोई डाक्टर नहीं मिल सकता था? क्या कश्मीर इतनी दूर है कि दिल्ली से कोई डाक्टर नहीं जा सकता था? क्या कश्मीर में मिलिटरी डाक्टर नहीं बैठे हुए थे, जिन से इलाज करवाया जा सकता था?

एक माननीय सदस्य : समय नहीं था।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : समय कैसे नहीं था? यहां मेरे पास चिट्ठियां पड़ी हैं, तीन दिन से खराब हालत थी, वक्त कैसे नहीं था। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती। चिट्ठियों से साफ़ ज़ाहिर होता है कि वह बराबर बीमार रहे और आप लोगों ने लापरवाही कर के, उन के इलाज करने के लिए ठीक डाक्टर को दिखाने की ज़रूरत को नहीं समझा। किस डाक्टर को आप ने दिखाया? अगर मैं त्रिवेदी साहब की बात को मानूं तो जिस अस्पताल के अन्दर उन को रखा, जिस डाक्टर को आप ने इतने बड़े भारी आदमी को, जिस को डिटैंशन में रखा, उस को देखने के लिए रखा, उस की क्या जिम्मेदारी है कि जिस रात को वह आदमी मर रहा हो उस रात वह शराब पीये हुए घूम रहा है। इतना बड़ा जिम्मेदार डाक्टर आप ने रखा। और फिर आप कहते हैं कि जांच किस बात की? मैं तो यह सुन कर हैरान हो जाती हूं कि यह डाक्टर काटजू साहब क्या कह रहे हैं। हम लोग कोई उस वक़्त बृटिश सरकार के ज़माने में होते, आप लोग कोई होते, तो सारे हिन्दुस्तान में एक हलचल मच जाती, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हलचल हम मचा देते। मगर क्योंकि आज हमारे भाई राज्य कर रहे हैं, इसलिए अगर वैसी ही हालत होती है तो हम चुप बैठें। इस तरह की लापरवाही करके, इतने बड़े आदमी की डिटैंशन में मौत हुई उस की जांच के लिए जब कहते हैं तो माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि जांच किस बात की? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जांच इस बात की, पहले तो इस बात की कि डिटैंशन में आप ने एक आदमी को रखा। जैसा डाक्टर हीरेन मुकर्जी ने कहा, मैं उन की राय से इत्तिफाक करती हूं कि हम इस को बिल्कुल गलत समझते हैं कि एक आज़ाद मुल्क में प्रिवैंटिव डिटैंशन ऐक्ट, सेफ्टी ऐक्ट, रहे। ऐसे ऐक्ट का रहना एक अपमानजनक बात है। ऐसे कानून को रखना हमारे मुल्क के लिए अपमानजनक हैं। फिर आप ने एक ऐसे आदमी को, जो बड़े से बड़ा आदमी आप के विरोध में राय रखता था, और जो आदमी कुछ ही महीने पहले ऐसी राय का था कि वह आप के साथ गवर्नमेंट बेंचेज़ पर बैठता था, उस को आप ने डिटैंशन में रखा और जब उस डिटैंशन में उस की मौत होती है और कहा जाता है कि उस की जांच करावें तो आप कहते हैं कि किस चीज़ की जांच करवावें?

मेरी समझ में नहीं आता और मैं बहुत अदब से आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि ज़रा सोचिये और सोच विचार करके इस बात का जवाब दीजिए क्या यह डेमोक्रेसी है या प्रजातंत्र है। आखिर आप लोग जो यहां हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वह प्रजा के द्वारा ही तो यहां पर भेजे गए हैं और प्रजा की राय से आप को काम करना चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या न होनी चाहिए इसके ऊपर सारे देश भर की राय ले लीजिए। यह आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि प्रजा की इच्छानुसार आ[illegible] चलें और अगर प्रजा की मांग इस वाक़्या की जांच कराने के पक्ष में हो, तो अगर आपको ज़रा भी जनमत की परवाह है, तो आपको इस मामले की जांच ज़रूर करानी

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

चाहिए। इसके विरुद्ध आप जो आरग्यूमेंट देते हैं, वह तो मुझे बचपने के आरग्यूमेंट मालूम पड़ते हैं, और एक ग़ैर ज़िम्मेदारी के आरग्यूमेंट मालूम होते हैं। अगर आप इस तरह के फिज़ूल के आरग्यूमेंट देने की उपेक्षा कुछ न कहते तो अच्छा होता। शुरू में चटर्जी साहब ने जो कहा और आपने जिस ढंग से उनके आपेक्षों का जवाब दिया, उसने मेरे दिल में यह डर पैदा किया और आपके जवाब सुनकर तो यह मालूम हुआ कि आपको कतई जनमत और पब्लिक ओपीनियन की परवाह नहीं है। जम्हूरियत के जिन उसूलों पर लड़ कर हमने आज़ादी हासिल की है, आज हम उन्हीं उसूलों की उपेक्षा करें और उनकी परवाह न करें तो डेमोक्रेसी फिर कहां रह सकती है। सरकार के इस तरह के बर्ताव से तो लोगों का जनमत या डेमोक्रेसी में फेथ जाता रहता है, अगर आप डेमोक्रेसी की हत्या नहीं करना चाहते तो आप कृपया ऐसा आचरण न करें जिससे लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी में से जाता रहे। आप हमको यह समझाते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वाधीनता सिविल लिबर्टी है, वह एक मामूली चीज़ है और उसे जैसे आप चाहें हटा सकते हैं, आपके विरोध में जो यहां ... आदमी बैठता था उस आदमी को आपने क़ैद किया, जेल में ठूंसा और आपकी जेल में ही वह खत्म होगया और उसके मृत्यु के कारणों की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कह करके तो आप हमारे फ़ेथ इन डेमोक्रेसी को हटाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर हम अपनी व्यक्तिगत स्वाधीनता को नहीं रख सके, तो आखिर यह जो हमने आज़ादी प्राप्त की है, वह किस लिए ?

डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी की मृत्यु के बारे में जांच कराना बहुत जरूरी है जिससे सारी बातें उनकी गिरफ्तारी से लेकर, उनका डाक्टरी इलाज और उनकी मृत्यु तक सब साफ़ हो जायें। आप कहते हैं कि अगर डाक्टर मुकर्जी की काश्मीर में गिरफ्तारी में भारत सरकार का कोई हाथ नहीं था, अगर उनका कोई हिस्सा नहीं था तो मैं पूछना चाहती हूं कि आपको क्या ज़रूरत थी कि जिस समय डाक्टर मुकर्जी पठानकोट पहुंचे तो गुरुदासपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको माधोपुर चेक पोस्ट तक पहुंचा दिया और जब उनसे कहा गया कि हमें जीप ड्राइवर के लिए परमिट दो, तो परमिट न देकर इतना क्यों वह श्यामा प्रसाद के दोस्त बन गये और यकायक उनको इतना क्यों ओबलाइज़ किया कि उनको माधोपुर चेक पोस्ट तक पहुंचा दिया ? इस से तो जैसा चटर्जी साहब ने कहा एक ही नतीजा निकलता है कि आप लोग उनको गिरफ्तार करने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे और इसलिए उन्हें अपने वहां से हटाकर काश्मीर में भेज दिया। परमिट का कानून हिन्दुस्तान की सरकार का बनाया हुआ था और उस परमिट के कानून को डाक्टर मुकर्जी तोड़ रहे हैं, तो क़ायदे से उनकी गिरफ्तारी करने की ज़िम्मेदारी भारत सरकार पर होनी चाहिए और मालूम यह होता है कि आप अपनी इस ज़िम्मेदारी से बचना चाहते थे क्योंकि जैसे पहले आपकी डाक्टर मुकर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पोज़ीशन फाल्स हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिल्कुल छोड़ दिया था, आप उस पोज़ीशन को दोबारा फिर नहीं लाना चाहते थे, इसलिए आप लोगों ने सोचा चलो बड़ी अच्छी बात है डाक्टर मुकर्जी को गिरफ्तार करने का यह जो डर्टी वर्क है यह शेख अबदुल्ला ही करे। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि आप इस

तरह एक्सप्लेन करके छुट्टी नहीं पा सकेंगे। यह भी मैं साफ कर दूं कि प्रजा परिषद् के आन्दोलन से हमारा कोई सरोकार नहीं है, अगर वह कोई मूवमेंट चलाते हैं और वह देश के हित में नहीं है, आपको पूरा अख्तियार है कि आप उनको गिरफ्तार कीजिये लेकिन कायदे से कीजिये, चार्ज कीजिये और गिरफ्तार करके मुकदमा चलाइये और तब कायदे से उनको जेल में रखिये। आप कहते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया की कोई जिम्मेवारी नहीं है, मगर जब देहली के मजिस्ट्रेट ने डाक्टर मुकर्जी को उनकी अदालत में पेश होने के लिए काश्मीर सरकार को लिखा तो उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया, लेकिन जब उनकी वहीं काश्मीर में नज़रबन्दी की हालत में मृत्यु हो जाती है, तो काश्मीर के प्रधान मंत्री शेख अबदुल्ला यह बयान निकालते हैं कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत में वापिसी का इंतज़ार कर रहे थे, मतलब यह कि शेख मुहम्मद अबदुल्ला बिना जवाहरलाल की इजाज़त के डाक्टर मुकर्जी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते थे, इस स्टेटमेंट से लोगों के दिल में शक पैदा होता है और इसकी सफाई करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक सच्चे मित्र के नाते सलाह देती हूं कि आप लोग इस मामले की जांच करायें और जैसा आप कहते हैं कि आप बेकसूर हैं, उसको जांच द्वारा साबित कराकर पब्लिक के सामने रख दीजिये कि भाई जो कुछ हुआ इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम बिल्कुल बेकसूर हैं और अगर ऐसा साबित हो जाये तो हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। हम लोग नहीं चाहते कि काश्मीर में कोई गड़बड़ी हो या परेशानी पैदा हो, मगर मैं इतना ज़रूर कहूंगी कि काश्मीर सरकार को खुद अपने भले नाम को बचाने के लिए इस जांच को कराना चाहिये और जांच द्वारा अपनी स्थिति साफ करके संसार के सामने रख दें। फिर आज तो मैं नहीं समझती कि उनको जांच कराने में क्या मुश्किल है, सबसे ज्यादा इस केस में जिनकी ज़िम्मेदारी थी, यानी शेख अबदुल्ला, वह आज गवर्नमेंट में नहीं हैं और चटर्जी साहब की इजाज़त से वहां के जो वर्तमान प्रधान मंत्री बख्शी साहब हैं उनके पास से अभी जो एक पत्र आया है, उसका मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं, उससे आपको मालूम हो जायेगा कि इस मामले में बख्शी साहब का एटीच्यूड आपसे कहीं अच्छा है। बख्शी साहब ने यह लिखा है :

> "मुझे स्वर्गीय डा० मुकर्जी और उन के परिवार के सदस्यों से गहरी सहानुभूति है। यह दुखद घटना इतनी तेज़ी से घटी कि भारत के बहुत से लोगों के मन में कुछ भ्रम पैदा हो गए हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे सम्बद्ध अधिकारियों के आचरण के सम्बन्ध में इन मित्रों की सन्तुष्टि करवाने के लिए सुविधायें प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस समय खुली जांच से सार्वजनिक हितसाधन हो सकेगा या नहीं, जिस के लिए कि हम सब प्रयत्नशील हैं।"

उनको ऐतराज़ ओपेन इनक्वायरी से है, लेकिन साथ ही वह यह भी समझते हैं कि अगर किन्हीं और ज़रायें से हिन्दुस्तान और काश्मीर गवर्नमेंटस का गुड नेम बचाया जा सके, तो उनको इसमें कोई ऐतराज़ नहीं

श्री एन० सी० चटर्जी: क्या माननीय सदस्या अगला वाक्य पढ़ने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी: इस में लिखा है :

> "खैर, जब मुझे आप से मिलने का अवसर मिलेगा तो मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा।"

श्री एन० सी० चटर्जी: वह अब भी इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी: परन्तु हमारी सरकार जांच करवाने से झिझकती है। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर भारत सरकार क्यों ऐसी इनक्वायरी कराने से घबड़ा रही है। मैं कहती हूं कि आप लोग जांच के नाम से घबराइये मत, जांच आप अवश्य कराइये ताकि लोगों के दिल में जो एक शक़ है, वह साफ़ हो जाये।

बस और अधिक न कहकर मैं केवल एक बात कह कर खत्म करना चाहती हूं। जुलाई के पहले हफ्ते में मैं जब कलकत्ते गई थी और पहले पहल जब मैं डाक्टर मुकर्जी के घर में गयी थी, तो मैंने डाक्टर मुकर्जी की बूढ़ी मां जिनकी अवस्था ८३ साल की होगी, कम्बल बिछाये फर्श पर बैठी थीं, जैसे हमारे हिन्दू घरों में शोक किया जाता है, यह मत समझिये कि वह कोई बिल्कुल पागल सी हो रही थीं, वह शान्ति से बैठी हुई थीं, आखिर एक वीर बेटे की माता होने का उनको सौभाग्य प्राप्त है और उनकी ज़बान से सिर्फ यही लफ्ज़ निकल रहे थे कि मुझे इन्साफ चाहिए "आमी विचार चाई।" उन्होंने कहा मेरा लड़का चला गया है, मेरा लड़का कोई क्रिमिनल नहीं था, उसने कोई क्राइम नहीं किया था, मेरा लड़का कोई भिखारी नहीं था, उसके पास अपना इलाज कराने का कोई साधन नहीं था ? मेरा लड़का बिना कानूनी कार्यवाही के एक क़ैदखाने में लापरवाही से मरा है। उन्होंने यह शब्द कहे कि एक ग़रीब और भिखारी भी अपना लोटा थाली बेचकर इलाज कराता है, लेकिन मेरे लड़के को कैसी दुर्दशा हुई, इतना सब कुछ होते हुए भी मरते वक्त उसके पास कोई नहीं रहा, मरते वक्त उसे कोई देख न सका। यह मां की जो पुकार है उसको आप भूलिये मत, उसको सेंटीमेंट कहकर मत टालिये। उनकी मां ने कहा कि मेरा तो जो कुछ होना था वह हो गया लेकिन मैं चाहती हूं कि भविष्य में इस तरह किसी दूसरी मां के आंसू न बहें और इसलिए आप मेरी आवाज़ को बढ़ाइये और इस मामले की जांच करवाइये ताकि इस क़िस्म के वाकयात दुबारा न हों।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : श्रीमान्, क्या मैं गृह मंत्री जी से स्पष्टीकरण के हेतु एक प्रश्न पूछ सकती हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या डा० मुखर्जी के अस्वास्थ्य और चिन्ताजनक स्थिति को देख कर कलकत्ता में उन के सम्बन्धियों को कोई सूचना भेजी गई थी और क्या अंग्रेजों के समय के निरोध के समान उन्हें अत्यधिक रोगी देख कर काश्मीर सरकार ने उन्हें रिहा करना आवश्यक समझा था ?

डा० एन० बी० खरे : मेरी सम्मति में डा० मुखर्जी की यह अकाल मृत्यु एक सब से अधिक असुविधाजनक और कट्टर राजनैतिक विरोधी को डाक्टरी और राजनैतिक गठबन्धन से समाप्त करने का परिणाम है। श्रीमान्, मैं यह कहूंगा

कि इस के चिकित्सा सम्बन्धी भाग के लिए श्रीनगर उत्तरदायी है और राजनैतिक भाग के लिए नई दिल्ली उत्तरदायी है। यह मैं अपनी निजी अनुभव से कह रहा हूं। श्रीमान्, मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात मैं ने देखा कि मुझे भी डा० मुखर्जी की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया है अर्थात् एक कट्टर राजनैतिक शत्रु घोषित कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि सरकार की यह इच्छा थी या नहीं, परन्तु उस की पुलिस तो अवश्य मुझे फांसी पर लटकाना चाहती थी। अतः महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात उन्होंने मुझे उस अपराध में फंसाने के लिए मेरे विरुद्ध झूठा साक्ष्य बनाने का प्रयत्न किया।

एक माननीय सदस्य : क्या यह प्रकरण संगत है ?

डा० एन० बी० खरे : यह बिलकुल प्रकरण संगत है। इसका निश्चय करना अध्यक्ष का काम है। आप सभापति नहीं हैं।

अतः सरकार की यही मनोवृत्ति है। वे अपने मार्ग में से हर प्रकार की बाधा को हटा देना चाहते हैं और डा० मुखर्जी के मामले में भी सम्भवतः यही रुख अपनाया गया हो।

मैं आज यहां इस बात का रहस्योद्घाटन करता हूं कि ११ मई के पश्चात जब यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि डा० मुखर्जी को गिरफ्तार करके १३ मई को श्रीनगर की जेल में निरुद्ध कर दिया गया, तो मैं ने यह आशंका प्रकट की थी और कहा था, "वह श्रीनगर में शत्रुओं के हाथों में हैं और मुझे इस में सन्देह है कि वह कभी जीवित वापिस भी आयेंगे।" मैं ने यह अपने कई मित्रों से कहा था और आज इस सदन में मैं फिर उसे दोहराता हूं।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : हमें आज स्वर्गीय डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की मृत्यु के सम्बन्ध में इस वार्तालाप के समय आज से लगभग साढ़े पांच वर्ष का समय फिर याद हो आता है जब इस देश में इस देश के महान नेता श्री गांधी जी को किसी की गोली का शिकार होना पड़ा और उसके फलस्वरूप सारा देश एक भयंकर खेद और शोक की लहर में डूब गया था।

एक माननीय सदस्य : आप का उस समाज से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं दुःखपूर्वक और क्रोध पूर्वक उन महानुभाव का विरोध करता हूं जिन्होंने पूछा कि मेरा उस सम्प्रदाय से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। मेरा सम्प्रदाय वही है जो हमारे विरोधी महानुभावों का है और मैं उसी के अनुसार चलने वाला हूं। यदि वे अपने पिता, पितामह, सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले हैं तो मैं भी अपने पिता, पितामह, सभ्यता और संस्कृति का मानने वाला हूं और मैं कहता हूं कि जो किसी भी प्रकार इस कुवृत्ति के साथ सम्बन्ध रखता है वह दोषी है, वह अपराधी है और वह स्वयम् अपने मन के पाप को प्रकट कर रहा है। उन महात्मा की मृत्यु के अनन्तर खुली अदालत में एक अपराधी पर नहीं, अनेक अपराधियों पर केस चलाये गये और उन के अतिरिक्त सैकड़ों व्यक्तियों को जेलों में डाला गया जिन को पीछे किसी प्रकार से निर्पराध समझ कर छोड़ दिया गया।

[श्री नन्द लाल शर्मा]

आज हमारे सामने डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की मृत्यु का दूसरा प्रश्न है और मैं समझता हूं कि यह कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं है । आप को जहां उस महात्मा का शोक था, देश को शोक था, विश्व को शोक था वहां ऐसे महात्मा की मृत्यु का शोक आप के मन में न होना, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं कोई रोग अधिक बढ़ रहा है । मैं इस लिए निवेदन करूंगा कि ऐसे महात्मा के, ऐसे देश प्रेमी के लिए, और देश के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले के लिए अपनी पार्टियों की दलबन्दी को छोड़-छाड़ कर निष्पक्ष भाव से आप को विचार करना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और आप इस को अच्छी तरह से सोच, लें, क्या डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी कश्मीर में गए अपने किसी स्वार्थ के लिए ? कश्मीर के या यहां के किसी जेल में पड़े तो क्या किसी अपने स्वार्थ के लिए अथवा अपने भारतवर्ष को या भारतवर्ष की सरकार को कोई हानि पहुंचाने के लिए ? यदि यह बातें हम अपने मन सिद्ध न कर सकें, और ऐसी अवस्था में यदि उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में जांच का प्रश्न आये तो हम को दलबन्दी से काम नहीं लेना चाहिए । यह मेरा आप से नम्र निवेदन है । उन की मृत्यु के सम्बन्ध में अथवा उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मैं समझता हूं माननीय श्री चटर्जी से बढ़कर कोई इस केस को नहीं रख सकता । इसके साथ साथ जो पुस्तिका उन की मृत्यु के सम्बंध में और उस के केस के सम्बन्ध में अपील करने के लिए छपाई गई वह आप लोगों के हाथ में है, उस में भी बहुत सी बातें स्पष्ट रूप से दी गई हैं । इसी वर्ष के ६ मार्च को हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने हमें छोड़ा और उस के बाद हम पर जो केस चला वह केस, मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करता हूं आज तक किसी कोर्ट ने हमारे विरुद्ध सिद्ध नहीं किया और अन्ततोगत्वा उसे वापस ले लिया गया । आपने श्री चटर्जी के मुख से सुना कि किस तरह से एक थानेदार आप का डिसेन्ट्री का बहाना बनाता है और अपने आप की बीमारी का सर्टिफिकेट भेजता है । ए० डी० एम० उस की बात को अस्वीकार कर के सिविल सर्जन की रिपोर्ट मांगते हैं, इस पर वह अपने केस को टालता इधर उधर भागता फिरा । ऐसी परिस्थिति में मि० गोयल ए० डी० एम० की अदालत से डा० मुकर्जी के लिए वारंट इश्यू हुआ । कश्मीर गवर्नमेंट को लिखा गया कि उनको इस कोर्ट में भेजना चाहिए । लेकिन कश्मीर गवर्नमेंट ने इसे स्वीकार नहीं किया । मैं पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष संविधान के आधीन भारत के साथ सम्मिलित होने वाला एक राज्य अपने प्रदेश में से भारत के एक आदमी को, एक मुलिजम को भेजने से इंकार करता है। आप का कान्स्टिट्यूशन कश्मीर पर लागू होता है या नहीं । यह प्रश्न आप के सिर के ऊपर भी वैसे ही है जैसे कि मानवता पर है ।

हमारे उस आन्दोलन के सम्बन्ध में साम्प्रदायिकता कहना, भले ही किसी कम्यूनिस्ट के मुख से शोभा दे, लेकिन मैं नम्रता से निवेदन करता हूं कि वह चार्ज, वह आरोप सर्वथा मिथ्या है । उसके अन्दर कोई साम्प्रदायिक विरोधी भावना नहीं थी । किसी मुसलमान के विरुद्ध कोई शब्द नहीं कहा गया, कभी हिन्दू मुसलमान का प्रश्न नहीं छेड़ा गया ।

हम स्पष्ट रूप से कहते रहे कि हम जम्मू का कभी भी बटवारा कश्मीर से नहीं स्वीकार करेंगे । मैं ने इस हाउस में, इस संसद् भवन में खड़े होकर कहा है कि कश्मीर और जम्मू का एक एक हिन्दू और सिख कत्ल हो जाय तो भी हम जम्मू का कश्मीर से बटवारा कभी नहीं मानेंगे । ऐसी परिस्थिति में उस को साम्प्रदायिक आन्दोलन कहना केवल निरन्तर अपनी भूल को छिपाने के लिए दूसरे को खराब कहते जाना है ।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप साम्प्रदायिकता की भावना न आने दें । कल के अपने जिस भाषण में हमारे प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है हम वही बात बार बार कहा करते थे कि जिस पर आप विश्वास करते हो, जिस को अपना परम प्रिय मित्र मानते हो, वही तुम्हारी आस्तीन का सांप हैं, वही तुम को काटेगा । जिस वक्त उसने आप को काट लिया तो आप कहते हैं कि उसकी मैजारिटी भी नहीं है, उसकी पार्टी भी नहीं है, उसकी गवर्नमेंट भी नहीं है । अगर यही भूल आपने आज से कुछ दिन पहले स्वीकार की होती तो भारतवर्ष का एक दिव्य पुत्र, जिससे न केवल भारतवर्ष को लाभ हो सकता था बल्कि दूसरे देशों को भी लाभ हो सकता था, वह हमारे और आप के लिए बच जाता । हम यह कहना नहीं चाहते थे । मैं स्पष्ट कहता हूं कि पंडित जवाहरलाल पर या डाक्टर कैलाशनाथ काटजू पर किसी इस प्रकार के आरोप का लगाना कि इनका यह भाव था कि डाक्टर मुकर्जी का शरीरान्त हो जाय यह सर्वथा मिथ्या है, इसको हम कभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । जो मैं आज कह रहा हूं वह आज भारत के एक एक व्यक्ति की, गलियों की, बाजारों की, शहरों की, गांव गांव की बात है । हर जगह के लोगों की यह आवाज है कि अब्दुल्ला ने जरूर कुछ किया है और इसकी जांच होनी चाहिये । यह भारत की जनता की मांग है । मैं बहुत नम्रता पूर्वक कहूंगा कि हमारे गृह मंत्री ने अपने तर्क को श्री चटर्जी की ओर न ले जा कर और उस को केवल इमोशनल और सेंटीमेंटल कह कर, श्री त्रिवेदी जी की ओर मोड़ दिया और उनको यह बार बार कहा कि वह इतने स्टेंडिंग के बैरिस्टर थे, उन्होंने यह नहीं किया वह नहीं किया । मैं पूछता हूं कि क्या त्रिवेदी जी के तार न देने से काश्मीर सरकार अपने उत्तरदायित्व से बरी हो जाती है । क्या काश्मीर की सरकार का, या वहां की अथारिटीज़ का, अथवा वहां के डाक्टरों का बुलेटिन इश्यू करने का कोई कर्तव्य नहीं था । फिर मैं कहता हूं कि त्रिवेदी जी भारत के एकमात्र बैरिस्टर नहीं हैं, वह जनसंघ के कार्यकर्त्ता हैं । वह श्री मुकर्जी के एक प्रेमी, श्रद्धालु और भक्त हैं । उनके मन में दर्द आया तो वह वहां चले गए । अगर डाक्टर मुकर्जी को डिफेंड करना होता तो भारत में और भी बड़े बड़े बैरिस्टर थे जो कि जा सकते थे । उस समय भाग्य से, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से श्री चटर्जी भी जेल में थे वह भी नहीं जा सकते थे । अगर श्री त्रिवेदी जी गए और डाक्टर ने उनको यह नहीं कहा कि श्री मुकर्जी का स्वास्थ्य इस योग्य नहीं है कि आप उनसे बातचीत करें, और यदि जेलर ने उनको किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी, तो क्या यह श्री त्रिवेदी का उत्तरदायित्व है कि वह स्वयं सोच लेते कि डाक्टर मुकर्जी भयंकर कष्ट में हैं इसलिए मुझे उन से बात नहीं

[श्री नन्द लाल शर्मा]

करनी चाहिये । वह तो नई दिल्ली से चलकर काश्मीर इस लिए गए थे । तो डाक्टर काटजू अपने तर्क को एक अच्छे केस से हटाकर दूसरे केस की तरफ ले गये । हम स्वयं उस समय बाहर नहीं थे, हम उस समय लोगों में थे । वह हमारे बीच में से स्वस्थ गये थे । वहां लोगों ने उनको स्वस्थ अवस्था में जाते देखा । उन को पार्लियामेंट में से लोगों ने स्वस्थ जाते देखा । ऐसे व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है । उसके लिए सरतचन्द्र बोस की मिसाल दी जाती है और अमरीका में किसी की मृत्यु हो गयी उसकी मिसाल दी जाती है कि क्या वह मृत्यु अपने देश से बाहर हुई थी ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन]

काश्मीर को हम अपने देश का अंग मानते हैं । ऐसी परिस्थिति में काश्मीर की सरकार को हमारी सुप्रीम कोर्ट की या हमारी कोर्ट की आज्ञा मंजूर करनी थी । लेकिन अगर हम उसको विदेशी मानते हैं तो हम ने दूसरों के हाथ में फंसा कर अपने बन्धु को मरवा दिया । अगर हमने जानबूझ कर नहीं मारा तो हमने ऐसा भूल से किया । हम को यह समझ लेना चाहिए था कि वहां क्या चीमीगोइयां हो रहीं हैं । डा० काटजू स्वयं स्टेट मिनिस्टर होने की हैसियत से वहां जा सकते थे । हमारे प्राइम मिनिस्टर की अनुपस्थिति में यहां से दूसरे दूसरे व्यक्ति जा जा कर परदों के पीछे चीमी-गोइयां करते रहे और फिर उन्होंने क्या कर डाला । यह मेरी आवाज नहीं है कि यहां से आप के लोगों ने जाकर वहां जो बातें की हैं जरूर उनसे डाक्टर मुकर्जी की मृत्यु के लिए कोई षड़यन्त्र रचा गया । मैं इस बारे में बिलकुल कुछ नहीं कहना चाहता । जैसा मैं ने कहा यह जनता की आवाज है और आप को इसका विश्वास रखना चाहिये कि मैं असत्य भाषण नहीं करता हूं ।

एक माननीय सदस्य : बिलकुल असत्य है ।

श्री नन्द लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, असत्य शब्द कहने से मन में दलबन्दी की भावना आ जाती है क्योंकि क्या सत्य है और क्या असत्य है यह न मैं जानता हूं और न आप जानते हैं । मैं ने आंखों से कुछ नहीं देखा है । मैं ने स्वयं जाकर सुना नहीं । आपकी भारतीय जनता इस बात की मांग करती है । मैं फिर आप से निवेदन करूंगा कि राजर्षि टंडन जी जैसे निष्पक्षपातपूर्ण व्यक्ति ने और श्री कृपलानी जैसे निष्पक्षपातपूर्ण व्यक्ति ने इस बात की मांग की है । आप के अन्दर भी ऐसे निष्पक्षपातपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मन में शान्ति से सोचा है । इतने बड़े व्यक्ति की मृत्यु हो गयी, और मैं तो उसे हत्या कहूंगा, लेकिन फिर भी आप यह बतलाना नहीं चाहते कि वह हत्या हुई या मृत्यु । हम चाहते हैं कि आप जांच करें । वह या तो हत्या सिद्ध होगी या मृत्यु सिद्ध होगी । अगर मृत्यु सिद्ध होगी तो काश्मीर के बन्धुओं के लिए अच्छा होगा और हमारे मन स्वच्छ हो जायेंगे और यदि हत्या सिद्ध होगी तो आपको कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा । केवल नपुंसकतापूर्वक यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं । आप ने इस क्षेत्र को भारत का अंग मान

कर उसको अपने साथ सम्मिलित किया है। जिन को आप अपना मित्र मानते थे उन प्रच्छन्न शत्रुओं के कामों को देख कर अब आपने अपनी भूल को स्वीकार किया है। आप की उस भूल को जताने वाले डाक्टर मुकर्जी के प्रति आपको फिर सम्मान प्रकट करना चाहिये कि उन्होंने आपको निद्रा से जागृत कर दिया। इसलिए आज में भारतीय जनता की ओर से न्याय की मांग करता हूं। कि आप जांच करें। बख्शी गुलाम मुहम्मद का पत्र भी आपको पढ़कर सुना दिया गया है कि उनको जांच से इन्कार नहीं है उनको बातचीत से इन्कार नहीं है। जब दूसरा इसके लिए तैयार है तब भी आप कहते हैं कि क्योंकि तुम कह रहे हो इसलिये हम ऐसा नहीं करेंगे। वह तो स्वयं इस जांच के लिये तैयार हैं। पर आप बार बार खड़े होकर वकालत करते है। डाक्टर मुकर्जी की अचानक मृत्यु किन छिपे हुये कारणों से हुई है इसका कुछ पता नहीं है। इस परिस्थिति में वज्र भी टूटने लगता है, पत्थर भी रोने लगते हैं पर अगर उनका हृदय न पसीजे तो इससे बढ़कर और कोई दुर्भाग्य नहीं होग।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं स्वतंत्र संसदीय दल की जांच के लिये मांग का समर्थन करता हूं। मैं विषय को प्रावैधिकता और भावुकता की उलझनों से निकाल कर इस पर चर्चा करूंगा।

इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए हमें स्वर्गवासी डा० मुकर्जी की राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं। मैं सदन के वरिष्ट सदस्यों में से हूं और मैं प्रत्येक सदस्य से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे सदस्यों के अधिकारों और विशेष अधिकारों को संसदीय अभिसमयों के दृष्टिकोण से देखें। क्या आप कांग्रेस दल के आदेश पर संसदीय अभिसमयों की अवहेलना करना चाहते हैं? यदि यह सभा प्रगति करना चाहती है तो हमें दलों के प्रति सम्बन्ध विच्छेद कर इस जांच की मांग का समर्थन करना चाहिये।

यद्यपि मैं अधिवक्ता हूं परन्तु विधि सम्बन्धी वादविवाद और मुक्ति प्रत्युक्तियों से कोई लाभ नहीं होगा। मैं बिना जांच के निवारक विरोध के सदा विरुद्ध रहा हूं परन्तु फिर भी डा० मुकर्जी को निरुद्ध करने के सम्बन्ध में उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता पर वादविवाद नहीं करना चाहता। युक्ति के लिए हम स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें किसी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन बन्दी बनाया गया यद्यपि इन अधिनियमों को मैं जनतंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध समझता हूं। आप को जनतंत्र सम्बन्धी अभिसमय के लिए कोई आधार-भूत नियम बनाना चाहिये था। सरकार असाधारण अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। कोई भी सरकार जो सुरक्षा अथवा निवारक निरोध अधिनियम के अधीन कार्य करती है, वह देश के साधारण विधि की अवहेलना करती है। अधिकारों के इस दुरुपयोग में आपको निरुद्ध व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य का अत्याधिक ध्यान रखना चाहिये। यह वह सिद्धान्त है जिस पर सभा के प्रत्येक सदस्य को विचार करना चाहिये। मैं कहता हूं कि केवल विधिविहीन विधि के अधीन कोई सरकार असाधारण अधिकार प्राप्त कर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वन्चित कर सकती है। डा० मुकर्जी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। उन पर अभियोग नहीं चलाया गया। क्योंकि आप ने असाधारण अधिकारों का दुरुपयोग किया है इस लिए आप असाधारण उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते। यह वह अभिसमय है जिस का प्रत्येक सदस्य

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

समर्थन करेगा। हमें सभा के रूप में प्रत्येक सदस्य के अधिकारों और विशेष अधिकारों का संरक्षण करना चाहिये। एक संसद् के सदस्य को निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध किया गया अर्थात् विधि विहीन विधि के अधीन उसे बन्दी बनाया गया तथा इस प्रकार की असाधारण स्थिति में उस की मृत्यु हो गई। इस लिए हम में से प्रत्येक सरकार से आग्रह करता है कि उन परिस्थितियों के सम्बन्ध में जांच की जाए जिन में यह मृत्यु हुई है।

ये आरोप कांग्रेस को छोड़ कर सब दलों ने लगाये हैं। ग्रह मंत्री केवल यह कह कर दोषमुक्त नहीं हो सकते कि यह चर्चा श्री एन० सी० चटर्जी ने चलाई थी। संदेह को दूर करने के लिए सरकार को जांच करनी ही चाहिये। ये आरोप डा० मुकर्जी के चिकित्सा उपचार के सम्बन्ध में है। आप चिकित्सा सम्बंधी जांच से क्यों घबराते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि चिकित्सक प्रश्न को व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखते हैं। परन्तु आप के पास उच्चतम न्यायालय है। क्या आप उच्च न्यायाधीश की निष्पक्षता पर संदेह करते हैं? तब आप जांच से क्यों भयभीत हैं? कांग्रेस दल को छोड़ देश के लाखों व्यक्ति इस सम्बन्ध में आरोप लगा रहे हैं। आप के भी टंडन जी और बी० सी० राय जैसे विद्वान नेताओं ने यह मांग की है। यदि आप कहते हैं कि सब आरोप आधार रहित हैं तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच करवाएं। न्यायाधीश आप को अवश्य दोषमुक्त ठहरायेंगे।

डा० जयसूर्य (मेदक): यदि मृत्यु साधारण ढंग से हुई होती तो विषय इतना न उलझता परन्तु यह इसलिए उलझ गया है क्योंकि एक व्यक्ति का निधन बिना अभियोग के रखे गए बन्दी के रूप में हुआ है। मैं स्वीकार कर सकता हूं कि डा० काटजू को विधि स्पष्ट-तया विदित है परन्तु यह स्वीकार करना कठिन है कि वे चिकित्सा के सम्बन्ध में कुछ जानते हैं। तो भी उन्होंने हृदय रोग से मरने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में अभिमत व्यक्त किया है। हम जानते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है परन्तु एक दूर स्थान पर बिना जांच के निरुद्ध व्यक्ति की मृत्यु न तो अनिवार्य है और न ही साधारण।

इंगलैंड में यह विधि है कि जब कोई मरता है तो उस की शव परीक्षा की जाती है परन्तु भारत में ऐसी विधि नहीं है। यदि कोई मारा जाय और उसका दाह कर्म हो जाय तो कुछ भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। चिकित्सिक लोगों का अनुभव है कि हृदय के सम्बन्ध में पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका सम्बन्ध कई भावनाओं और स्नायु ग्रंथियों से है। इस में संदेह नहीं कि डा० मुकर्जी बीमार थे। परन्तु हमें यह जानने का अधिकार है कि क्या उन्हें बचाने के लिए सब कुछ किया गया और विशेषतः उन की दुखी माता का यह अधिकार अवश्य है हमारी यह मांग है कि भारत की जनता को यह विश्वास दिलाया जाए कि उन की मृत्यु प्राकृतिक कारण से हुई है।

विधि के सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। मैं अपनी अनभिज्ञता स्वीकार करता हूं। मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि भारत में कश्मीर जाने के सम्बन्ध में परमिट प्रणाली की विधि

का कब अन्त हुआ ? क्या डा० मुकर्जी भारत सरकार की अनुज्ञा से नहीं परन्तु उस की जानकारी से सीमांत पर गए ? क्या यह तथ्य है कि पंजाब सरकार ने न केवल उन्हें जाने की अनुज्ञा दी वरन् उन को सहायता की ? कश्मीर सरकार ने किस समय और कब इस प्रणाली के सम्बन्ध में विधि बनाई ?

यह सम्भव है यद्यपि अवांछनीय है कि व्यक्ति की मृत्यु नजरबन्दी के काल में स्वाभाविक कारणों से हो जाये परन्तु केवल यह ही मामला नहीं कि एक व्यक्ति की मृत्यु नजरबन्दी काल में हुई है । इसके अतिरिक्त मैं अन्य छः व्यक्तियों को जानता हूं जिनकी मृत्यु कारागार में हुई और उनके शवों का भी पता नहीं चला कि कहां गये । उन्हें क्या हुआ ? उन के शव कहां हैं ? मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र को इन सब के बारे में पूर्ण सूचना होनी चाहिये । मैं उनसे इसके बारे में पूछताछ करने तथा भारतवासियों को यह बताने का कि इस मामले में क्या हुआ निवेदन करता हूं । सम्बन्धियों का जिनके व्यक्तियों को नजरबन्द किया जाता है यह अधिकार तथा कर्त्तव्य है कि उन्हें यह विश्वास कराया जाये कि इन व्यक्तियों की प्रत्येक दशा में रक्षा की गई थी । कोई भी डाक्टर ऐसा नहीं है जिससे गलती न हो । मैं जानता हूं कि असावधानी के कुछ उदाहरण हैं । मैं तो केवल इसका निर्देश कर रहा हूं । मेरा विचार है कि इस मामले में आप के लिए सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि आप एक डाक्टरी जांच पड़ताल करायें ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं इस सदन को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि डाक्टर मुकर्जी के दुखद निधन से किसी किस्म का राजनैतिक फायदा उठाने के लिये यह प्रस्ताव सदन के सामने नहीं रखा गया है । मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी राजनैतिक लड़ाई राजनैतिक रंगमंच पर जारी रहेगी और हम विश्वास रखते हैं कि राजनैतिक क्षेत्र में हम अवश्य विजयी होंगे । यह लड़ाई डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र और जन तन्त्र की रक्षा के लिये हम यहां लड़ रहे हैं । देश के एक महान् नेता और विरोधी दल के नेता को जिस प्रकार से आपने कैद किया, और उसके बाद जिस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई, उन सब बातों पर विचार करने के लिए आज यह विषय सदन में रखा गया है ।

सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं जिसके बारे में यहां बहुत विचार हुआ । हमारे गृह मंत्री जी ने यह पूछा है कि भारत सरकार का और काश्मीर सरकार का इसमें षडयन्त्र क्या था ? उस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि भारत सरकार का पहला अपराध यह था कि अनुमति पत्र की पद्धति काश्मीर जाने के लिये भारत सरकार के सुरक्षा विभाग ने निकाली थी और इसका स्वयं मुझे अनुभव है कि जब मैं और श्री त्रिवेदी जम्मू जाना चाहते थे और उसके लिये हमने भारत सरकार के सुरक्षा विभाग के पास आवेदन पत्र भेजा तो हमको जवाब मिला कि आपको काश्मीर जाने के लिये परमिट नहीं दिया जायगा इसके पश्चात मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा और यह लिखा कि मैं नहीं समझता हूं कि आपकी अनुमति से हमको यह अनुमतिपत्र देने से इंकार किया गया है । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया कि जब तक जम्मू में आन्दोलन चल रहा है आपको या आपके दल के किसी भी व्यक्ति को डाक्टर मुकर्जी को या उनके दल के किसी भी व्यक्ति

[श्री वी० जी० देशपांडे]

को मैं जम्मू और काश्मीर में जाने की अनुमति नहीं दूंगा। इस पर भी मैंने और श्री त्रिवेदी ने जम्मू जाने का निश्चय किया और फलस्वरूप पंजाब सरकार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रट, जालन्धर ने हम दोनों को प्रीवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट में कद किया जहां तक मुझे याद पड़ता है १६ अप्रैल को हम लोग पकड़े गये और ८ मई को यहां ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि चूंकि हमारा इरादा इस परमिट सिस्टम को तोड़ने का था और हमारा इरादा जम्मू और काश्मीर में जाने का था, हमें सरकार इसके लिए कैद नहीं कर सकती है और उन्होंने हमारी उस गिरफतारी को अवैध ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने हमको छोड़ दिया।

मेरा आक्षेप यह है कि डा० मुकर्जी को अन्दर भेजा गया तो वह इसी के लिए भेजा गया कि डा० काटजू साहब उन को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट में बन्द नहीं कर सकते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि सरकार का आर्डर जायज़ है। उन्होंने बताया कि जितनी अनुज्ञायें निकाली गई सब गलत थीं और सब को इसी बात पर छोड़ दिया। मुझे भी जब यहां छोड़ दिया तो सोचा कि डा० मुकर्जी को अब प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट में नहीं कैद करना चाहिये क्योंकि यहां तो लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत सख्त सुप्रीम कोर्ट माजुद है। इसलिये उन को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर भेज कर कैद करो ताकि सुप्रीम कोर्ट उन की मदद न कर सके। इसके लिये उन्हें जान बूझ कर कश्मीर भेजा गया में कहता हूं जिस तरह से कि जनसाधारण कहते हैं कि आप का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां भेजा गया और उस ने वहां जा कर कहा कि ऊपर से हम को आज्ञा मिली है कि आप वहां जा सकते हैं। और अपनी जीप में बैठाकर वह ले गये। जब तक डा० मुकर्जी यहां रहते हैं तब तक उनकी रक्षा करने के लिये यहां पर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है इस लिये उन को बाहर भेजना चाहिये। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह भारत सरकार की साजिश थी कश्मीर गवर्नमेंट के साथ कि डा० मुकर्जी को पंजे में लिया जाय। आप को पता होगा कि यहां की सरकार के सामने उनके ऊपर अभियोग चल रहा था और उस अभियोग के समय में ही डाक्टर मुकर्जी ने साजिश पकड़ ली। वह यहां पर पर्सनल बाण्ड पर छूटे थे। उन्होंने पर्सनल बान्ड कैंसेल कराना चाहा लेकिन यहां के मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जब तक उन पर अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। यह कह कर उन्होंने उनके बान्ड को कैंसल करने की इजाजत नही दी। डा० मुकर्जी कश्मीर शेख अब्दुला से मिलने जा रहे थे। मुझे पता है जिस दिन खबर आई कि डा० मुकर्जी को इजाजत मिलनी है कि जा सकते हैं, शेख अब्दुला ने उन को बुलाया है, हम लोगों ने समझा कि अब कुछ बात चीत होगी। यह समझ कर ही हम लोग उन को वहां ले गये, लेकिन ले जाने के पश्चात क्या हुआ यह बात आप के सामने आ चुकी है। हम लोग जांच का काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास काफी इन्फार्मेशन है जिस से हम लोगों के दिल में पक्की तौर से यह बात आ गई है कि कश्मीर में जो कुछ हो गया

हैं, जो उन की मृत्यु हो गई ह वह उन की नैसर्गिक मृत्यु नहीं ह। इस के सम्बन्ध में हमारे पास जो चीज़ है वह हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन प्राइमा फैसी केस हैज बीन मेड आउट । मैं समझता हूं कि जिस तरह से एक एक बात हम को बताई गई, अभी गृह मंत्री जी ने बताया कि डा० मुकर्जी को घमने की इजाजत दी गई थी लेकिन प्रत्यक्ष घूमने को नहीं मिला। शेख अब्दुल्ला ने सरदार हुकुम सिंह साहब को बतलाया कि वह आज्ञा दे देंगे, बात तो ठीक ह बंगला अच्छा नहीं था लेकिन दूर दूर बड़ा अच्छा था बड़े सुन्दर २ सपने दिखाई देते थे। सृष्टि सौंदर्य दूर से देखने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन वहां घुमने के लिये जगह नहीं थी क्षितिज तक दूर २ से देख सकते थे । बात तो यह थी कि वह कमरा छोटा था, घूमने के लिये जगह नहीं थी । बाद में जब डा० मकर्जी बीमार पड़े उस के पश्चात् हम देखते हैं, अगर हम सब बातों को छोड़ दें क्योंकि मैं बाज़ार की रूमर पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं सरकार के भाषणों पर भी विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हूं । किस तरह से मिस-इंटरप्रेट कर के, किस तरह से कंटैक्सट छोड़ कर उन्होंने बातें की हैं, इस को देख कर किस तरह से सत्य प्रदर्शन के लिये सरकार अपनी बाज़ी रख रही है, मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं लेकिन खैर मैं इसको यहां छोड़े देता हूं कि डा० मुकर्जी के बारे में मुझे पता लगा कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। हमारे गृह मंत्री जो बड़े भारी वकील हैं उन्होंने दो बातों का एडमिशन किया। डा० काटजू ने कहा अगर डाक्टर ने पत्र भेजा होता तो बहुत अच्छा होता। यानी डा० काटजू साहब मानते हैं कि उन के रिश्तेदारों को उन्होंने पता नहीं दिया। लेकिन यह गलती किस की हुई जेलर की हुई । आगे चल कर उन्होंने त्रिवेदी साहब पर आक्षेप करते वक्त यह भी गलती मंजूर की कि डाक्टर को इजाजत नहीं देनी चाहिये थी। वह खुद कहते हैं कि त्रिवेदी को नर्स लाना चाहिये था । नर्स का लाना त्रिवेदी का काम नहीं है । बात यह है कि वहां की जेल अथारिटी और गवर्नमैन्ट अथारिटीज के चार्ज में डा० मुकर्जी थे। और मैं यह कहना चाहता हूं कि इट इज़ नाट औनली नैग्लिजैन्स, यह डैलिबरेट तरीका है राज्य विरोधी को नुकसान पहुंचाने का। दुनिया में जो डिक्टेटरशिप वाले देश हैं उन देशों में यही तरीका होता है। वहां पर अगर कोई ब्लड प्रेशर का रोगी हो. या हार्ट का रोगी हो, उस को हार्ट का अटैक होता है तो जितने एलिक्ट्रिक लिफ्ट होते हैं वह बन्द कर दिए जाते हैं । यह समझा जाता है कि रोगी को ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और श्रम के कारण उसकी मृत्यु हो जायेगी । मैं केवल यह सजेशन रखना चाहता हूं, किसी चीज़ का अतिरेक नहीं करना च हता हूं। लेकिन जिस तरह से सरकार वकीली ढंग से कहती है कि त्रिवेदी जी के कारण डा० मुकर्जी की मृत्यु हुई, जो चीज़ डा० काटजू समझते हैं कि परिश्रम के कारण उनकी मृत्यू हुई, यदि यह सत्य भी हो तो क्या वहां के डाक्टर को पता नहीं था, वहां के जेलर को पता नहीं था ? यह जानते हुए, जान बूझ कर इस प्रकार के परिश्रम करने की आज्ञा क्यों दी कि जिस से हार्ट अटैक होने के कारण डाक्टर मुकर्जी की मृत्यु हो जाय मैं समझता हूं कि हत्या करने की बात अनेक बार हुई है। मैं ने एक फ्रेंच स्टोरी पढ़ी थी, उस में यह दिया है कि एक

[श्री वी० जी० देशपांडे]

आदमी का पड़ौसी अपनी पत्नी पर बहुत अत्याचार करता था, और उस के हृदय में उस के लिए बड़ा क्रोध था। एक दिन एक तालाब के किनारे वह घूमने के लिए जा रहा था और उस ने देखा कि तालाब में एक आदमी डूब रहा है और पुकार रहा है। बहुत पुकारने के बाद उस को निकालने के लिए जाते समय इस आदमी ने देखा कि वही पड़ोसी है जो पत्नी पर अत्याचार करता है। उसको निकालना चाहिये था, लेकिन नहीं निकालता है और वैसे ही घर चला आया। दूसरे दिन पता चला कि पानी में डूब कर उस का पड़ोसी मर गया। उस कहानी के अंत में उस ने सवाल पूछा है कि क्या उस पड़ोसी ने यह काम अच्छा नहीं किया ? उसे किनारे निकालना चाहिये था ? मेरी समझ में उस का कान्शिएस उस को बतला रहा था कि उस को जो चीज करनी चाहिए थी वह उस ने नहीं की बाई फाल्ट आफ ओमिशन उसी प्रकार से डा० मुकर्जी के डाक्टर को जो परवाह करनी चाहिए थी, जिस प्रकार की चिंता उस को करनी चाहिये थी और उन को परिश्रम नहीं करने देना चाहिये था, इस को जान बूझ कर जब ऐसा करने दिया जाता है तो उन पर हत्या का दोष लगता है। उन्होंने जान बूझ कर ऐसा किया है मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति यहां पैदा हुई ह, इस प्रकार का संशय पैदा हुआ है और खासकर डिमाक्रेसी के अन्दर हम देखते हैं कि हम उसी हालत में कायम हैं जिस प्रकार से डिक्टेटरशिप में होता है। उसी प्रकार से डिमाक्रेसी के अन्दर अपोनेन्ट के साथ बर्ताव होता है। मुझे एक मित्र ने बताया और गृह मंत्री जी को बताया कि आप लोगों ने पार्लियामेन्ट के मेम्बरों को सी क्लास दिया है। तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया अगर सी क्लास दिया। जिस प्रकार से यहां बातें होती हैं या अपोनेन्ट के साथ जैसा बर्ताव होता है, मैं समझता हूं कि उस से एकतंत्रवाद की बात सिद्ध होती है। जनतंत्रवाद में अपने विरोधियों को कुचलना और यहां तक कि उन के बड़े से बड़े आदमी की मृत्यु होने के पश्चात भी उस की जांच करने के लिये तैयार न होना यह भावना जिस देश में पैदा हो जायेगी उस देश में जनतंत्र का विकास नहीं हो सकता। और इस लिए मैं जनतंत्र की सुरक्षा के लिये यह मांग करता हूं कि डा० मुकर्जी की मृत्यु के सम्बम्ध में पूरी जांच होनी चाहिये।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मैं अपने माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी की मांग का हार्दिक समर्मन करता हूं कि उन परिस्थितियों की पूर्ण जांच पड़ताल होनी चाहिये जिनके परिणाम स्वरूप नज़र बन्दी में डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की मृत्यु हुई। सहस्त्रों देशवासियों का विश्वास है, चाहे यह सत्य है या असत्य, कि डा० मुकर्जी की मृत्यु अत्यन्त सन्देहपूर्ण परिस्थितियों में हुई है। यहां हम ने बहुत से व्यक्तियों के तथ्यों को सुना है। इस मामले में एक सार्वजनिक जांच करना तथा उनकी मृत्यु के बारे में सब परिस्थितियों को जनता के समक्ष रखना एक बड़ी साधारण सी बात होती इस से देशवासियों में सरकार के प्रति श्रद्धा-भाव उमड़ता।

डा० मुकर्जी एक बड़े ही सुविख्यात व्यक्ति थे। जब उन्होंने यहां यह घोषणा की

कि वह काश्मीर जा रहे हैं तो मैं ने उनसे वहां जाने को मना किया और कहा कि आप अपने आप को शत्रुओं के हाथ में दे रहे हैं। परन्तु उनका कहना था कि वह भारत सरकार द्वारा रोके जायेंगे। उन्हें कभी भी यह विचार न था कि भारत सरकार उन्हें काश्मीर जाने देगी। परन्तु जब उन्हें भारत सरकार के दलालों ने काश्मीर जाने में सहायता दी तो अवश्य ही डा० मुकर्जी को अचंभा हुआ होगा। मेरे विचार में य सारी चालें किसी तीक्ष्ण बुद्धि वाले की हैं और कोई भी यह सोच सकता है कि वह कौन है।

अतः देश और सहस्त्रों देश वासियों की सार्वजनिक जांच की मांग स्वीकार की जाय, मेरा सरकार से यह आग्रह है।

श्री जोकीम आल्वा : इस सदन में यह अत्यन्त दुःखद अवसरों में से एक है कि हम से भारत संसद के अत्याधिक प्रभावशाली व सफल वक्ता की मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करने को कहा जाता है। मझ हर्ष है कि आप ने वाम पक्ष को अपने भाव प्रकट करने का अवसर दिया है।

कल ही काश्मीर के श्री फोतेदार कह रहे थे कि उन्हें इस सरकार से एक शिकायत ह कि भारत सरकार कभी किसी दशा या रूप में काश्मीर में हस्ताक्षेप नहीं करती। वाम पक्ष वाले कहते हैं कि हमारी सरकार को हस्ताक्षेप करना चाहिय। डा० मुकर्जी की मृत्यु के पश्चात् हमारे राष्ट्रीय जीवन तथा अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में क्रान्तकारी परिवर्तन हो गये हैं।

काश्मीर सरकार पर उसकी वर्तमान स्थिति में इस पूछताछ का बोझ नहीं डाला जाना चाहिये। श्री चटर्जी ने भारत सरकार पर जिस तरह का आरोप लगाया है, मेरी समझ में वह ठीक नहीं है। मझे श्री चटर्जी की मांग से सहानुभूति है। मैं भी डा० मुकर्जी का प्रशंसक हूं और भविष्य में भी रहूंगा। राजनीतिक जीवन की तड़क-भड़क को भूल जाने के बाद हमारे भारत संसद से चले जाने के बाद और इन सभी बातों के बाद भी हम सभी डा० श्यामा प्रसाद को सदा स्मरण किया करेंगे।

किन्तु आज भारत सरकार या काश्मीर सरकार पर श्यामा प्रसाद मुकर्जी की मृत्यु संबंधी पूछताछ का उत्तरदायित्व नहीं रखा जा सकता। हमें इस सम्बन्ध में सांविधानिक स्थिति का भी कोई पता नहीं। यदि वहां का राज्य अव्यवस्थित हो तो भारत सरकार राष्ट्रपति द्वारा वहां का प्रशासन संभाल सकेगी। इन दिनों वहां का संचरण, रक्षा और विदेश कार्य ही हमारे हाथ में है। हमें यह भी मालूम नहीं कि काश्मीर सरकार पर हमारा क्या अधिकार है। चुपके से और विभाग की ओर से लोगों को दण्ड मिले, और विभाग की ओर से उसके इलाज के लिये उत्तरदायी डाक्टरों को दण्ड मिले—यही हो सकता ह।

मुझे वह पुरानी घटना याद आ रही है जब दिवंगत पंडित मोतीलाल नेहरू ने राजनीतिक बन्दियों के अधिकारों के लिये यहां बहुत गरम बहस की थी, और दिवंगत जितेन्द्रनाथ दास ने इसी संघर्ष में अपनी जान तक दी थी। उस घटना के बाद राजनीतिक बन्दियों का श्रेणीकरण होने लगा, और भारतीय जेलों में फिर बन्दियों को कुछ एक सुविधायें मिलने लगीं।

श्रीमान्, हम में से बहुतों ने जितेन्द्रनाथ दास के बलिदान से लाभ उठाया। मैं नहीं समझता कि भारतीय राजनीति के महारथी दिवंगत पंडित मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र

[श्री जोकीम आल्वा]

पं० जवाहरलाल नेहरू का कर्मना, वाचा या मनसा डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी की मृत्यु में कोई हाथ रहा होगा । भला वह ऐसी बात करते भी क्यों जब वह हमारे हर किसी विरोध को सहते रहे हैं । अतः मैं अपने विरोधी मित्रों से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस पूछताछ पर अधिक ज़ोर न दें । यद्यपि हम में से कोई भी डा० मुकर्जी से सहमत नहीं था, फिर भी हम उनको सदा स्मरण करते रहेंगे और जब भी कोई दर्शक या देशभक्त दर्शक काश्मीर चला जाय, वह वहां इस बात का स्मरण करे कि इसी स्थान पर एक देशभक्त अपने सिद्धान्तों के लिए संघर्ष करते करते मर गया था ।

श्रीमान्, बैठने से पूर्व मैं राजनीतिक बन्दियों के सम्बन्ध मे एक शब्द कहूंगा । श्यामा प्रसाद मुकर्जी की मृत्यु से हमें एक सीख मिलती है । इस प्रकार की यह चीज़ इतिहास में प्रथम और अन्तिम होनी चाहिये । जैसा बतला भी चुका हूं, हमारे देश-भक्तों ने हमारे राष्ट्रीय जीवन और स्वतंत्रता के पेड़ को अपने रक्त से सींचा है । हमें चाहिय कि हम राजनीतिक बन्दियों से सदव्यवहार करते रहें क्योंकि हम स्वयं जेलों में देख चुके हैं कि जिन बन्दियों ने आग्रह किया उन के साथ क्या बीतती रही । उन्होंने किस प्रकार के बलिदान किये थे, और उसके बदले में उन्हें क्या मिला । उनके ये बलिदान व्यर्थ नहीं हैं, और हम अपने राजनीतिक बन्दियों को इस प्रकार के शारीरिक कष्ट उठाने नहीं दिया करेंगे । धन्य हो कि जेल नियमावली में भी बहुत से सुधार किये जा चुके हैं, और विशेषतया बम्बई राज्य में जहां अपराधी या अभ्यस्त बन्दियों के साथ भी बड़ा अच्छा व्यवहार होता है । राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के देशभक्त वीरों ने हमें यह सुविधायें दिलाई हैं और अब हम भी अपने उत्तराधिकारियों को परम्परा में, यही सुविधायें देंगे ।

कहा जाता है कि जिन देशों में बहुत ही गुप्तता बरती जाती है, वहां विरोधी मारे जाते हैं । लोकतंत्रवादी अमरीका के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार कहा जाता है कि यदि उनके किसी भी पदाधिकारी के पास से कोई साम्यवादी पुस्तक निकल आय तो उस के पीछे कुत्ते छोड़े जाएंगे और उसे वहां से हटा दिया जाएगा ।

श्री गिडवानी (थाना) : हमारे समाज-वादी मित्रों के साथ क्या व्यवहार होता है ? श्री अशोक मेहता का वक्तव्य पढ़ लीजिय ।

श्री जोकीम आल्वा : मैं बतला चुका हूं कि यह दुःखद घटना पहली और अंतिम होनी चाहिये । हम इन दुःखों को कम करने का प्रयत्न करेंगे । मैं पुनः डा० मुकर्जी की मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूं । जब भी हमें उनकी याद आती है और जब भी हम देखते हैं कि अब वह संसद में नहीं रहे तो हमें शोक होता है । उनका बड़ा भारी व्यक्तित्व था, और यद्यपि हम उनकी नीति से सहमत नहीं थे वह भारत संसद के एक बड़े भारी वक्ता थे । मैं इस विवाद में यही पूछना चाहता हूं कि क्या किसी अल्प-संख्यक राजनीतिक दल को इस बात का अधिकार था कि वह किसी बहुसंख्यक राजनीतिक दल की विजय पर रोता पीटता । इसी तरह, क्या कोई दल दिल्ली की गलियों में १९४८ की जैसी दशा कर के रोता-पीटता ? श्रीमान, हम इस प्रकार की गतिविधियों का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे । ठीक है हमारे एक बड़े भारी व्यक्ति की मृत्यु हुई---और हम इस बात क

लिये दुःखी हैं और उनको सदा याद करते रहेंगे।

श्री आर० के चौधरी : इस विवाद के प्रभारी माननीय मंत्री के उत्तर से पहले मैं कुछ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

डा० काटजू उठे—

श्री आर० के० चौधरी : मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री अभी ठहरें। म कई तथ्य जानना चाहता हूं। सब से पहले, शेख अब्दुल्ला ने स्वयं पत्र में दिया था कि मैं डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी को छोड़ने के लिये तैयार हूं। किन्तु डा० मुकर्जी की मृत्यु से पहले—जब प्रधान मंत्री भारत में नहीं थे—वह छोड़े नहीं जा सके। मैं सदा इसी बात पर शशोपञ्ज में रहा कि डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी को रिहा करने के लिये शेख अब्दुल्ला को प्रधान मंत्री से परामर्श लेने की क्या आवश्यकता है? निश्चय ही, भारत सरकार का इस बात से कोई भी मतलब नहीं था कि श्यामा प्रसाद मुकर्जी को काश्मीर सरकार द्वारा बन्द कराती। यदि ऐसी बात थी तो शेख अब्दुल्ला ने क्यों ऐसा कहा कि चूंकि प्रधान मंत्री भारत में नहीं हैं इसलिये उन्हें छोड़ा नहीं गया है। मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति में शेख अब्दुल्ला ने उनसे इस सम्बन्ध में परामर्श किया था, और यदि हां, तो क्या उन्होंने शेख से यह भी कहा था कि प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति में कोई भी आदेश नहीं जारी हो सकता। श्रीमान्, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यदि अमुक व्यक्ति के लिये किसी देश में जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो क्या उस देश की सरकार इस कार्यवाही पर भी ध्यान देती है कि प्रतिबन्ध की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को वहां से निकाला जाय। तो श्रीमान्, डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी को भी वहां से उसी समय क्यों नहीं निकाला गया जब उसने कानून को भंग किया। उसे क्यों नज़रबन्द रखा गया? भारत सरकार की ओर से स्थिति की सफाई मांगते हुये मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के साथ इस प्रकार की कोई साज़िश तो नहीं हुई है जिस के अनुसार डा० मुखर्जी नज़रबन्द हो गये और गिरफ्तार किये गये। यदि इन दो बातों का जवाब मिले तो भारत सरकार की ओर से इस मामले की सफ़ाई हो जाती है। सबसे पहले भारत सरकार द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी कि काश्मीर सरकार से इस बात का आग्रह किया जाय कि वह डा० मुकर्जी को गिरफ्तार करके नज़रबन्द करें, और इसके बाद का शेख अब्दुल्ला का यह वक्तव्य कि डा० मुकर्जी की रिहाई भारत सरकार की इच्छाओं पर निर्भर करती है—यदि इन दो विरोधी बातों को स्पष्ट किया जाय तो हमें कोई भी शिकायत नहीं रहती।

हमें श्री चटर्जी को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया और फिर श्री त्रिवेदी को जिन्होंने अपनी जानकारी के अनुसार स्थिति के तथ्य बताये। प्रेस ने भले ही गप-सप कही हो, श्री त्रिवदी ने तथ्य बता दिये हैं। श्रीमान्, यदि किसी भी न्यायाधीश के समक्ष श्री त्रिवेदी ने यह सब कहा होता तो न्यायाधीश के प्रत्यक्षतः संतोष प्राप्त हुआ होता। किन्तु भारतीय न्यायालय इस मामले की पूछताछ नहीं कर सकता क्योंकि यह और कहीं हुआ है। इस पर एक और भी बात है कि काश्मीर के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग कौन चलाये। काश्मीर की

[श्री आर० के० चौधरी]

स्थिति के सम्बन्ध में मुझे सदा गड़बड़ दिखाई देती है। मैं इसके सम्बन्ध में कुछ भी समझ नहीं पाता। इस सदन में जो भी विधान पारित होता है, उसके सम्बन्ध में यही कहा जाता है कि यह काश्मीर पर लागू नहीं हो सकता। इसका क्या इलाज है ? ठीक है, डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी के अनुयायियों ने जो कुछ भी कहा है, बिल्कुल ठीक है ; किन्तु इसका उपचार क्या किया जाय ? यह भी ठीक है कि काश्मीर भारत का एक भाग तो है, और यह भी ठीक है कि किसी विधान के अनुसार यहां का अमुक विधान वहां लागू नहीं हो सकता। तब तो यही स्थिति है कि साधारण मामलों में काश्मीर भारत में है। जहां तक विधान बनाने का प्रश्न है, जब तक आप यह नहीं बताते कि अमुक विधि काश्मीर पर लागू नहीं होगी, तब तक वह वहां पर अवश्य लागू होगी। और जिस विधि के सम्बन्ध में कोई भी उल्लेख नहीं आया, यह माना जाएगा कि वह वहां भी लागू होगी। अतः सभी अन्य मामलों में काश्मीर भारत का भाग है और भारत के प्रधान मंत्री को काश्मीर पर पूरा-पूरा अधिकार है।

डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने बतलाया था कि मरी समझ म यह बात नहीं आती कि दो प्रधान मंत्री कैसे हो सकते हैं। और हमारे लिए यह समझना भी कठिन है कि यह संसद् सरकार के पास किस बात की सिफारिश करेगी। क्या भारत सरकार स्वयं पूछताछ करेगी, या चूंकि काश्मीर स्वतंत्र है, अतः काश्मीर सरकार से यह प्रार्थना करेगी कि वे यहां के लोगों की अनुपस्थिति में पूछताछ शुरू करें ? वास्तव में किया क्या जाएगा ? क्या हम केवल उपेक्षा प्रगट कर सकते हैं ? डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी हृदय की गति रुकने से मर गये हों अथवा नहीं, किन्तु हमें इस विवाद के चलाने में सहृदयता से काम लेना चाहिये। हमें इस मामले में हल्की-फुल्की बात नहीं करनी चाहिये। यदि काश्मीर भारत का एक भाग है तो भारत सरकार के प्रधान मंत्री काश्मीर के अधिकारियों से यह प्रार्थना करें कि वे डा० मुकर्जी की मृत्यु पर विचार एवं पूछताछ करें। यदि काश्मीर भारत का भाग नहीं, तब भारत सरकार, विधि के अनुसार, वहां की सरकार से इस बात का जवाब तलब कर सकती है कि यहां का एक नागरिक क्यों मर गया और इस बात के लिये कार्यवाही भी कर सकती है। किन्तु सच यही है कि भारत सरकार का इस प्रकार का रवैया होना चाहिये।

डा० मुकर्जी की असामयिक मृत्यु पर भारत सरकार को भी उतना ही खेद है जितना कि हमको; भारत सरकार को काश्मीर सरकार की और विशेष रूप से वहां के डाक्टर पदाधिकारियों की तथा-कथित लापरवाही पर खेद है; ऐसा हमारा दृष्टिकोण होना चाहिये।

मुझे यह जानकर हार्दिक दुःख हुआ कि कुछ माननीय सदस्यों ने तथा श्री आलवा सरीखे व्यक्ति ने ऐसे व्यक्तियों की सूची सुना डाली जिनकी मृत्यु हृदयगति के रुक जाने से हुई थी, जैसे कि श्री मुकर्जी को भी उसी श्रेणी में लेना हो।

श्री जोकीम आल्वा : मैंने तो यह नहीं कहा था। मैंने तो यह कहा था कि बंगाल के सभी बड़े नेताओं की मृत्यु दुखदायी परिस्थितियों में हुई है।

श्री आर० के० चौधरी : बंगाल के उन नेताओं की मृत्यु के बारे में जो कि हृदयगति रुक जाने से हुई थी, सरकार से

कभी भी कोई प्रश्न नहीं किया गया। महात्मा गांधी की मृत्यु और वह भी जिन परिस्थितियों में हुई उसके लिए हम सभी दुखी हैं। डा० मुकर्जी विरोधी दल के नेता थे। इसी कारण प्रधान मंत्री ने सदैव उनके प्रति सम्मान एवं प्रेम-प्रदर्शन किया। उन्हों ने कहा था कि, "डा० मुकर्जी सदन के मूल्यवान सदस्य थे, वे सदन के मुख्य सदस्यों में थे, देश के कल्याण के लिए उन्हों ने बहुत कुछ किया, बंगाल और आसाम में उन्हों ने शिक्षा फैलाई; उनकी मृत्यु का हमें महान दुःख है।"

उनकी मृत्यु के बारे में बहुत सी बातें प्रकाश में आई ह चाहे कश्मीर पर हमारा अधिकार भले ही क्यों न हो किन्तु जनता वास्तविक स्थिति जानने की अधिकारी है। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि डा० मकर्जी के यह कहने पर कि अमुक इजेंक शन उनको न दिया जाय क्योंकि कलकत्ता के डाक्टरों ने मना कर दिया है और फिर भी उन्हें वह इन्जेक्शन दिया गया तो क्या यह तथ्य है? हम यह जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय जिन बातों को जानते हैं उनकी व्याख्या करें तथा जिनका ज्ञान उन्हें नहीं है उनके बारे में वह सदन को यह आश्वासन दें कि वह पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे।

डा० काटजू: श्री आर० के चौधरी ने तीन प्रश्न रखे हैं एक तो यह है कि डा० मुकर्जी को बाहर क्यों नहीं किया गया? मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उस अध्यादेश में ऐसा कोई अधिकार भी है अथवा नहीं? किन्तु इस बात को हम सभी जानते हैं कि डा० मुकर्जी एक साधारण नागरिक नहीं थे। वह एक बहुत बड़े दल के नेता थे। वह इस सदन के नेताओं में से एक नेता थे। उन्हों ने बार बार यही कहा था कि मैं ने जम्मू जाने के लिए पूरा पूरा निश्चय कर लिया है। मैं इसके बारे में कुछ अधिक नहीं कहकर केवल इतना कहूंगा कि सम्भवतः जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने सोचा हो कि इस प्रकार उन्हें बाहर ढकेलना केवल एक निरर्थक खेल होगा।

श्री जे० बी० कृपालानी: क्यों?

डा० काटजू: आप एक व्यक्ति को बाहर निकालते हैं, उसको बाहर निकालने का क्या अभिप्राय होता है? आप उसे भारत सीमा में भेज देते हैं वह फिर घुस जाता है। आप उसको बन्दी बना लेते हैं? जब पुलिस के महानिरीक्षक ने उनको आदेश दिखाया कि आप वहां न जायें तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं मैं तो जा रहा हूं। तब दो मिनट के उपरांत उनको बन्दी बना लिया गया।

तो क्या उनको वहां से निकालने का खेल निरर्थक नहीं होता?

श्री जे० बी० कृपालानी: क्या सरकार ने आपसे परामर्श नहीं लिया था?

डा० काटजू: आप सदैव भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। मैं एक बात को बहस के रूप में लेता हूं। यह एक प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। चाहे आप इसे स्वीकार करें अथवा इसका खंडन करें!

श्री आर० के० चौधरी: क्या कश्मीर सरकार का भी यही विचार था?

डा० काटजू : आप चाहें विश्वास करें अथवा न करें किन्तु उन्हों ने मुझ से कभी परामर्श नहीं किया। कश्मीर संविधान के अनुच्छेद ३७० के अन्तर्गत है। कश्मीर की वैधानिक स्थिति के बारे में हम विचार नहीं कर रहे है।

दूसरा प्रश्न यह है कि शेख अबदुल्ला ने एक वक्तव्य में जो सम्भवत: डा० मुकर्जी की मृत्यु के उपरांत जारी किया हैं उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए कहा है कि मुझे महान दु:ख है ; तथा स्वयं मैं उनको प्रधान मंत्री के इङ्गलैंड से लौटने के उपरांत मुक्त करने की बात सोच रहा था। इससे प्रकट होता है कि प्रधान मंत्री भी इस निरोध के अंग थे। यह भी एक साधारण जानकारी की बात है कि प्रजा परिषद् के आन्दोलन को वापिस लेने की बात चीत उन दिनों चल रही थी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]।

शेख अवदुल्ला के सम्मुख भी यह प्रश्न कई बार आया तथा उन्हों ने डा० मुकर्जी से भी इसकी चर्चा की। यह निश्चित हुआ कि सरदार हुक्म सिंह उनसे मिलने जायेंगे किन्तु २१ जून को पहले गाँव में उनको सूचना मिली कि डा० मुकर्जी बीमार है अत: एव यह भेंट स्थगित करनी होगी इस सूचना के सम्बन्ध में मैं ने शेख अबदुल्ला से कोई बात नहीं की है। किन्तु उस समय हम प्रजा परिषद आन्दोलन के बारे में कुछ तै करने का प्रयत्न कर रहे थे। शेख अबदुल्ला ने भले ही सोचा हो कि यह प्रजा परिषद् आंदोलन समाप्त हो जाय या न हो जाय, और इसके निर्णय पर ही यह निर्भर है कि क्या डा० मुकर्जी जम्मू जायं और वहां वालों से मिलें। इसी कारण प्रधान मंत्री का नाम यहां आया है। अथवा डा० मुकर्जी के निरोध से हमारा कोई सरोकार नहीं था।

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या जम्मू और कश्मीर सरकार तथा हमारे बीच पहले कोई परामर्श हुआ था ? नहीं, कोई भी नहीं।

मैं ने विशिष्ट प्रश्नों के विशिष्ट उत्तर दे दिये हैं।

कश्मीर में अब स्थिति बदल गई है। शेख अब्दुल्ला आजकल निरोध में हैं। और मेरा आजकल उन से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब डा० बी० सी० राय सरीखे विद्वान व्यक्ति ने कुछ बातें उठाईं तथा उनके इलाज में की गई कमी बताई तो शेख अबदुल्ला ने उन्हें लिखा कि, "वह वहां आवें और जांच करें।" डा० मुकर्जी की मृत्यु के कुछ दिन बाद की ही ये बातें हैं। हम जानते हैं कि वकील लोग भी अपनी बातों में मतभेद रखते हैं और उसी प्रकार डाक्टर भी। सारा प्रश्न तो यह है कि डा० मुकर्जी का जो डाक्टरी इलाज किया गया था क्या वह संतोषजनक था अथवा नहीं ? शेख अबदुल्ला ने डा० राय से इसकी जांच करने के लिए कहा। डा० बी० सी० राय को अपने इलाज के लिए उन दिनों यूरोप जाना था; किन्तु डा० राय ने जब कि वह यूरोप जा रहे थे तो उन्हों ने लिखा, "मुझे आना पड़ेगा किन्तु मैं अकेला नहीं आऊंगा मैं अपने साथ तीन चार साथी लाऊंगा।" शेख अब्दुल्ला ने कहा "बहुत अच्छी बात है।" तब डा० राय ने कहा कि कुछ कागज़ात--उपचार सम्बन्धी हिदायतें तथा अन्य कागज सुरक्षित रूप से रखे जाय।

वह सब कुछ किया गया था। डा० राय यरोप चले गये। आप को मालूम है कलकत्ता में तब क्या हुआ? डा० राय को अपना यात्रा काल कम करना पड़ा और मैं समझता हूं कि वह जून के अंत तक वापस लौट आये। वह स्वयं अपने ही कार्यों में फंस गये। मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहता लेकिन मुझे याद पड़ता है कि डा० राय ने समाचार-पत्रों में स्वयं एक वक्तव्य प्रकाशित करवाया था जिस में कहा गया था कि बाद के दस्तावेजों को देखने के बाद और इलाज की विस्तृत सूचना मिलने पर, उन्हों ने अपनी राय बदल दी थी।

श्रीमती सुचेता कृपालानी: वह एक प्रेस वक्तव्य नहीं था, एक निजी पत्र था। उस पत्र में यह भी लिखा था कि 'इस अवस्था पर' जांच आवश्यक नहीं थी।

डा० काटजू: यदि मैं ग़लत कह रहा हूं, तो मैं इसको वापस लेता हूं। मैं यहां पर अपने माननीय मित्रों को कोई ग़लत बात नहीं बताना चाहता।

श्री एन० सी० चटर्जी: वास्तव में उस वक्तव्य में यह कहा गया था कि "मैं ने यह कभी नहीं कहा कि कोई जांच नहीं होनी चाहिये। मैं यह फिर कहता हूं कि जांच की गुंजाइश है और जांच होनी चाहिये।"

डा० काटजू: अवश्य, ऐसा ही होने दीजिये। मेरा कथन यह है कि डा० राय ने एक जांच की मांग की और शेख अब्दुल्ला मान गये और उन दोनों के बीच इस संबंध में पत्र-व्यवहार हुआ। यूरोप से लौटने पर डा० राय अपनी ही परेशानियों में फंस गये और तब श्रीनगर में गड़-बड़ी शुरू हुई। श्रीमती सुचेता कृपालानी ने बख़्शी गुलाम मुहम्मद के पत्र के कुछ अंश पढ़ कर सुनाये और बख़्शी गुलाम मुहम्मद कहते हैं कि वे चाहेंगे कि इस मामले की जांच हो। मैं इस मामले में किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता था। अब सारा झगड़ा इस बात का है कि अन्तिम तीन, चार या पांच दिनों में क्या हुआ। सरदार हुक्म सिंह १५ तारीख को डा० मुकर्जी से मिले थे, मेरे माननीय मित्र श्री त्रिवेदी उन से १८ तारीख को मिले और डा० मुकर्जी २० तारीख को बीमार पड़े। उनकी मृत्यु के एक दिन पूर्व, २१ तारीख को श्रीनगर से एक समाचार जारी हुआ था जिस में कहा गया था कि डा० मुकर्जी को शुष्क प्लूरेसी का एक दौरा आ गया था और उनकी हालत संतोषजनक थी। यह समाचार उसी दिन प्रकाशित हुआ था जब उनकी मृत्यु का समाचार प्रकाशित हुआ। यह २३ तारीख़ को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। अतः हमें केवल यह देखना है कि उनकी मृत्यु के दो, तीन दिन पूर्व क्या हुआ। मुझे इससे क्या मतलब? यह तो बख़्शी गुलाम मुहम्मद का कार्य है।

इस समय यहां पर निवारक निरोध अधिनियम की चर्चा सुसंगत नहीं है।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी को कश्मीर में इस प्रकार क्यों फंसाया गया था?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): उनका कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने उन्हें जबरदस्ती कश्मीर में ढकेला था।

उपाध्यक्ष महोदय: अब और अधिक प्रश्न पूछना उचित नहीं है। इस कार्य के लिये सदस्यों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब तो वह सारे मामले को समेट रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय]

अब मैं किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

डा० काटजू : ऐसे गंभीर मामले में मज़ाक नहीं करना चाहिये।

श्री जे० बी० कृपालानी : प्रश्न सीधा है। जब डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी उसकी विधि का उल्लंघन कर रहे थे तो भारत सरकार ने उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न चार बार पूछा जा चुका है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : पर हमें इसका उत्तर नहीं मिला है।

डा० काटजू : श्रीमान्, मैं डा० मुकर्जी की स्मृति के प्रति पूर्ण आदर भाव से बोल रहा हूं। मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। जब मुकदमा चल रहा था तो वे भारत में विधि का उल्लंघन न करने के संबंध में बहुत सतर्क थे। वे किसी सभा में नहीं गये। उन्हों ने किसी सभा में कोई भाषण नहीं दिया। उन्हों ने केवल कश्मीर में विधि को तोड़ा। उन्हों ने कहा था, "मैं कश्मीर में विधि का उल्लंघन करने जा रहा हूं।"

श्री फ्रैंक एन्थनी : आपने उन्हें निवारक निरोध अधिनियम के आधीन गिरफ्तार क्यों नहीं किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें और इसके बाद फिर प्रश्न करने के लिए न उठें।

डा० काटजू : लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस लगाने की बातें यहां कही गईं। पर यहां सदन में इतनी सब गड़बड़ी पैदा करने के प्रयत्न के होते हुए भी लोग जानते हैं कि इस संबंध में सरकार ने अपने भरसक सब कुछ किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : बेकारी संबंधी प्रस्ताव पर अगले अधिवेशन में विचार किया जाएगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है अतः मैं प्रार्थना करूंगी कि इस पर वाद विवाद के लिये अगले अधिवेशन में एक या दो दिन अलग कर दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सरकार सहमत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गई।